A Study of Parents Awareness of Primary School towards RTE act in Muzaffarnagar District

Dr. Sunita Sharma
Associate Prof. & Head,
Department of Teacher Education
D.A.V. (PG) College, Muzaffarnagar (U.P)
&
Anshu Devi
Research Scholar
Deptt. of Teacher Education
D.A.V. (PG) College, Muzaffarnagar

Abstract

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 is a legislation passed by the Indian Parliament that has come into effect from 1st April, 2010. It is based on the 86th amendment in the Constitution through which the Article 21 (A) was inserted after Article 21 of the Constitution. The Article 21 (A) states that the State shall provide free and compulsory education to all children of the age group of six to fourteen years. The parents should be aware about their responsibility the their children so that children will get the benefits and get educated.. A descriptive design was followed for the sample of 100 parents through random sampling. An interview schedule on awareness of parents on Right to Education act 2009 in a rural-urban area. The study result shows that the levels of awareness about RTE act among these parents are low. There is a need of intervention to improve the awareness level as well as the enrollment in the schools.

Keywords : Parents, Right to Education, Rural- Urban Area.

Introduction

The Right to Education Act, which came into force on 1st April, 2010 after 62 years of independence, has made free and compulsory education a fundamental right of every child in the 6 to 14 age group. Now India has joined the group of those countries who provide for a constitutional guarantee to free and compulsory education. The enforcement of this Right has made it a joint responsibility of Central andState Governments to provide free and compulsory education to all children by all means. The present paper begins with a historical perspective, outlines salient features of the Act, throws light on the challenges and suggests ways to overcome them. Education awareness of RTE act among people in a rural-urban area. The rural-urban area people consist of poor people, migrants, and contract workers. The researcher needs to know parents from Faridabad area are aware about the RTE act for their

children. Education helps the individual freedom and empowerment which gives a societal growth and an individual self- reliant. It gives a foundation in the society, enabling economic wealth, and social prosperity and political stability. A poet Jose Marti says that to know how to read is to know how to walk, to know how to write is to know how to ascend, the feets, arms, wings, all these are given to man by his first and most humble school books. Elementary education forms the foundation for all levels of learning and development. It equips individuals with analytical capabilities, provides confidence. It is very good that if a strong elementary school can makes a country to grow. Parents‟ responsibility towards children in education he primary care taker will be giving the guidance and support to the children and hence parents have the responsibility towards their own children. Parents are the first teachers to their own children. Parents have an important role in helping their child during the early years. During the elementary education parents have a vital role in bringing up their children andencourage them to go to school. Hence, parents should aware about the benefits and the provision of RTE act so that it will be helpful for the children to get education.

Justification

The justification of the society for awareness of parents of RTE. The study is primarily to understand the parents' awareness of right to education act in a rural-urban areas. The situation in a areas is that when the different provisions are given by the government is not appropriately used by the parents. Hence, there is a proper implementation of theprogram and the awareness regarding RTE act which help the parents to understand and encouraging the child to go to school. The different provisions of RTE act which literally helps the people from the uneducated and therefore it helped the rural- urban people. Because of all there is a felt need of study to know the awareness on parent on RTE act 2009 in rural- urban areas.

The study would be a great help as there are very less studies conducted in the awareness of parents in an urban-rural areas. There are alarger number of populations which we can see in an urban-rural areas. Hence, the need is more to know the awareness. The study would help to understand the awareness of parents on RTE act 2009 in urban-rural areas. There are lots of studies conducted on parents awareness of elementary school students towards RTE act but not the awareness of parents on RTE act. Keeping the above factors in view the present study about awareness of parents on RTE act 2009 in urban-rural areas of a Faridabad district has evolved. The need of the study was to identify the awareness of RTE act among people in rural-urban areas. The urban people consist of poor people, migrants, and contract workers. The researcher needs to know parents from Faridabad rural-urban are aware about the RTE act for their children.

Review of related literature

Sonali Sharma (April-2014) The present study was conducted to examine the awareness among parents belonging to economically weaker sections of society regarding Right to Education Act parents residing in urban area and literate had

significantly higher awareness than living in rural area and illiterate parents.

Dr.Vandana Gandhi (2013)The awareness of teachers towards right to education needs significant teachers - people rapport for proper implementation of the Act and also the aware- ness of teacher plays an important role in success of any new.

Dr. Asha (2012) The study was conducted in the district of Karnataka and it revealed that there is no significant difference in the awareness level of male and female teachers as well as urban and rural teachers on RTE Act, towards the education and schooling of their children.

Rojalin Samal (2012) The present study was aimed at assessing attitude of parents difference in the attitude of tribal and non- tribal parents. The difference between tribal and non-tribal respondents was evident in their future plans to provide facilities for higher studies fortheir.

Objective of the Study

1. To study the awareness of RTE act among parents.
2. To compare the awareness of male and female parents towardsRTE act.
3. To compare the awareness of the rural male and female parentstowards RTE act.
4. To compare the awareness of the urban male and female parentstowards RTE act.

Hypotheses of the Study

1. There is no significant in awareness of parentstowards RTE.
2. There is no significant difference between RTE awareness of ruraland urban parents.
3. There is no significant difference between RTE awareness of maleand female parents.
4. There is no significant difference between RTE awareness of urbanmale and female parents.

Methodology Design

of the Study

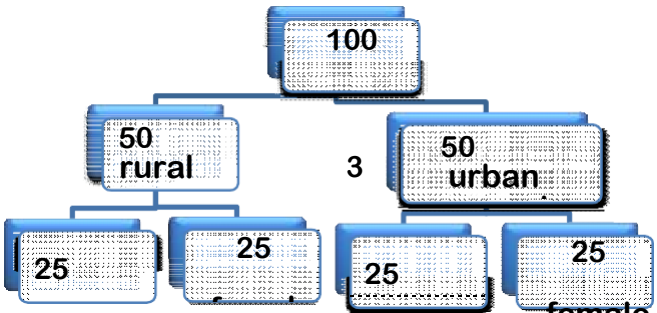
In the present study Descriptive Survey Method is employed. It isdesigned to explore the awareness of parents towards RTE.

Sample

The questionnaire is use on 100 rural and urban parents in Faridabad region who is selected by random sampling method. Among these urban and ruler areas 50 is male and 50 is female. 25 male and 25 female parents belong to rural areas and other 25 female and 25 male parents belong to the urban areas.

Tools

The tool for this study is self- made questionnaire. It contained multiple choice



items related to RTE awareness of parents. The test is administer and the responses made by rural and urban parents to test the RTE awareness is score, tabulated and analyzed using appropriate statistical techniques. The researcher developed questions according to each objective and conducted a pretest and validated by experts prior to the study.

Statistical Technique to Use

Calculation of mean, Standard deviation and "t" - test is used in RTE awareness among rural and urban male and female parents.

Result and Discussion

The analysis chapter includes the awareness of RTE act and awareness of duties of government, authority and parents among parents of an urban slum. The data analysis is done using descriptive statistics.

Awareness of parents on right to education act 2009.

Awareness of the parents on right to education act includes the knowledge about the RTE act, paying fees for the child's study, whether the child can go to private school for free, and free and compulsory education. The awareness regarding RTE act and free and compulsory education are zero.

Table-1

Mean, S.D. and T. Value of RTE Awareness of Rural and Urban Parents

Gender	Number of observation	Mean	Standard Deviation	df	t-Value	Remark
Rural parents	50	66.50	13.31	98	0	Not significant at 0.05 and 0.01 level
Urban Parents	50	66.86	7.50			

From table 1 it is show that 't' value is 0 which is significant at 0.01 and

0.05 level with df = 98. It indicates that the mean scores of male and female RTE awareness of rural and urban parents differ significantly. Thus null hypothesis that "There is no significant difference between RTE awareness of rural and urban parents" is accepted.

Fig. 1

Mean, S.D. and T value of RTE Awareness of Rural and Urban Parents

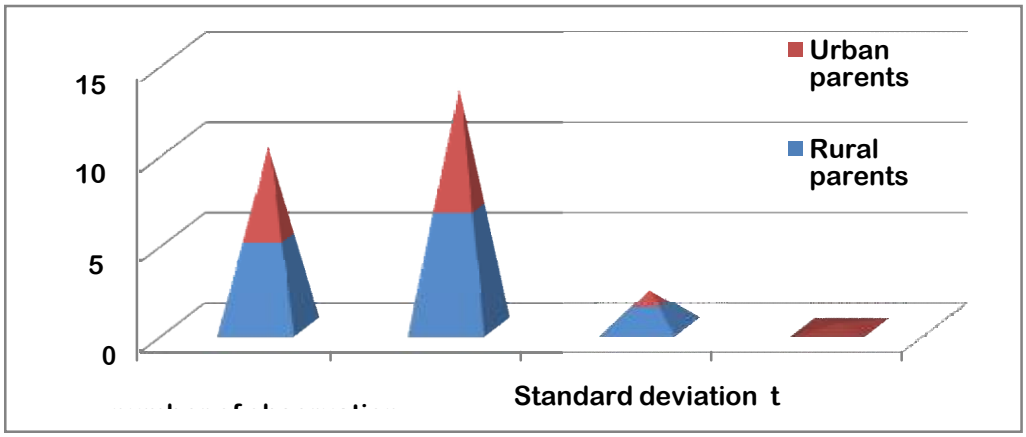


Table-2

Mean, S.D. and T. Value of RTE Awareness of Rural Male and FemaleParents.

Gender	Number of observation	Mean	Standard Deviation	df	t-Value	Remark
Male parents	25	67.08	14.22	48	0.52	Not significant at 0.05 and 0.01 level
Female Parents	25	65.92	13.02			

From table 4.2.2 it is evident that 't' value is 0.52 which is not significant at 0.05 and 0.01 level with df = 48. It indicates that the mean scores of male and female RTE awareness of rural parents differ significant. Thus null hypothesis "There will be no significant difference between RTE awareness of rural male and female" is accepted.

Fig. 2

Mean, S.D. and 'T' value of RTE Awareness of Rural Male and Femaleparents

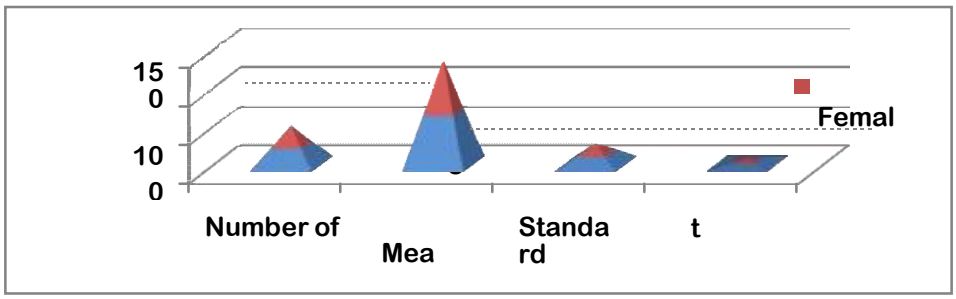


Table – 3

Mean, S.D. and 'T' Value of RTE Awareness of Urban Male andFemale Parent

Gender	Number of observation	Mean	Standard Deviation	df	t-Value	Remark
Male parents	25	66.64	8.53	48	0.5	Not significant at 0.05 and 0.01 level
Female Parents	25	67.08	6.4			

From table 4.2.3 it is evident that 't' value is 0.5 which is significantat 0.01 but not at 0.05 level with df = 48. It indicates that the mean scores of RTE awareness of urban male and female parents different significantly.

Fig. 3

Mean, S.D. and T Value of RTE Awareness of Urban Male and FemaleParents.

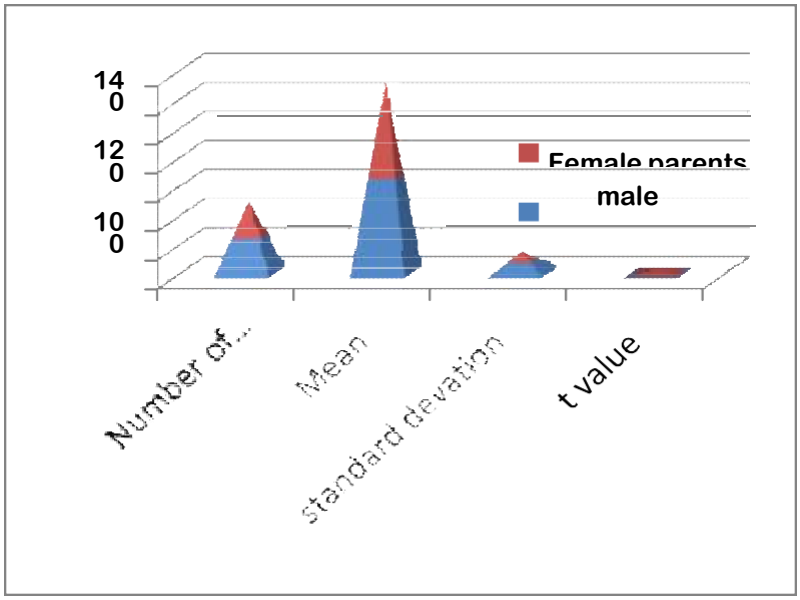
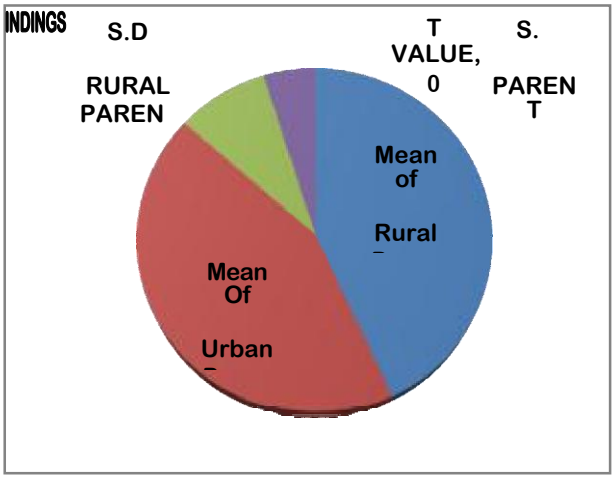


Fig. 4

Mean, S.D. and 'T' Value of RTE Awareness of Rural and Urban Parents



Findings

1. There is no significant difference between RTE awareness of ruraland urban parents.
2. There is no significant relationship between RTE awareness ofrural male and female parents.
3. There is no significant difference between RTE awareness of urbanmale and female parents.
4. It was found that aware of the male and female parents of the elementary school students was related to the right to education.
5. It is found that parents awareness are very low of rural- urban area.
6. It is found out the awareness level among male and female parentsis quite equal.
7. It was also found that the effectiveness of the teachers does notdepend on their experience of the RTE according.
8. It was found also that parents contribute toward the RTE facility.

Education Implications

On the basis of the finding of the study, the investigator has arrivedat the following implications which are as under:

1. Parents should aware to government provision free and compulsoryelementary education to every childof the age of 6-14 years.
2. Parents should aware to special education facility by govt. provision of RTE act.
3. Parents should aware to infrastructure including school building,teacher staff and learning equipment of RTE act.
4. Parents should aware to ensure availability of a neighborhoodschool of

RTE act.

5. Parents should aware to right to education information.
6. People should aware to government rules of RTEact.
7. Rural–urban people should aware to school management committee of RTE act.
8. Parents should visit the school in a month.

Conclusion

It is found that parents awareness are very low of rural – urban area.It was found that awareness of the male and female parents of the elementary school students was related to the right to education. It was also found that the effectiveness of the parents does not depend on their experience of the RTE according It was found also that parents contribute toward the RTE facility. It is found out the awareness level among male and female parents is quite equal.

References

1. Aziz, M. G. (2013). Awareness of Right to Education Act among Urban Slum. Advanced International Research Journal of Teacher Education, 29-35.
2. H.Akhtar, S. (2007). Parents‟ Responsibilitytowards Children. TheTreatise on Right, 1-2.
3. Nayak, B. K. (2012). Implementing Clause 12 of the Right toEducation Act 2009 in Udaipur District of Rajasthan, India: LettingDisadvantaged Children Down? International institude of socialstudies, 10-48.
4. Ramdas, B. (2010). The Right to Education Act – Opening the backdoor to privatisation of education.India Education, 1-6.
5. S, O. S. (2013). Implementing Right to Education: Issues and challenges. Research Journal of Educational Sciences, 1-7.
6. Simmons, Barbara, and Paula Smith Lawrence. (1981). Beginning reading welcoming parents.childhood education, 156-159.
7. Swastik. (n.d.). Notes on the true Meaning, Definition and Concept of Education. Retrieved2012, from Preserve Articles: http://www. preservearticles. com / 201105056299/m eaning- and –definition – and – concept of education.html
8. uma. (2013). Right to Education (RTE): A Critical Appraisal.Journal Of Humanities And Social Science, 55-60.
9. Young, E. (2012). Right to education, role of private sector. IndianBusiness, 1-10.
10. The Gazette of India, August 2009

11. Asha KVD Kamath [Coordinator], B. Phalachandra and T. V. Somashekar, (2010) „Orientation of State Education Functionaries on RTE Act 2009," Regional Institute of Education (RIE), Mysore {NCERT}.

12. Babu Mathew. (2001). „Rights of the Child to Education". CountryDirector, Action Aid in India,45-43.

13. DNA(2010) „Rights of the Child to Education", a Research Report dated 20-12-2010.

14. Gowramma, I P. (2011). Importance of Right to Education for person with disability. Paper presented at National Seminar at RIE, Mysore.

15. Hindu Daily (2nd April 2010). Right of children to free and compulsory Education.

16. Juneja, Nalini (1997) Right of the Child to Education and issues in implementation of compulsory education; New frontline on Education,NUEPA.

17. NCPCR, SCPCR.& REPA. (2010). The responsibility of monitoring implementation of Act.

18. The Gazette of India. (2009). The Right of Children to Free and Compulsory Education Act. (RTE Act- 2009).

19. World Bank. (2001). Right to Education, Annual. Report publishedin April.

Exploitation of Women in the Indian Society

Dr. Anshu Tripathi
Associate Professor
K.S.Saket P.G.College
Ayodhya

Abstract

In the Indian modern country is fast emerging as a global power but for half of its population, the women across the country, straggle to live life with dignity continues. Women irrespective of their class, caste and educational status, are not safe in the modern society women have been the victims of exploitation since long time in different fields in their life, both physically, socially, mentally and economically, Although such violence against women, exploitation to women is not of recent origin, its trace is found in the history of ancient India. Women are facing problems in every sphere of life, whether employment, access to health care or property rights. India is fast developing but women's in India continue to be discriminated. The declining sex ratio in India amply portrays the discrimination shown towards women at the stage of birth. It is realized that the long run supremacy of male over female in all respect in the patriarchal society in India is highly responsible for arresting the empowerment of women.

Key words : Exploitation, Employment, discrimination, supremacy,empowerment.

When we talk of exploitation of women or any other section of our society. We need to first agree on the meaning of the world exploitation. Exploitation of a person means to use that person unfairly for our own advantage or profit. There are two key criteria in this process of exploitation first, we are using the person unfairly and second, this is being done to gain some profit or advantage to ourselves. When we see a girl child loaded with a numbers of household chores assigned to her by her mother, we do not treat this as a case of exploitation because we do not consider this as an unfair treatment of the girl child. Her brother is given some kind of work involving movement outside the house. However, if the son is sent to a good school but the girl child is discriminated against and sent to a nearby poor school to save money for the family, then this amounts to exploitation because she has been treated unfairly and advantage to the family in terms of savings has been the objective.

Instances of exploitation of women in the Indian society that come to mind immediately are exploitation in marriage for dowry, cases of female infanticide, trafficking of women, exploitation of women employees by paying lower wages than men for similar work, domestic violence against women, marrying a girl to a rich Sheikh for money, making sexual advances against women at work place, in school and colleges so on. One half of the patriarchal society, viz the weaker sex, has been exploited the world over from times immemorial. During all this

period cultures developed, and with continued development and progress in the fields of religion, philosophy, literature and science mankind developed a wide and liberal outlook. During the course of this development journey man attained greater heights not only on the ground, ocean and sky but also reached the planets in outer space. But unfortunately his outlook on women remained almost unchanged from what it was perhaps in the prehistoric time. Taking her as the weaker sex, man always continued to use women as a commodity. During the modern age of globalization, as his outlook became more and more commercial, he has learnt to use the women's body in different ways for greater commercial gains. In this process be it beauty contests, advertisements or acting in films or TV soaps, women has been exploited in the name of greater economic opportunities.

In the third world countries, where the common man is still living below the poverty line this exploitation of women is the greatest problem of livelihood and the need to escape the pangs of hunger has forced numerous women to tread prohibited and dangerous paths. The ever growing prostitution and call girl rackets use of women is drug smuggling and growing use of miner girls in international prostitution are examples of extreme exploitation of women by the mighty man. Women, who are poor and cannot fight against the market forces, are skill being used as commodities to be bought and sold by moneybags. In fact these men have become accustomed to treating women as mere commodity to be used by them as they please and to be traded for profit, when the price is right. Culture, which has developed humanitarian traits, bestowed respectability and high status to women too. In India, womanhood was given the revered status of a goddess and was prayed to, however, in marriage the society gave a higher status to man over women. By approving polygamy the society in fact reduced the status of women to that of a servant and a non-entity in comparison to her man. In the Imperialist society, every man who was physically and financially strong behaved as an autocrat but did not give the status of a queen or a person with authority to his womenfolk.

During the 19th and he 20th centuries gradually most countries grew in awareness and democracy took root. Women's rights were also recognize by the society. In North America and Europe there were movements for women's rights. In India in the 19th century itself Raja Ram Mohan Rai had started a revolutionary movement against the evil practice of 'Sati' among widows. That movement against the cruelest of women's exploitation generated a great deal of consciousness and awareness in the minds of thinkers writers and social reformers to fight for the cause of women's uplift, and by the beginning of the 12th century many men raised their voice against women's exploitation. During this period women's education took a root. In today's India women is free to avail equal opportunity with man in the field of education.

In this age of progress and development today's highly commercialized society seems to be moving regressively backwards. The institution of marriage and the age old practice of dowry seem to have turned more cruel and harsh under the influence of the glitter of marketing strategy. As a result of this the tradition of dowry has assumed very many new forms of exploitation. The terror of the evil of dowry is primarily responsible for the willful and criminal destruction of many female foetuses today desire of a second marriage with greed for repeated dowry is the

main cause of bride burning and other evil ways of killing innocent girls. The commodity type outlook of men towards women is giving rise to new crimes against women so much so that rape, gang rape, incest, sexual assault and murder of minor girls has become a common occurrence today. Healthy sexual attraction towards women has been vitiated into diverse forms starting from eve teasing to rape and brutal murders.

Even in the 21st century, the position of women is the same as it was in ancient time. Today, even though women are occupying the highest position in the country, flying fighter planes and commercial Aircraft, leading army battalions at Rajpath during he republic day parade to serving as officer's in important government departments of the country, despite this discrimination against them still continues. This situation on is even more tragic in rural areas. Today we may be seeing the dream of settling on mars but the reality is that even today half of the population of this country suffers from violence in some form or the other. Be its rural areas or urban. Women from elite families or normal families; women are suffering from violence in one way or the other. However many rules and laws have been enacted by the government to improve the status of women. But sometimes such rules and laws are limited to book. There is only a need to encourage them to increase their self confidence. We need to build a safe and confident society for them.

With the passage of time, days and society there are a lot of movement's relating to this exploitation of women, but still men are forward in status as compared to women and Indian society in male dominated where female are being exploited specially.

With the passage of time changes have been taken place in everywhere in almost every field but to protect honour of women. Several commissions have been set up from state to national level, even at global level. International women day in celebrated, a numbers of women organization have been working for women freedom and empowerment. But all of those are external in nature as mentality is the product of society and culture. In the same family, a boy gets more liberty than a girl. Moreover there in lack of security of girls in Indian society. It is found that a boy can spend time even in night in a station or street, even he can earn his livelihood working in a tea stall, but it is not possible for a girl. If it is possible she will be treated as characterless in the society. In any society and in any circumstance in order to live with honour it is essential "Education for all", which will not be general education, education for smooth living and it is possible only where "work for all" persists protesting injustice, if a women is compelled to choose prostitution as profession in order to live, that protest is valueless and thus her life becomes miserable. It should be remembered that the socio-economic empowerment must be ensured by the nation to minimize the exploitation which can help to improve the status of them. So unless and until, "Education for All", "work for All" and "security of work" are ensured to the women, the exploitation of women will not be arrested rather changed its direction in unwanted way.

The entire society today needs moral education to incubate ethical values to counter the viscous effects of commercialization on our traditions and cultural values. Only this can restore our humanistic approach and balanced view towards life and society.

References :

- Bhuyan, D. Panigrahy R. L. (2006) Women empowerment, New Delhi Discovery Publishing House.
- Chandra R. (Ed.) (2004) Status of women in India in social development in Indian, New Delhi; Isha books.
- Mukherjee D. (2005) Women and urban crime New Delhi, Kalpaz publication.
- Rao. M.K. (2005) Empowerment of women in India, New Delhi, Discovery publishing house.
- Tripathi, R.s. & Tiwari R. P. (1999) perspective on Indian women, New Delhi APH publishing corporation.

सर्वपल्ली डॉ0 राधाकृष्णन के धर्म दर्शन में पूर्व व पाश्चात्य का समन्वय

डॉ0 रचना सिन्हा
एसो0 प्रोफेसर
के0एस0साकेत पी0जी0 कालेज
अयोध्या

सारांश :

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मनुष्य अपने लिये भौतिक संसाधन इकट्ठा कर सकता है परन्तु अपनी सहज अधोगामी वृत्तियों को ऊँचा उठाना, विज्ञान के द्वारा साध्य नहीं है। भौतिक सुख साधनों के विकास की धुन में, प्रौद्योगिक चमत्कारों की चकाचौंध में मनुष्य ने अपने आन्तरिक स्वरूप को भुल दिया है। जिस विज्ञान से हमारा जीवन अधिक सुखमय होना चाहिए था, वही मानव के अस्तित्व के लिए खतरा बनता जा रहा है। और धर्म के नाम पर विश्व में जितना अनर्थ हुआ है वह वर्णन से परे है।

इसका कारण सिर्फ धर्म के मर्म को न समझकर कर्मकाण्डों, रीतिरिवाजों को ही धर्म मानना है। डॉ0 राधाकृष्णन का मानना था कि भौतिक समृद्धि के साथ–साथ गहरे नैतिक बोध का पूर्ण समन्वय ही जीवन को दिव्य व आनन्दपूर्ण बना सकता है। इसी कारण उन्होंने पश्चिमी दर्शन और भारतीय धार्मिक परम्परा में जो गहरा अन्तर्विरोध दिखाई पड़ता है उसे समाप्त करने का प्रयास किया और पश्चिम के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पूर्व के आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों में समन्वय स्थापित करते हुए बताया कि पूर्व और पश्चिम दोनों अलग तरह की चेतना और विचार–रीतियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्योंकि विज्ञान और धर्म हर संस्कृति के अंग हैं। पाश्चात्य की वैज्ञानिक और पूर्व की आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय ही डॉ0 राधाकृष्णन के धर्मदर्शन की विशेषता है।

एक महान शिक्षक, एक महान चिन्तक एवं अध्यात्म दर्शन के महान दार्शनिक डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म चेन्नई के छोटे से गाँव तिरूपती में 5 सितम्बर, 1888 को हुआ था। शैशवावस्था से ही प्रभु भक्ति और धर्म पालन के संस्कार उन्हें माता–पिता से प्राप्त हुए। 20 वर्ष की आयु में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से एम0ए0 की परीक्षा ससम्मान उत्तीर्ण की और अप्रैल, 1909 में मद्रास प्रेसीडेंसी कालेज में दर्शन विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए और वही 1916 में प्रोफेसर का पद प्राप्त किया। 1918 में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए। 1921 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनकी नियुक्ति हुयी। 1931 से 1936 तक आन्ध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर आसीन हुए। भारतीय विश्वविद्यालय सुधार कमीशन के प्रधान के रूप में भी आपकी संस्तुतियाँ शिक्षा जगत में मौलिक देन के रूप में समादृत हैं। 1939 से 1948 तक की लम्बी अवधि में आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। कुलपति के रूप में भी उनका आचार्य का रूप बना रहा। इसीलिए उन्होंने 1941 में विश्वविद्यालय में सभाजी राव गायकवाड़ प्रोफेसर ऑफ इण्डियन कल्चर एण्ड सिविलाइजेशन का पद स्वीकार किया। उनके नाम से सम्बन्धित हेने के कारण यह पद देश में दर्शन और संस्कृति के क्षेत्र में गौरव का प्रतीक बना।[1]

मूर्धन्य दार्शनिक के रूप में प्रतिष्ठित राधाकृष्णन ने शिक्षा और राजनीति के क्षेत्रों में उच्चतम् पदों पर सफलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया जो अचम्भित करता है। राधाकृष्णन अपने को सुन्दर सिद्धांतों और आदर्श परिकल्पनाओं तक सीमित नहीं रखते थे। आदर्श को यथार्थ में परिवर्तित करने मे उनका विश्वास था। स्वयं उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है :– ''दर्शन की मेरी अवधारणा का कुछ अर्थों में मार्क्स की अवधारणा से साम्य था। मार्क्स का उद्घोष था कि अब तक दर्शन का कार्य जीवन की व्याख्या करना था किन्तु अब समय आ गया है कि वह जीवन को परिवर्तित करें।''[2]

आदर्श को यथार्थ में परिवर्तित करने में उनका विश्वास था। जातिवाद, उपनिवेशवाद, आर्थिक शोषण इन सबके निराकरण के लिए वे संकल्पित थे।

प्रश्न उठता है कि राधाकृष्णन की अनेक उपलब्धियों और उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के किस पक्ष की आज के विश्व में सर्वाधिक प्रासंगिकता है। आधुनिक काल में एशिया के देशों पर यूरोपीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना के चलते पाश्चात्य देशों में अपनी श्रेष्ठता के घमंड और अहम् के विचार उत्पन्न हुए। यह माना गया कि पूर्व, पूर्व है और पश्चिम, पश्चिम है दोनों छोर कभी भी नहीं मिल सकेगें। राधाकृष्णन ने एक नदीं के दो पाटों को अर्थात् पूर्ण रूपेण पृथक विचारों को जोड़ने में श्लाध्य भूमिका निभाई। पॉल आर्थर शिल्प ने पूर्व और पश्चिम के बीच जीवन्त सेतु के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उनका अभिनन्दन किया था।

राधाकृष्णन ने भारतीय चिन्तन को पाश्चात्य जगत में प्रतिष्ठा दिलाई और यह स्वीकार कराया कि चिन्तन के क्षेत्र में भारत की सम्पन्नता किसी भी सभ्य देश से बढ़कर है। राधाकृष्णन के लेखों और ग्रन्थों से प्रभावित होकर म्योरहेड ने 1917 में उन्हे अपनी प्रतिष्ठित ग्रन्थमाला 'लाइब्रेरी ऑफ फिलासफी' में भारतीय दर्शन पर ग्रन्थ रचना के लिए आमन्त्रित किया। डॉ0 राधाकृष्णन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे यूरोप और एशिया दोनों की महान परम्पराओं में निष्णात थे। वे भारत की गहन दार्शनिक परम्पराओं को पाश्चात्य दर्शन की परम्पराओं के अनुसार प्रस्तुत करते थे। यही कारण था कि पाश्चात्य जगत को भारतीय दर्शन के जटिल तथ्य भी सहज, सरल और अपने जैसे लगे। उनके रूपक तर्क और प्रयुक्त उदाहरण भारतीय विचारधारा को प्रस्तुत करते हुए भी पाश्चात्य परम्परा से जुड़े हुए थे। 1926 में आक्सफोर्ड के मैनेस्टर कालेज में इन्होंने व्याख्यान दिया और अपने विचारों की अभिव्यक्ति से, प्रस्तुति से अपार स्नेह और सम्मान प्राप्त किया।

आक्सफोर्ड में उनके अनेक भाषण प्रकाशित हुए। राधाकृष्णन ने पूर्व और पश्चिम के अन्तर को दूर करने के लिये अनेक तर्क प्रस्तुत किये। इसे मात्र एक भौगोलिक तथ्य माना। प्रचलित धारणा है कि पूर्व और पश्चिम की अपनी–अपनी विशेषताएँ हैं जो परस्पर अत्यधिक विरोधी है और उनमें सामंजस्य बिठाना दुष्कर है। परन्तु डॉ0 राधाकृष्णन ने इन विरोधों का निराकरण अत्यन्त ही सरल शब्दों में करते हुए बताया कि अगर हम पश्चिम दृष्टिकोण को वैज्ञानिक और पूर्व को धार्मिक कहते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि विज्ञान और धर्म दोनों ही हर संस्कृति के अंग है। तर्क और धर्म मनुष्य के स्वभाव में इस तरह बुनी गयी दो डोरियाँ है जो अलग नहीं की जा सकती है।[3]

राधाकृष्णन की दर्शन के क्षेत्र में अपनी मौलिक उपलब्धि है। उनका दर्शन अद्वैत है और भारत की प्राचीन अद्वैतवाद परम्परा से जुड़ा होने पर भी उनकी अपनी विशिष्टता की छाप लिये है, क्योंकि इसमें पूर्व और पश्चिम का सच्चा समन्वय देखने को मिलता है। इन्होंने मानव की एकता को माना और कहा कि मनुष्य की शारीरिक बनावट उसकी नैतिकता, आकांक्षाएँ, आध्यात्मिकता, जन्म विकास, सुख–दुःख, जीवन चक्र सब एक समान है। तो फिर यह भेद क्यों? इन्हें मानव की आत्मिक शक्ति में अपार विश्वास था। उनका मानना था कि मानव की आत्मा में इतनी शक्ति होती है कि वह विषम से विषम समस्या का हल

ढूँढ सकती है, दुष्कर से दुष्कर विरोध को चूर कर सकती है। जब हमें राह दिखाने वाला कोई नहीं रहता, मार्ग में स्पष्ट प्रकाश नहीं होता, ऐसे में मनुष्य का आत्मबल, मानव आत्मा की शक्ति ही एकमात्र रह जाती है, जो मनोबल को बढ़ाते हुए सही मार्ग की ओर अग्रसर करती है। वे विज्ञान, तर्क, परम्परा सभी से ऊपर मानव की आत्मिक शक्ति को स्थान देते थे।

उन्होंने सिर्फ सिद्धांतों और आदर्शों की बात ही नहीं कही बल्कि उसे यथार्थता के धरातल पर भी उतारा। जातिवाद, क्षेत्रवाद, आर्थिक शोषण, सामाजिक भेदभाव इन सबके के निराकरण के लिए भी प्रयत्नशील थे। राधाकृष्णन ने भविष्य की नयी व्यवस्था के आधार के रूप में आध्यात्मिक आस्था की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा–''हमें एक ऐसी धार्मिक आस्था की आवश्यकता है, जो विवेकशील हो। एक ऐसी आस्था जिसे हम बौद्धिक व्यक्तिनिष्ठा और सौन्दर्य–शास्त्रीय विश्वास के साथ अपना सके। एक बड़ी, लचीली आस्था, समूची मानव जाति के लिए जिसमें प्रत्येक जीवित धर्म अपना उल्लेखनीय योगदान कर सकता है। हमें एक ऐसी आस्था की आवश्यकता है जो समूची मानव–जाति में निष्ठा रख सके, इसके इस या उस टुकड़े पर नहीं, एक ऐसी आस्था जिसका पल्ला निरपेक्ष और प्रबुद्ध मस्तिष्क विनाश के समय भी पकड़े रह सके।[4]

डॉ0 राधाकृष्णन भारतीय धर्म के श्रेष्ठ उद्घोषक में साथ ही उन्होंने मानव जीवन में धर्म की उपयोगिता स्थापित करने के लिये प्रयास भी किया। उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि समाज की विपन्न स्थिति से निकलना आध्यात्मिक नव जागरण के माध्यम से ही सम्भव है। इसके लिए उन्होंने धर्म दर्शन का मार्ग बतलाया जो कि सभी कालों और सभी देशों के आध्यात्मिक अनुभव का विचार करता है और वैज्ञानिकता को अपनाता है।

परन्तु अनैतिकता से भरे हुए लोग, संशय से घिरे हुए लोग उनके बताये मार्ग का अनुसरण सहज रूप से नहीं करेगें, इसका अच्छी तरह से उनको ज्ञान था। इसलिए वह धर्म को विज्ञान से जोड़कर तार्किक विवेचना से युक्त कर तब उसके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। उनका मानना था कि बिना विज्ञान का धर्म अन्धविश्वास के सिवा और कुछ भी नहीं है, इसमें केवल भ्रम और असमंजस प्राप्त होता है। इसी तरह धर्म के बिना विज्ञान से मानव जाति के विनाश का खतरा सुनिश्चित है। विज्ञान हमारे सामने प्रकृति की सम्पदाओं को शक्तियों को उजागर करता है तो धर्म हमें मानव जाति के हित में इन सम्पदाओं और शक्तियों का सदुपयोग करने का रास्ता बताता है। उनकी इच्छा थी कि विज्ञान हमारे पाँव और धर्म आँख हो।

भौतिकता से समृद्ध होने के साथ ही साथ नैतिकता का समावेश और समन्वय जीवन को आनन्दपूर्ण बना सकता है। मानव विज्ञान का दास न बनकर अपनी आत्मा की दिव्यता और श्रेष्ठता को पहचान कर विज्ञान का उपयोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिये करें। इसके मर्म को समझने के कार ण ही राधाकृष्णन ने भारतीय और पश्चिमी दर्शन का मिलन कराया। पश्चिमी दर्शन सैद्धांतिक है। इसका आरम्भ आश्चर्य व उत्सुकता से हुआ है। वहाँ के दार्शनिक अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से विश्व, ईश्वर व आत्मा के विषय में सोचने के लिए प्रेरित हुए। उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था जबकि भारतीय दर्शन पर धर्म की अमिट छाप होने के कारण इसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति और आत्म संयम है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान को प्रधानता दी गयी। सत्य का सैद्धांतिक विवेचन ही नहीं बल्कि उसकी अनुभूति पर बल दिया गया।[5]

डॉ0 राधाकृष्णन ने पूर्व व पश्चिम दोनों दर्शनों की विशेषताओं में मन्वय स्थापित किया। पाश्चात्य दर्शन का इहलोक सत्ता विश्वास और भारतीय दर्शन के पारलौकिक सत्ता में विश्वास दोनों को एक सूत्र में पिरोया। भारतीय धर्म और दर्शन की प्रमुख विशिष्टताओं को जैसे–धर्म, ज्ञान, योग, माया, लीला और मोक्ष

के विषय में पाश्चात्य जगत में जो भ्रांतिया फैली थी, उसका निराकरण कर उन्होंने उसके सही स्वरूप को प्रस्तुत किया। भारतीयों को हिन्दू धर्म की वास्तविक आत्मा को पहचानने की सलाह दी और वर्तमान विद्यमान समस्याओं से उसको जोड़ते हुए भारत की आध्यात्मिक परम्परा के अनुकूल धार्मिक व सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने कुछ सामान्य से सिद्धांतों को रखा और इसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ सुधारों को, कुछ बदलाव को भी प्रस्तावित किया। जैसे हिन्दू धर्म के कर्मकाण्ड, संस्कार, स्त्री मुक्ति और अछूत प्रथा की समाप्ति।

भारत की वर्तमान समस्याओं और मानव संस्कृति के इतिहास को देखते हुए धर्म व दर्शन से सम्बन्धित डॉ0 राधाकृष्णन के विचार सर्वाधिक प्रासंगिक है। युद्ध हिंसा और भौतिकवादी आँधी से त्रस्त मानवता को उसके विपन्न वर्तमान और अन्धकारमय भविष्य में मार्ग–निर्देश के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता से सम्पृक्त, प्रबुद्ध और व्यावहारिक आध्यात्मिक दर्शन आशादीप बन सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. **https//www.jivaniitihasindia.com**
2. **Radha Krishnan S : Eastern Religions and western thought. (Publisher – Oxford University, Press, 2nd Edition) (1 May, 1997)**
3. **राधाकृष्णन एस :** धर्म और समाज प्रकाशक : (राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, 1975)
4. **राधाकृष्णन एस :** जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि (प्रकाशक : राजकमल प्रकाशन, इलाहाबाद)
5. **सिन्हा हरेन्द्र प्रसाद :** भारतीय दर्शन की रूपरेखा (प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली)।

भौतिक संसाधनों की व्यापकता और मानव जीवन

डॉ0 श्रीराम यादव
असिस्टेन्ट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग
बापू पी0 जी0 कालेज पीपीगंज गोरखपुर

मानव सम्पदा का विकास भौतिक संसाधनो के उत्तरोत्तर अधिकाधिक दोहन एवं उपयोग पर निधरते। अपनी उत्तरोक्तर पडिकृत होती प्रविधिकी से मानव निद्दी, वन, जल, खनिज का व्यापक एवं गतन उपयोग करता हुआ भौतिक उधादन एवं सुख सुविधा में विस्तार करता गया है। प्राधिकारी मुख्यतः चार प्रकार की होती है। 1) संसाधन निस्कर्षण 2) संसाधन रूपस्तरण 3) प्रविधिकी दूरीनिवारण 4) क्षेत्र संघनन प्रविधिकी। व्यक्ति मानव सध्यता की प्रगनि तथा प्रत्यों के लिए संतोषजनक जीवनस्तर, प्राकृत्रिक वातावरण के अन्धाधुन्ध शोषण पर अधिक दिन तक दिकाऊ नहीं सकता वस्तुतः प्राकृनिक संसाधन पूँजी के समान है, जिनका सुनियोजित ठगानक समुचित लाभ के कार्यो के विनियोग होना चाहिए।[1]

पृथ्वी तल पर विविध परिवेशो में मानव के आर्थिक क्रिया कलाप संसाधनों से सम्बन्धित रहे है। मानव ने श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करने के लिये अनेक आर्थिक व व्यापारिक कार्य किये है जिनके लिए उसे तकनीकी, बौद्धिक विकास करना पड़ा है। प्रारम्भ में कन्द मूल संग्रहित करने, लकड़ी काटने, आखेट करने व मछली पकडने के लिए मानव ने व्यापारिक कृषि तथा औद्योगिक गतिविधिया विकसित की जिनमें उन्हीं प्रारम्भिक संसाधनों का उपयोग किया गया लेकिन अपने बौद्धिक विकास से उनके उपयोग का प्रतिरूप बदल गया। पूर्व में मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति व भरण पोषण के लिए आर्थिक क्रिया कलाप करता था परन्तु धीरे–धीरे उन्नत और सुखी रहने की भावना से आर्थिक कार्यो का दायरा बढ़ाने लगा।[2]

मानव संसाधनो में किसी प्रदेश की जनसंख्या के वितरण, संसाधनों की तुलना में उसका घनत्व तथा इसके गुणात्मक पक्षों का अध्ययन प्रमुख है मानव संस्कृति के प्रतिरूप को भी एक संसाधन माना गया है। वह कारक या तत्व जो जरूरतो एवं लक्ष्यों को पुरा करने में समर्थ हो उसे संसाधन कहते है संसाधन मानव के लिये महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है तथा मानवीय उपयोगिता ही उसका अपना विशिष्ट गुण है। आम तौर पर संसाधन का आशय केवल मूर्त व गोचर पदार्थो से लगाया जाता है। किन्तु अनेक अमूर्त तत्व जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरा करते है संसाधन की श्रेणी में आते है। मूर्त तत्वों में भूमि, जल, वन, मिट्टी, खनिज पदार्थ कृषि फसले, ऑद्योगिक उत्पादन, कारखाने, भवन, सड़के आदि प्रमुख है। मनुष्य का स्वास्थ्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान, कार्यकुशलता, सामाजिक संगठन, आर्थिक उन्नति, राजनितिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संगठन आदि अमूर्त तत्व किसी भी देश काल में मनुष्यों के लिये उपयोगी होते है। अतः ये भी महत्वपूर्ण संसाधन है।[3] पदार्थ तो मानव के द्वारा संसाधन का रूप लेता ही है मानव भी अपने आप में संसाधन ही है। जिसके द्वारा अन्य संसाधन निर्मित होते है जिन्हें रूप मिलता है तथा ये संसाधन है – प्राकृतिक एवं मानवीय।

संसाधन एक ऐसा प्राकृतिक और मानवीय सम्पदा है, जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। मानवीय जीवन की प्रगति, विकास तथा अस्तित्व संसाधनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक प्राकृतिक संसाधन मानव–जीवन के लिए उपयोगी है, किन्तु उसका उपयोग उपयुक्त तकनीकी विकास द्वारा ही सम्भव है। भूमि, सूर्यातप, पवन, जल, वन एवं वन्य प्राणी मानव–जीवन की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान थे। इनका क्रमिक विकास तकनीकी के विकास के साथ ही हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी आवश्यकतानुसार

संसाधनों का विकास कर लिया है।[4] जोहन्स्टन के अनुसार, ''एक संकल्पना जो मानवीय सन्तुष्टि, सम्पन्नता तथा शक्ति प्रदान करने वाले स्त्रोतों को निर्दिष्ट करती है। श्रम, उद्यमी कौशल, विनिवेश, स्थिर पूँजीगत, ढाँचा, तकनीकीज्ञान, सामाजिक स्थिरता तथा सांस्कृतिक एवं भौतिक विशेषताए किसी देश के संसाधन माने जा सकते है।[5]

संसाधनों की प्रकृति गतिशील है, जो निरन्तर परिवर्तनशील रहते हुए नवीन स्वरूप प्राप्त करती रहती है तथा इसमें समय महत्वपूर्ण घटक है। पृथ्वी पर प्रारम्भिक रूप में जलवायु परिवर्तन से सघन वनस्पति आवरण विकसित हुआ, जिसका कालान्तर में भूगर्भिक उलट–फेर के उपरान्त कायान्तरण हुआ तथा कोयला एवं पेट्रोलियम बना। स्पष्ट है पूर्व में विकसित प्राकृतिक वनस्पति जीवाश्मीय ईंधन बन गई। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के उपयोग द्वारा मानव ने संसाधनों की प्रकृति को बदला है। प्राकृतिक वातावरण – मानव द्वारा उपयोग – तकनिकी ज्ञान एवं सभ्यता का विकास – संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि – संसाधनो की प्रकृति में परिवर्तन।

पर्यावरण के वे सभी तत्व जिनका मानवीय उपयोग सम्भव है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्रकृति के सम्पूर्ण जैव जगत का आधार है, जिन पर जीवों का अस्तित्व निर्भर करता है। इन सभी तत्वों पर मानव समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पक्ष भी निर्भर है। मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों का उपयोग करके ही सांस्कृतिक भू–दृश्य विकसित करता है। मनुष्य अपने ज्ञान, कौशल (Skill), तकनीकी दक्षता तथा जीवीय श्रेष्ठता के कारण अन्य जीवों से आगे निकल गया है। मनुष्य ने पर्यावरण कें प्रतिरोधों से बचने की विधियाँ भी विकसित कर ली है। बढ़ते मानवीय दबाव का प्रभाव सन्तुलित पर्यावरण पर पड़ा तथा संसाधनों का हास प्रारम्भ हो गया।

संस्कृति का निर्माता मानव स्वयं एक शक्तिशाली संसाधन है, जो प्राकृतिक तत्वों को अपने ज्ञान एवं कौशल के विकास के द्वारा संसाधन रूप में उपयोग करता है। वह संसाधनों का निर्माता एवं उपभोक्ता दोनों है, जो एक भौगोलिक कारक व संसाधन के रूप में सम्मिलित होकर कार्य करता है। मानव संसाधन में किसी निश्चित इकाई क्षेत्र में रहने वाली मानव जनसंख्या उसकी शारीरिक व मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य, जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठन तथा वैज्ञानिक व तकनीकी स्थिति जैसी विशेषताएँ सम्मिलित हैं।

मानव एक सक्रिय प्राणी के रूप में पृथ्वी तल पर विद्यमान संसाधनों एवं प्राकृतिक परिवेश का उपभोग करते हुए उसके साथ समायोजन (Adjustment) करता है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार प्रकृति प्रदत्त तत्वों में श्रेष्ठ का चयन करता है। वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी तल को अनेक रूपों में परिवर्तित करता है। कृषि विकास के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढीनुमा खेत बनाता है। नदी घाटियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास करता है। एक ओर आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक वनस्पति का विनाश करता है, वहीं दूसरी ओर इसके संरक्षण की सोच उत्पन्न कर वृक्षारोपण करता है। संसाधनों के उपयोग की दृष्टि से मानव केन्द्रीय स्थिति रखता है तथा निरन्तर प्राकृतिक परिवेश को परिवर्तित कर उसके अनुरूप अनुकूलन करता है। प्राकृतिक घटकों के रूपान्तरण की प्रकृति एवं दर मनुष्य की बौद्धिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर निर्भर करती है। संसाधन उपयोग का प्रारम्भिक स्वरूप केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमित था लेकिन धीरे–धीरे इसका स्वरूप आर्थिक विकास ने ले लिया तथा मानव ने संसाधनों के दोहन की दर में वृद्धि की जिसके फलस्वरूप उनकी कमी महसूस होने लगी तथा मानव को इसके संरक्षण की बात सोचनी पड़ी। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवधारियो के लिये सामान्य रूप से तथा मानव समुदाय के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते है मानव सामाज के सभी पक्ष (सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितक तथा आर्थिक)

इन्हीं प्राकष्तिक संसाधनों पर निर्भर करते है। संसाधन मानव समाज की आर्थिक वृद्धि तथा विकास के मूलाधाार होते है परन्तु प्रकृति से इनके विदोहन, मनुष्य द्वारा इनके उपयोग की प्रक्रिया तथा उपयोग के बाद इनके परित्यजन का पर्यावरण पर दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ता है।खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा कोयले का उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों, परिवहन तथा घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। इनके दहन (Combustion) से वायुमण्डल प्रदूषित होता है। इससे वायुमण्डल के प्राकृतिक गैसीय संघटन में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण वायुमण्डलीय प्रक्रम प्रभावित होते है।

संसाधन या प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक रूप में पाये जाने वाले पदार्थ है, जो किसी भी दशा में मानव के आर्थिक विकास तथा कल्याण (Well being) में प्रयुक्त रहता है। पर्यावरण में संसाधनों की उपलब्धता तथा वितरण भौतिक प्रक्रिया का परिणाम है जिन पर मानव का कमोबेश नियन्त्रण पाया जाता है।[6] संसाधनों की प्रकृति प्राकृतिक न होकर मानवीय भी होती है। बिना मानवीय प्रयास के प्रकृति में उपलब्ध कोई तत्व, पदार्थ या दशा संसाधन का रूप नहीं ले सकती है। उदाहरणर्थ भूगभ में स्थित खनिज उस समय तक संसाधन नहीं कहलाते है जब तक कि उनकी स्थिति दोहन के उपरान्त मानवीय उपयोग के योग्य न हो जाये तथा यह मानवीय प्रयासों से ही सम्भव है।

संसाधनों के गलत ढंग से उपयोग तथा उसके रख–रखाव में लापरवाही का भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधनों को सुलभता मनुष्य के क्रिया – कलापों को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरण के पक्षों में सबसे महत्तपूर्ण पक्ष है।[7] कालान्तर में मानव ने नई प्रौद्योगिकी कर विकास किया तथा अपने निजी पर्यावरण का निर्माण किया। यातायात के लिए भवनों, गॉवों, कस्बों तथ नगरों आदि का निर्माण किया। यातायात के लिए सड़के, पुल तथा रेल आदि का निर्माण किया तथा सिंचाई के लिए नहरों एवं कृषि यंत्रो का विकास किया। यद्यपि मानव के इनक कार्यों से पर्यावरण में कोई महत्तपूर्ण विनाश तो नहीं हुआ है। लेकिन पर्यावरण में परिवर्तन अवश्य हुए। विज्ञान एवं अत्यधिक विकसित, परिमार्जित एवं दक्ष प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के साथ औद्योगिक क्रांति का युग उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में प्रारम्भ हुआ और इसी के औद्योगिकरण के साथ मनुष्य तथा पर्यावरण के मध्य शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध की शुरूआत हुई।

वर्तमान में जहां सुख–सुविधा के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री तथा विद्युत आदि के निर्माण, उत्पादन के लिए कार्यरत कल–कारखानों, ताप विद्युत–गृहों से निकलने वाली विशैली गैसों, दूषित पानी और अन्य विशाक्त पदार्थों में भी से निकलने वाली विशैली गैसों, दूषित पानी और अन्य विशाक्त पदार्थों में भी प्रदूषण फैल रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्हें रोकने या कम करने वाले पेंड़ो तथा पौधों को अंधाधुंध काटने के कारण प्रकृति प्रदूषण रोकने में सफल नहीं हो पा रही है। धरातल पर बहुत सी मानवीय सभ्यताएं है, जो अपने को पर्यावरण से अलग नहीं मानती, और उनकी नजर में समस्त प्रकृति एक ही इकाई है जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है।

अतः मानव अपनी उपलब्धियों के सहारे भौतिक निवेष में अर्न्तप्रक्रिया का सांस्कृतिक परिवेष या सांस्कृतिक भू–दष्य की रचना करता है। यही उसकी पहचान का आधार है। वह अपनी तकनीकी उपलब्धि से संसाधनों का अधिकाथिक उपयोग का लाभदायक उत्पादक करता है। ताकि समाज स्वास्थ एवं सुखी रह सके। जो समाज अपने क्षेत्र के संसाधनों के उपयोग में पिछड़ जाता है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अन्य समाज पर निर्भर रहता है, या भुखमरी, अज्ञानता, अस्वस्थता और परतंत्रता में उलझ जाता है। इस प्रकार मानव समाज क्षेत्रीय स्तर पर विकसित, विकासशील तथा अविकसित स्तरों में बंट जाने से सांस्कृतिक परिमण्डलों की विषिष्टताएं मानव पर्यावरण अर्न्तसम्बन्धों पर आधारित होती है। इस तरह भौतिक पर्यावरण मानव जीवन के अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालता है। अनेको शोधों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि

भौतिक पर्यावरण मानव के विचारों तथा चिन्तन, विचाारधाराओं तथा संस्कृति एवं व्यवहार को भी प्रभावित करते है।

संसाधनों की सुलभता मनुष्य के जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। इससे ही मनुष्य अथवा किसी देश की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, सामाजिक स्थिरता व अन्तर्राष्ट्रीय, सम्बनध भी निर्धारित होते है। संसाधन की उपलब्धता या दुर्लब्धता मुख्य रूप से पर्यावरण पर निर्भर करती है विभिन्न पर्यावरणीय दशाओं में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाये जाते हैं, जो मनुष्य के कार्यकलाप को प्रभावित करते हैं। मनुष्य भौतिक पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस सन्दर्भ में मनुष्य भी भूमिका दो प्रकार की होती है। एक तरफ मनुष्य अपने हित के लिए केवल पर्यावरण का शोषण करता है, तो दूसरी तरफ शोषण के साथ–साथ पर्यावरणीय संसाधनों में योगदान भी करता है। पर्यावरणीय मुद्दों में वन और कृषि–भूमिक्षरण, संसाधन रिक्तीकरण (जल, खनिज, वन, रेत, पत्थर आदि) पर्यावरण क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता में कमी, पारिस्थितिकीय प्रणालियों में लचीलेपन की कमी, गरीबों के लिए आजीविका, सुरक्षा शामिल है।[8] इस तरह जीवों ने चारों ओर की वस्तुओं जो उनकी जीवन क्रियाओं को प्रभावित करती है।

आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई है कि प्रति वर्ष उनकी आवश्यकता करोड़ो टन की होती है। इस खपत की पूर्ति के लिए बड़ी–बड़ी खानों की आवश्कयता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ। फलस्वरूप खनिकर्म ने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया है। इसको खनन इंजीनियरी कहते है। संसार के अनेक देशों में, जिसमें भारत भी एक है, खनिकर्म बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओ तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी–छोटी खान ही पर्याप्त थी।

मानव पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अंग है और उससे प्रभावित भी होता है किन्तु आधुनिक मानव पर्यावरण की उपज मात्र नहीं है बल्कि उसका संशोधक और निर्माता भी है। आज पर्यावरण के साथ मानव के सम्बन्ध को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि आधुनिक मानव ने अपने विकसित मास्तिष्क के कारण पर्यावरण को प्रभावित ही नहीं किया है अपितु उसे नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त कर रहा है। आदि मानव की अपेक्षा आधुनिक मानव की क्षमता को भी प्रभावित करने लगा है। प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति में चिंतनशील एवं क्रियाशील होने के कारण मानव ने पर्यावरण में वर्तमान तक अनेक परिर्वतन किया है। वर्तमान समय में मानव पर्यावरणीय परिवर्तन का सर्वाधिक शक्तिशाली कारक के रूप में क्रियाशील है।

मानव एवं उसके समाज के उद्भव एवं विकास की प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण में इस ग्रहीय पृथ्वी के भौतिक तत्वों (स्थल, मृदा, जल, वायु वनस्पति तथा जन्तु) से मनुष्य के पर्यावरण की रचना होती थी तथा मनुष्य मूलरूप में भौतिक मानव था क्योंकि उसकी आवश्यकताएं (जल, वायु, भोजन तथा निवास) सीमित थीं तथा वह पूर्णरूपेण प्रकृति पर निर्भर था।

वास्तव में मानव पर्यावरण सम्बन्धों के निश्चयवादी परिदृश्य के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन होता है क्योंकि मानव जीवन के सभी पक्ष (स्वस्थ्य, सुख, आराम, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, नैतिक, सौन्दर्य) न केवल भौतिक पर्यावरण पर आश्रित होते है वरन् उसे बड़े पैमाने पर प्रभावित तथा नियंत्रित भी करते है। सेम्पुल ने मनुष्य पर पर्यावरण के पूर्ण नियंत्रण तथा प्रभाव को स्पष्ट किया है।

काल परिप्रेक्ष्य में देखा जाये तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य व पर्यावरण का संबंध सदैव एक जैसा नहीं रहा है। मनुष्य अपने भोजन की आूपर्ति के लिए पूर्णतः भौतिक वातावरण पर आश्रित था। जंगल से फलफूल तथा कन्दमूल प्राप्त कर अपना जीवन व्यतीत करता था। मानव गतिविधियों से पर्यावरण को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुॅचाती थी। यद्यपि मनुष्य विस्तृत पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करता था।

प्रारम्भ में आदि मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन (फल, फूल, मांस आदि) प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था। अतः मानव संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में पर्यावरण का अन्य कारकों के समान एक कारक मात्र था। जैसे–जैसे उसके समाज तथा उसकी संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, कौशल तथा प्रौद्यौगिकी का विकास होता गया वैसे–वैसे पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा सम्बन्ध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। जो मानव प्रारम्भ में प्रकृति का अंग तथा साझीदार था, वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। अतः मानव और पर्यावरण के मध्य सहभागिता तथा परस्वावलम्बन का सम्बन्ध सन्तुलित न रहा और मानव प्राकृतिक पर्यावरण का कारक एवं पालक न होकर उसका विध्वंशक हो गया। मानव पर्यावरण के मध्य बिगड़ते सम्बन्धों का मूलकारण मानव की प्रौद्योगिकी ही है क्योंकि इसी के कारण प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान औद्योगिक काल तक मानव पर्यावरण सम्बन्धों में आमूल–चूल परिवर्तन किया है। मानव की धार्मिक विचार धारा तथा भौतिकवादी दष्टिकोण ने भी मानव–पर्यावरण सम्बन्धों को बड़े पैमाने पर बदलने में अहम भूमिका निभायी है।

भौतिक संसाधनो को सुरक्षित रखने के लिये हमें नये उपायो पर विचार करना होगा प्राकृतिक संसाधनों को न केवल संरक्षित करना होगा बल्कि इसे बढ़ावा भी देना होगा। विकास की एसी नीतियों पर जोरदिया जाना चाहिए जिससे भौतिक संसाधनो का कम से कम क्षरण हो। मनुष्य और प्रकृति को इस विनाश से बचाने के लिये उस परम्परा की ओर लौटना होगा जहॉ मनुष्य और प्रकृति में सामंजस्य हो, विरोध नहीं, जीवन दृष्टि प्रकृति के संयमित और विवकेशील इस्तेमाल की हो, लूट–खसोट की नहीं, पर्यावरण की संस्कृति पर आधारित जीवन–पद्धति और जीवन दृष्टि की ओर लौटना होगा इसमें मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। इसी आधार पर हम अपने लिये और अपनी अगली पीढ़ी के लिये पर्यावरण को सुरक्षित व संरक्षित रख सकते है।

संदर्भ सूची

1. अर्थिक भूगोल के मूल तत्व, जगदीश सिंह, के0एन0 सिंह, ज्ञानोदय प्रकाशन गोरखपुर 2010 P 38–41
2. संसाधन भूगोल डॉ0 राम कुमार गुर्जर, डॉ0 बी0सी0 जाट, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2016 पेज 1 – 5
3. संसाधन भूगोल, सतनाम सिंह, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, दरियागंज नई दिल्ली 2008 पेज 14
4. संसाधन भूगोल डॉ0 राम कुमार गुर्जर, डॉ0 बी0सी0 जाट, पंचशील प्रकाशन, जयपुर 2016 पेज 11–17
5. Johnston, R.J, Gregory, D., Pratt, G and Watts, M., The Dictonary of Human Geography, 4th edition, p. 706
6. Fellmann, J., Getis, A. and Getis, J., Human Geography, Landscapes of Human activities, 1997, P.278
7. Human Activites and their Adverse Impact on Enviromental Dr. Pramod Kumar, Dr Roopam Sharma Pratyush Publications New Delhi 2018, Pg 194-195
8. पर्यावरणीय समस्याय, चन्द्राप्पा रमेश एवं डी0आर0 रवि रिसर्च इंडिया प्रकाशन दिल्ली 2009

आत्म–विकास : सम्प्रेषण–पारस्परिक निर्भरता – एक सिंहावलोकन

डॉ0 संजय कुमार खरवार
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग
राजकीय महाविद्यालय,
ढाढा बुजुर्ग, हाटा,
कुशीनगर

मनोविज्ञान में आत्म–विकास का अर्थ –अपने व्यक्तित्व तथा योग्यताओं के बारे में जानना एवं उनको उत्तरोत्तर विकसित करने से है। व्यक्तित्व विकास केवलसामाजिक दृष्टिकोण से ही आवश्यक नहीं होता बल्कि व्यवसायिक परिधि में आत्मविश्वास के प्रभाव से, व्यापारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से व्यापारिक लाभ के बढ़ने की पूरी सम्भावना भी रहती है। यह आत्मविश्वास सामाजिक लोगों से सम्पर्क करके ही सम्भव हो पाता है जो कि संचार के माध्यम से ही सम्भव है।

आत्म–विकास व्यक्तिनिष्ठ एवं सापेक्षिक है। विभिन्न व्यक्तियों के लिए इसका सम्बन्ध अलग–अलग होता है। आत्म शब्द का सम्बन्ध एक व्यक्ति के समग्रता से है जो उसके निजी गुणों एवं लक्षणों से सम्बन्धित है। गुणों की समग्रता से अभिप्राय व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक शक्ति, प्रतिमान, भौतिकवादिता, आध्यात्मिकता आदि गुणों से है एवं विकास शब्द का अभिप्राय व्यक्ति में नई–नई क्षमताओं एवं गुणों का विकसित होना है। इस प्रकार आत्म–विकास वास्तव में एक व्यक्ति में इन सभी गुणों के संतुलित शैली के विकास से है। अन्य अर्थों में आत्म–विकास से आशय व्यक्ति के सभी गुणों में परिवर्तन या विकास से है, जिसके कारण व्यक्ति के कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और व्यवहार में प्रगति के मार्ग दृष्टिगोचर होते हैं।

आत्म–विकास का उद्देश्य–

- हमें अपने आप को पूर्ण और एकरूपता के रुप में विकसित करना चाहते है जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व संतुलन और निर्णय लेने के सभी परिमाण मौजूद हों।

- लोगों के साथ मिलकर बिना भेदभाव, सहयोग एवं सहस से कार्य करने की योग्यता विकसित करने के लिए और साथ ही साथ विवेक से कार्य करने हेतु, ताकि अनैच्छिक तत्व अनुचित लाभ न लें सकें।

- अपने आप को केवल कर्मचारी के रुप में सेवायें प्रदान करने हेतु विकसित नहीं करना, बल्कि बहुमुखी और संस्थान के स्पष्ट दृष्टिकोण वाले नेता के रुप में विकसित करने के लिए।

- दिमाग को तर्क–संगत विशेषज्ञ, दूरदर्शी और कलात्मक रुप में पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए।

- यह सीखना कि कैसे सीखा जाए और पेशेवर दक्षता को अधिकतम सीमा तक विकसित करने के लिए।

- अपने अन्दर मूल्यवान, बहुमुखी उन मूल्यों को उत्पन्न करना जो कि विभिन्न जातियों, जीवों एवं सांस्कृतिक आन्तरिक बुद्धिमत्ता पर आधारित है।

- मानसिक विकास परिमाण में गहराई से सोचना, विश्लेषण करना, पढ़ना, लिखना और भविष्य निर्माण की कल्पना करना आदि सम्मिलित है।

- सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।

- अच्छी आदतों को अपनाना जिससे भावनाओं, समय, धन, एवं शक्ति की बचत की जा सके।

आत्म–विकास का महत्व –

1. **आत्मविश्वास में वृद्धि** –आत्मविश्वास एक व्यक्ति में साहस की वृद्धि करता है और जब व्यक्ति में इस साहस के कारण उठाने की क्षमता आ जाती है तो संदेशवहन भी उसी तेज गति से प्रारम्भ हो जाता है तथा इससे संगठन के लाभ की मात्रा बढ़ जाती है।

2. **सीखना एवं ज्ञान में वृद्धि** –आत्म–विकास एक व्यक्ति में सीखने की ललक उत्पन्न करता है, समझने और निर्वचन करने की इच्छा शक्ति को जन्म देता है। अतः इस दशा में, एक संदेशवाहक एवं संदेश प्राप्तकर्ता दोनों के ज्ञान में, संदेश के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

3. **आत्म सम्मान का विकास** –आत्म–विकास व्यक्ति को विनम्रता की तरफ मोड़ देती है जिससे स्व–सम्मान एवं स्वाभिमान को बल मिलता है।

4. **वैचारिक समझ में वृद्धि** –आत्म–विकास मानव की सोच में सकारात्मक परिवर्तन कर देता है तथा उसकी सोच–समझकर निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि कर देता है । इस तरह वह संदेशों की उपयुक्त ग्राह्यता के उपरान्त वह एक अच्छा व सार्थक परिणाम अपने श्रेष्ठ निर्णयों के आधार पर संगठन को दे सकता है।

5. **नव–सृजन एवं नव–प्रवर्तन** –एक व्यक्ति का दिमाग हमेशा नई रचनाओं के प्रति क्रियाशील रहता है और उसी के अनुसार संदेश प्राप्त होने पर रचनात्मक कदम बढ़ाते हुए वह नवीन शैली की वस्तुओं के उत्पादन की ओर सफलता प्राप्त कर सकता है।

6. **कार्मिक एवं सांगठनिक प्रभावशीलता में बढ़ोत्तरी** –आत्म–विकास से जब विचारों की स्पष्टता बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। आत्म–विकास झलकता है तो स्वाभाविक है कि संगठन में कार्यरत व्यक्तियों की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी और उत्पादन–क्षमता बढ़ने से संगठन भी प्रभवी स्वरूप में उभर सकेगा। संदेशों के आदान–प्रदान में भी श्रेष्ठता सिद्ध होगी।

7. **स्पष्ट–पूर्वाविचार** –एक संदेशवाहक तथा संदेश प्राप्तकर्ता के मन में, संदेश के प्रति कई विचार पनपते हैं किन्तु वे स्पष्ट रूप से तब उजागर हो पाते हैं, जबकि उसका आत्म–विकास बलवती होता है।

8. **व्यक्तित्व की अनुकूलता** –एक व्यक्ति के अन्तर्मन में पूर्वाविचार, सीख, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, शारीरिक दृष्टि, मानसिक रूचि, मूल्य, मानक आदि छिपी हुई स्थिति में होता है। आत्म–विकास इन्हें अन्तर्मन से बाहर निकालकर संदेशवाहक के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करने में पूर्ण सहायता करता है।

आत्म–विकास की विशेषताएँ –

1. आत्म–विकास एक सापेक्षिक एवं व्यक्तिगत प्रक्रिया है।
2. आत्म–विकास एक व्यक्ति के निजी गुणों एवं लक्षणों से सम्बन्धित है।
3. यह स्वतः अभिप्रेरण का परिणाम है, बाहरी अभिप्रेरण का नहीं।
4. आत्म–विकास एक व्यक्ति के शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों के विकास का नव–प्रवर्तन है।
5. आत्म–विकास से आत्मबल में वृद्धि होने के कारण सन्तुलित सोच को जन्म मिलता है।
6. आत्म–विकास व्यक्ति के समग्रता की ओर बढ़ते हुए, प्रतिमानों से भी ऊपर उठ जाता है।
7. आत्म–विकास का सम्बन्ध सन्देशवहन से होना स्वाभाविक है क्योंकि स्वविकास के कारण ही रचनात्मक लेखन एवं प्रभावशाली भाषा को बल मिलता है जिससे न केवल श्रेष्ठ श्रोता एवं एक वक्ता की श्रेणी में आ सकते हैं।

आत्म–विकास के सम्बन्ध मे ध्यान देने योग्य बातें –

- योजना बनाओ और समय के प्रति प्रतिबद्ध रहो।
- दूसरे व्यक्तियों को सम्मान दें और स्वीकार करें।
- जिम्मेदार तथा प्रतिक्रियात्मक रहें।
- मस्तिष्क का सही उपयोग करें।
- सीखना कभी मत रोकिए।

- अत्यन्त उत्तम मूल्यों को अपनाइये।
- प्रत्यक्ष ज्ञान से परिवर्तन लायें।
- हमेशा सकारात्मक सोच रखें।

सम्प्रेषण किस प्रकार आत्म–विकास करता है।

- **मौखिक संचार के माध्यम से आत्म–विकास** –समाज में रहने वाला हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता जो बुद्धिमान तो होता है, परन्तु वह दूसरों को अपने मौखिक संचार से संतुष्ट नहीं कर पाता जबकि एक ऐसा व्यक्तिजो अपनी बात से दूसरों को पूर्ण संतुष्ट कर लेता है भले ही वह अधिक बुद्धिमान नहीं है।

- **भाषा के संचार माध्यम से आत्म–विकास** – भाषा की समझ तथा उसके सही प्रयोग से व्यक्ति के आत्म–विकास में बढ़ोत्तरी सम्भव होती है। आप उसी भाषा का प्रयोग करें जो सुनने वाला समझ सके। जैसे– हिन्दी भाषा समझता हो तो हिन्दी भाषा का ही प्रयोग करना उचित है न कि अंग्रेजी भाषा। तभी वह व्यक्ति आपका सम्मान करेगा जब आप उससे उसी की समझ वाली भाषा का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपका आत्म–विकास संचार के माध्यम से सम्भव होगा।

- **लिखित सम्प्रेषण द्वारा आत्म–विकास** –जितना भी लेखन कार्य होता है वह एक प्रकार का एक संचार माध्यम है। ण्क व्यक्ति दूसरे के लिए जो लिखता है वह लिखित सम्प्रेषण के अन्तर्गत आता है। व्यक्ति ने जितना स्पष्ट समझ में आने वाली सामग्री लिखी है पढ़ने वाला उसे उतनी ही आत्मीयता एवं गहनता से पढेगा तब उसे समझकर अपने ऊपर लागू करेगा जिससे उसका आत्म–विकास सम्भव होगा।

- **आभाषिक सम्प्रेषण द्वारा आत्म–विकास** –अभाषिक सम्प्रेषण के विभिन्न स्वरूप जैसे– भाव–भंगिमा, आसन, चेहरे की मुद्रा आदि आत्म–विकास को बढ़ाता है। अभाषक सम्प्रेषण का निरन्तर प्रयोग व समझ व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। अभाषिक सम्प्रेषण कास यह स्वरूप केवल रूचिकर नहीं बल्कि निर्देशात्मक भी है। अतः ये आत्म–विकास को बढ़ाने में सहायक है।

- **श्रवण क्षमता द्वारा आत्म–विकास** –श्रवण प्रभावशाली सम्प्रेषण का एक विशेष अंग है। एक सफल व्यवसायी अपने ग्राहकों की बात को ध्यानपूर्वक सुनता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया उपयोगी सुझाव आत्म–विकास में सहायक होता है।

आत्म–विकास किस प्रकार सम्प्रेषण में सुधार लाता है?

- **व्यक्तित्व सम्प्रेषण दक्षता में सुधार लाता है**–आत्म–विकास से संचार दक्षता में सुधार आता है। एक उत्तम पद पर नियुक्त व्यक्ति उस व्यक्ति की जो उससे बातचीत कर रहा है

ध्यानपूर्वक सुन सकता है और उसके विचारों तथा अनुभूतियों को अच्छी प्रकार सकता है जो कि एक घमंडी और सहनशीलता न रखने वाला मनुष्य नहीं कर सकता। एक उच्च कोटी का पढ़ा–लिखा व्यक्ति लाईनों के बीच पढ़ सकता है और अच्छी प्रकार से लिख सकता है।

- **अच्छी सामूहिक दक्षता** –स्व–विकसित व्यक्ति लोगों के साथ सामान्य रूप से रह सकता है। दैनिक जीवन में जो आपसी झगड़े होते हैं उनके अधिकतम कारण हमारे अन्दर अन्तर्द्वन्द्व, अवचेतन स्वभाव और छोटेपन रहकर पहचान करना है। स्व–विकसित दूसरों के साथ एक साथ एकरूपता महसूस कर सकते हैं क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति में प्रकृति की एक विशिष्ट उपस्थिति और सार को स्वीकार करते हैं।

- **संतुष्टिकारक सहयोग** –आत्म–विकास द्वारा संतुष्टिकारक सहयोग एवं संचार को रास्ता मिलता है। कर्मचारियों में आपसी सहयोग और विश्वास की कमी के कारण संस्थान में संचार अप्रभावी सिद्ध होता है। आत्म–विकास द्वारा न केवल व्यक्ति में आत्म–विश्वास उत्पन्न होता है बल्कि उन व्यक्तियों में भी आत्मविश्वास उत्पन्न होता है जो उसके साथ कार्य कर रहे हैं। इससे संतुष्टि की भावना होती है और लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं।

- **विश्वसनीय नेतृत्व** –आत्म–विकास द्वारा ही लोगों को नेतृत्व द्वारा प्रभावित करने की एक विधि है । जिसके द्वारा लोगों का स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। विश्वसनीयता, सच्चाई, गहरी आन्तरिक सोच और स्पष्ट दृष्टिकोण सफल नेताओं की आवश्यक योग्यताएँ हैं। यह लोग दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं और एक वातावरण उत्पन्न करते हैं जिससे संचार व्यवस्था उपयागी सिद्ध होती है।

सन्दर्भ सूची–

1. अग्रवाल, डॉ0 पी0के0 एवं मिश्रा, ए0के0 : व्यवसायिक संचार, पृ0 41, 44.
2. मिश्रा, डॉ0 विनोद एवं शुक्ल, डॉ0 नरेन्द्र : व्यवसायिक सम्प्रेषण, पृ0 73, 75, 76.
3. सिंह, डॉ0 अनिल प्रताप : व्यवसायिक सम्प्रेषण, पृ0 61.
4. गुप्ता, डॉ0 ए0के0 एवं राज, विरेन्द्र कुमार बोध तथा ग्रोवर, सी0एल0 पृ0 7.3, 7.4, 7.5.
5. शर्मा, प्रो0 भगवती प्रकाश एवं जैन, प्रो0 राजीव एवं दयाल, डॉ0 पुरुषोत्तम पृ0 74, 75.

पंचायती राज व्यवस्था की अवधारणा : चुनौतियां एवं समाधान

डॉ0 सन्तोष कुमार सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग,
समता स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सादात, गाजीपुर

पंचायत जो भारत के ग्रामीण जीवन में प्रारम्भिक काल से गांव समाज की समस्या एवं परस्पर विवाद के समाधान के लिए एक सहज जीवन शैली और बाद में एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में व्यवहरित थी, वह 73वें सविधान संशोधन के बाद आज स्वतंत्र भारत की राज्य व्यवस्था की तीसरी सरकार के रुप में प्रतिष्ठित हुई है। भारत के संविधान के भाग 9 में इसके लिए लगभग वह सारे प्रावधान किए गए हैं जो किसी भी संस्था को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त होते है।

भारत का गांव एक सांस्कृतिक इकाई है। जो परिवार और पड़ोस से मिलकर बनती इस सांस्कृतिक इकाई का जो स्वरुप प्रारम्भिक रुप में विकसित हुआ वह गांव समाज है। लार्ड मेटकाफ ने ग्राम समाज को ''छोटे–छोटे प्रजातंत्र के रुप में'' परिभाषित करते हुए कहा कि, ''प्रत्येक समाज (ग्राम समाज) अपने आप में एक छोटा–सा स्वतंत्र राज्य होता है– उनके सुख का बहुत बड़ी हद तक जो साधन बनता है, उसके अन्तर्गत वे बड़ी मात्रा में स्वतत्रंता और स्वाधीनता का उपयोग करते है,,। अपने प्रारम्भिक काल से गांव समाज ने पंचायत की परम्परा को संजोया और अपने स्वावलम्बन तथ्झा आत्मनिर्भरता के लिए इसी का आधार बनाया। इतिहास के सभी कालों में वह परम्परा अक्षुण्ण रही है।[1]

पंचायती राजव्यवस्था का ऐतिहासिक स्वरुप

हमारी संस्कृति तथा सभ्यता के सदृश्य के ही पंचायत तथा पंचायती राज की एक गौरवशाली परम्परा का निरुपण सदियों से होता चला आ रहा है। वास्तव में ग्राम पंचायतों का अपना इतिहास है। अपनी रेखा तथा आकृति है। ग्राम पंचायतों का जन्म सभ्यता के विकास के साथ–साथ प्रारम्भ हुआ। प्राचीन काल से ही पंचायत स्वायत्त शासन पद्धति के रूप में कार्य कर रही है। राजनैतिक या धार्मिक घटना चक्र से होने वाले परिवर्तनों के होते हुए भी यह ग्रामीण समाज रचना अविचिलित रुप से चलती आ रही है।

पंचायतों के उद्भव के प्रारम्भिक काल और स्वरुप के विषय में कुछ कहना अत्यन्त ही किठन है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इतिहास सभ्यता के आरम्भिक काल के सम्बन्ध में पर्याप्त सूचना देने में असमर्थ है। विद्वानों का विचार है कि सबसे पहले मनुष्य ने कृषि युग में ग्रामीण समाजिक जीवन को जन्म दिया। मानव ने पेड़ो की छाया में रहने से आगे बढ़कर कृषि करने के अभिप्राय से जब गृहो का निर्माण किया तो फलस्वरूप समूहों का भी उद्भव हुआ। इसके साथ ही साथ संगठन तथा व्यवस्था का भी प्रश्न उठा। वेदों में ग्राम तथा ग्राम संगठनों की झलक अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है।

वैदिक काल में ग्राम स्वराज्य था, गाँव हर बातों के लिए आत्म–निर्भर था, गाँव अपनी जरुरत की चीजें स्वयं पैदा कर लेता था। वैदिक कालीन ग्राम शासन 'सभा' या 'समिति' के नाम से अभिहित किया जाता था ग्रामाध्यक्ष को वैदिक काल में 'ग्रामीण' कहते थे, उनकी आज्ञा दैवाज्ञा तुल्य थी। महाभारत में पंच और पंचायतों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। 'सभा पर्व' में नारद, युधिष्ठिर से पूछतें हैं ''क्या तुम्हारे राष्ट्र में बुद्धिमान और वीर पंच करों को वसूलने और पंचायत के अन्य सहायक कार्यो को करने में संलग्न है,,। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, श्रुति पुराण सभी में ग्रामीण सामुदायिक संगठन के सम्बन्ध में स्पष्ट तथा विस्तृत नियम मिलते है। इन ग्रन्थों में इस बात का वर्णन भी मिलता है कि ''सब परस्पर भातृ समान

है और साथ–साथ गण के कल्याण के लिये कार्य कर रहे है। न कोई ज्येष्ठ है न कनिष्ठ सब जल की लहरों के सदृश्य है, सारी जनता राष्ट्रहित की भावना से उत्प्रेरित होकर प्रेम सद्भावना के साथ सहयोग पूर्वक रहती थी,,।[2] प्राचीन पंचायतों के विषय में **आशुतोष कुमार** ने लिखा गया है कि वैदिक काल में लोग प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का आदनर करते थे और अनेक प्रकार से उसका अपभोग करते थें। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीण अथवा ग्राम का मुखिया प्रतिनिधि के रुप में उपस्थिति होता था तथा राजा सरपंच और मुखिया जनता के आदेशों का पालन करते थें, प्रजा चाहती तो वे बड़ी कुर्बानी करने को तैयार रहते थे। राजाओं और गाँव के हाकिम की कोई निजी राजनीति नहीं होती थी। सरपंच अपने आप ऐसा हाकिम बन जाता था जो प्रजा की सेवा करता था। उसे काँटों का यह ताज पहनने और जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए समझा बुझा कर राजी किया जाता था। **कौटिल्य** के अनुसार ग्राम के ऊपर पाँच ग्रामों का प्रायः समुह हुआ करता था, जिसके शासन का भार ''पंचग्रामी'' नामक राज्य कर्मचारी पर होता था। इसी प्रकार इस ग्रामों के सगठंन के ऊपर बीस–बीस गाँव के सगंठन होते थें और सौ–सौ तथा एक हजार ग्रामों के संगठित समूह होते थे। **कौटिल्य के अर्थशास्त्र** में चार प्रकार के ग्रामों का वर्णन मिलता है जो कि मौर्य काल में विद्यमान थे। **ग्रामागः परिहारकग्रामः** मौर्य काल में ब्राह्मण, विद्वान आचार्य, पुरोहित को राज की ओर से जमीने प्राप्त होती थी। ऐसी जमीने कर मुक्त हुआ करती थी। **योद्धा ग्रामः** इन ग्रामों में राजा कर नही लेता था, किन्तु उन्हें युद्ध के काल में प्रत्येक परिवार से योग्य सैनिकों की आशा रहती थी। कर देया ग्रामः इन ग्रामों में धन के रुप में कर नही लिया जाता था। धन के बदले में गाँव वाले अनाज देते थे। इन चारों प्रकार के गाँवों में पंचायती व्यवस्था थी। **दसवीं शताब्दी के शुक्र नीति–सार** में ग्राम पंचायतों का विस्तृत संगठन खचाने को मिलता है। उक्त वर्णन से यह पता चलता है कि उस समय ग्राम पंचायते निर्मित होती थी। ये गाँव पंचायतों का संगठन आधुनिक गणतन्त्र जैसा होता था। यह संगठन पाँच निर्वाचित व्यक्तियों को मिलाकर हुआ करता था। इसी कारण इसे **पंचायत** नाम से विभूषित किया गया। ये निर्वाचित व्यक्ति वयोवृद्ध, अनुभवी तथा प्रभावशाली होते थे। यही कारण है कि इनके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानून से भी अधिक प्रभावशाली होता था। वास्तव में पंच परमेश्वर की धारणा उस प्राचीन युग की अद्भुत कल्पना है जो कि सदियों से चलती आ रही है।[3]

18वीं शताब्दी से भारत में ब्रिटिश शासन का आरम्भ होने से पंचायतों की शक्ति पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस समय अनेक ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, जिनके फलस्वरूप पंचायतों की उपयोगिता समाप्त होने लगी। इन परिस्थितियों में जमींदारी प्रथा, नगरों में जमीदारी प्रथा नगरों में न्यायालयों की स्थापना पुलिस विभाग का ग्रामीण जीवन में हस्तक्षेप, पश्चिमीकरण से उत्पन्न, व्यक्तिवाद, औद्यौगीकरण, तथा नवीन भूमि व्यवस्था आदि प्रमुख दशाएँ थी।

19वीं शताब्दी में गाँव पंचायत की स्थिति का चार्ल्स मैटकॉफ ने सजीव वर्णन किया है। ''ग्राम समुदाय छोटे–छोटे गणराज्य है, जिसमें जो उन्हें चाहिए वह सब कुछ उपलब्ध है। वे अपने विदेशी मामलों में प्रायः स्वाधीन है। जहाँ कोई चीज नही टिक पाती वहाँ वे टिके रहते है। एक के बाद एक राजवंश लुढ़क जाता है एक क्रान्ति के बाद दूसरी क्रान्ति आती है, हिन्दू, पठान, सिक्ख और अंग्रेज क्रमशः देश के शासक बनते है, लेकिन गाँव समुदाय ज्यों के त्यों रहते है। संकट के समय वे शस्त्र उठाते और अपनी रक्षा करते हैं। जब कोई आक्रामक फौज गाँव से गुजरती है, तो ग्राम समुदाय अपने पशुओ को इकट्ठा कर अपने बाड़े के अन्दर कर लेते है और शत्रु को बिना भड़कायें चले जाने देते है। अगर वे लूटपाट का निशाना बनते है और उसका मुकाबला नही कर सकते, तो वे लौटकर अपने धन्धें शुरु कर देते है। अगर किसी प्रदेश में लूटपाट और मारकाट चलती रहती है, जिससे कि गाँव नही बच सकते तो शान्ति लौट अपने पर गाँव वाले पुनः जहाँ पर सहुलियत से कब्जा किया जा सकता है, लौट आते है। पुत्र–पिताओं का स्थान ले लेते है।

उन्ही जगहों, उन्ही जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, जिन पर कि उनके पूर्वज काबिज थे। ग्राम समुदायों का संगठन जिसमें कि हर एक ने अपने को पृथक राज्य के रूप में निश्चित किया, मेरे विचार में समस्त क्रान्तियों और परिवर्तनों के बीच भारतीय जनतन्त्र के बचे रहने तथा सुख और स्वतन्त्रता प्रदान करने का मुख्य कारण बना।

ब्रिटिश शासनकाल में व्यावहारिक रुप से पंचायतों का विघटन हो जाने के पश्चात् सरकार के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही थी कि ग्रामीण व्यवस्था को किस प्रकार बनाये रखा जाये। इस समस्या को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, **गाँव पंचायतों** के स्थान पर **ग्रामीण स्वायत्त शासन** की विचारधारा को कार्य रुप देने का निणर्य किया तथा इसकी अभिव्यक्ति के रुप में **जिला परिषदों की स्थापना** की, परन्तु ये परिषदें ग्राम्य जीवन के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नही कर सकी। सर्वप्रथम सन् 1919 में **''बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम''** पारित हुआ तथा इसके पश्चात् अनेक दूसरे प्रान्तों की सरकारों ने गाँव पंचायतों के लिए अधिनियम पारित कियें। सन् 1920 में ''कलकत्ता काँग्रेस अधिवेशन'' में गाँधी जी ने ग्राम पंचायतों की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी वकीलों से विदेशी न्यायालयों का बहिष्कार करने का अनुरोध किया। डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद ने गांवों में पंचायतों के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए यंग–इण्डिया में एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने न्यायालयों के स्थान पर ग्राम–पंचायतो को महत्व देने का सूझाव दिया। सन् 1922 में देशबन्धु चितरंजन दास ने भी अपने भाषणों में ग्राम पंचायतों की आवश्यकता पर बाल देते हुए अनेक सुझाव दियें। सन् 1931 की ''गोलमेज कान्फ्रेस'' में महात्मा गाँधी ने गाँव पंचायतों के पुनर्गठन की पुनः माँग की और इसके पश्चात् से ही उन्होंने गाँव पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्वराज्य की माँग आरम्भ कर दी। इस प्रकार स्वतंत्रता से पूर्व ही काँग्रेसी नेताओं के द्वारा ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए अथक प्रयास किये गये, लेकिन इसके पश्चात् ही भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व तक पंचायतों के पुनर्गठन के क्षेत्र में कोई व्यवहारिक सफलता प्राप्त नही की जा सकी।[4]

''स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था एवं संवैधानिक प्रावधान''

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण हो उठा। संविधान बनने से पहले कुछ राज्यों में ग्राम पंचायत कानून पास किये जा चुके थे। ग्राम पंचायत को बहुत से कार्य सौपे गयें, जिससे उन्हें अधिक स्वतन्त्रता से ग्रामीण विकास के अवसर प्राप्त हो सकें।[5] **महात्मा गाँधी** ने भी पंचायती राज को ही गाँव की स्वाधीनता एवं समृद्धि का साधन मानते हुए लिखा कि ''स्वतन्त्रता नीचे से प्रारम्भ होनी चाहिए, इस प्रकार प्रत्येक गाँव एक गणराज्य अथवा पंचायत का राज होगा, उनके पास पूरी सत्ता''और ताकत होगी। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक गांवा को आत्मनिर्भर बनना होगा। अपनी आवश्यकताएँ स्वयं पूरी कर लेनी होगी ताकि वह अपना सारा प्रबन्ध स्वयं चला सके।'' भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का विधान किया गया। **40 वीं धारा** में यह स्पष्ट रुप उल्लेख किया गया कि ''राज्य को यह प्रयास करना चाहिये कि ग्राम पंचायतों को पुनर्गठित किया जायें और इन्हें इतने अधिकार दिये जायें कि वे स्वशासन की इकाइयों के रुप में काम कर सकें,,। सविधान समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रचलित करने के सम्बन्ध में निर्णय करने से पूर्व ही विभिन्न राज्यों की काँग्रेस सरकारों ने पंचायत संस्थाओं को पुनर्जीवित करने का निर्णय कर लिया था। इस सम्बन्ध में **उत्तर प्रदेश** अग्रणी राज्य रहा, जिसमें 1947 में विस्तृत ग्राम पंचायत अधिनियम पारित हुआ, जिसने अन्य राज्यों के समक्ष उदारण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् 1951 दूसरी बार 1952 में और फिर सन् 1955 में ग्राम पंचायत अधिनियम को संशोधित किया गया, ताकि इन पंचायतों के समुचित विकास में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। 1953 तक लगभग सभी राज्यों में पंचायतो के लिये पृथक विभागों की स्थापना हो चुकी थी, जिनका कार्य राज्य पंचायतो राज अधिनियम को लागू करना, क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा पंचायत के संचालन का प्रबन्ध करना और उनके कार्यो

का निरीक्षण करना था। स्वतंत्रा के पश्चात् पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से समय–समय पर अनेक समितियाँ गठित की गयी है, जिसमें कुछ प्रमुख समितियाँ निम्नवत् है।

बलवंत राय मेहता समिति

बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 24 नवम्बर सन् 1957 सरकार के सम्मुख प्रस्तुत की गयी थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि लोगों में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति उत्साह क्यों कम है तथा इस समस्या को पार पाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए। इस समिति का प्रमुख निष्कर्ष यह था कि आम लोंगो को ग्रामीण विकास योजनाओं में भागीदार बनाने के लिए यह आवश्यक है कि योजना व प्रशासनिक सत्ता दोनों का विकेन्द्रीकरण हो। **इस रिपोर्ट में पहली बार विकेन्द्रीकरण के साथ लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया है।** इसका अर्थ यह है कि जिस लोकतांत्रिक प्रणाली को हमारे देश ने अपनाया है, उसमें प्रत्येंक ग्रामीण सक्रिय भाग ले। आम नागरिक यह महसूस करे कि शासन प्रक्रिया में उसका भी योगदान है। रिपोर्ट के अनुसार सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा का विकास इसलिए नही हो पाता कि इनमें जन सहभागिता के तत्वों का अभाव था। जनता स्थानीय कार्यकलापों में तभी रुचि लेगी जब उनके लिए प्रतिनिधि सभायें गठित हों। प्रतिवेदन में कहा गया है कि ''बिना जिम्मेदारी और अधिकारों के विकास कार्यो में प्रगति नही हो सकती। सामुदायिक विकास सही अर्थो में तभी हो सकता है। जब समुदाय अपनी समस्याओं को समझे, आवश्यक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। इस उद्देश्य से हम शीघ्र ही चुने हुए विधि सम्मत एवं निर्वाचित निकायों कि स्थापना करने की सिफारिशें करते हैं और आवश्यक संसाधन, अधिकार तथा प्राधिकार सौपे जाने की भी सिफारिश करते हैं। इस प्रतिवेदन में यह भी कहा गया था कि इन निकायों को अपना कार्य करने के लिए समुचित वित्तीय साधन मिलना आवश्यक है। इसके लिए एक कानून बनाकर आय के कुछ साधन इन्हें सौंप देने चाहिए। इन साधनों द्वारा जिन कार्यो के सम्पादन की समिति ने सिफारिश की थी, वे है– कृषि, पशुपालन, सहकारिता, लघु सिंचाई कार्य, ग्रामोद्योग, प्राथमिक शिक्षा, स्थानीय संचार, सफाई व्यवस्था व चिकित्सा आदि है।

बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट को **राष्ट्रीय विकास परिषद** ने स्वीकार किया और उसके बाद सभी राज्यों ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली अपनाई। **राजस्थान पहला राज्य था, जिसने पचांयती राज की शुरुआत की। नागौर जिले से पंचायती राज का प्रारम्भ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं0 जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को किया।** इसके बाद आन्ध्र प्रदेश ने 1959 से ही पंचायती राज की स्थापना की।

अशोक मेहमा समिति

12 दिसम्बर, 1977 को अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज समिति का गठन हुआ। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने हेतु निम्न सुझाव दिये हैः–

1. पंचायते दो स्तरों पर गठित होनी चाहिए। जिला स्तर पर जिला परिषद तथा मण्डल ब्लाक स्तर पर मण्डल पंचायत। (समिति ने ग्राम पंचायत स्थापित करने की सिफारिश नही की) औसतन 15,000 से 20,000 तक जनसंख्या पर एक मण्डल पंचायत होनी चाहिए। ग्रामों को ग्राम समितियों के माध्यम से मण्डल पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। चुनावों में अनुसूचित जाति व जनजाति को उनकी जनसख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का होना चाहिए। मण्डल व जिला स्तर पर दो ऐसी महिलाओं को भी जिन्होनें जिला परिषद चुनावों में अधिकतम मत प्राप्त किये हों, परिषद का सदस्य बनाया जाऐगा। जिला परिषद विभिन्न समितियों के द्वारा कार्य करेगी। ग्राम सभा का गठन होगा। जिसकी दो सभाएँ होगी। पंचायती राज चुनावों में राजनैतिक दलों की भागीदारी होगी।

2. पंचायतों की कार्य सूची विकास की गतिशीलता के आधार पर निर्धारित होनी चाहिए। विकेन्द्रीकरण को राजनैतिक खैरात या प्रशासनिक रियायत नही समझना चाहिए। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सम्बन्धित स्थानीय स्तरों पर पर्याप्त अधिकारों और कार्यो का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए तथा उसी अनुपात में उन्हें वित्तीय विकेन्दीकरण कार्यक्रम संभाले तथ जिला स्तर पर येाजना बनाए। पंचायतों को विकास कार्य सौंपना तब तक अपूर्ण रहेगा जब तक कि प्रचायतों को स्वयं निर्णय लेने और अपनी निजी आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रम बनाने का अधिकार नही दिया जाता।
3. पंचायतों को केवल जनता के विचार जानने की सभा न बनाकर उन्हें उपलब्ध संसाधनों से स्वयं अपने लिए योजना तैयार करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। जिला परिषद जिले की योजना बनाए, जिला स्तर पर जिला योजना बनाने के लिए योग्य समिति का गठन किया जाना चाहिए।
4. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से समाज के कमजोंर वर्गो को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने होंगे।
5. राज्य सरकार के कार्यो को विकेन्द्रीकरण करने के साथ–साथ सभी जिला स्तर के अधिकारी को जिला परिषद तथा उसके नीचे के स्तरों के अधीन रखना होगा। श्रेणी–1 और श्रेणी–2 का राजपत्रित कर्मचारी वर्ग राज्य सरकार के कैडर में रहें जबकि श्रेणी–3 तथा श्रेणी–4 का कर्मचारी वर्ग पूरी तरह से पंचायती राज सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया जाय। जिला परिषद के कर्मचारी वर्ग की नियुक्ति स्वतंत्र राज्य तथा जिला स्तर के बोर्डो द्वारा की जानी चाहिए। पंचायतों के लिए अलग से एक मंत्री होना चाहिए।
6. राज्य सरकार द्वारा बजट हस्तान्तरित करने के अलावा पंचायतों को स्वयं भी अपने वित्तीय साधन जुटाने होगें तभी वह सही ढंग से अपने दायित्वों को निभा सकती हैं। वसूल किये गये ऐच्छिक करों के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। भू–राजस्व पर उपकर, जन्मदर पर उपकर, स्टाम्प शुल्क पर अधिमूल्य, मनोंरजन कर, प्रदर्शन कर आदि पंचायतों को सौप देन चाहिए। इनमें अधिक प्रतिशत मण्डल पंचायतों को होना चाहिए। बाजार, हाट, मण्डी, मेले आदि राजस्व के महत्वपूर्ण साधन है। यें सब पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए। पंचायती राज वित्त नियम स्थापित किये जाने चाहिए।
7. मानवीय संसाधन– विकास के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अलग–अलग व संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्याकंन होना चाहिए। महिला मण्डल के गठन को प्रोत्साहन देना चाहिए। पंचायती राज सरकारों को मजबूत बनाने तथा जन समर्थन जुटाने के लि स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए।
8. सहकारी समितियों व पंचायती राज संस्थाओं में समन्वय का सम्बन्ध होना चाहिए। मण्डल पंचायतों का आधारभूत ढाँचा मजबूत करने के लिए ग्रामीण बैंको की स्थापना की जानी चाहिए। जिला परिषद व मण्डल पंचायत का नगरपालिकाओं से सम्बन्ध स्थापित होना चाहिए।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस समिति ने जिला स्तर को तीसरी सीढ़ी की सरकार बनाने की बात कही, जो पंचायती राज व्यवस्था को वास्तव में स्वायत्त शासन की सरकार बनाने के लिए आवश्यक थी। इस समिति ने पंचायतों को विकास संस्थाएँ बनाने के बजाए राजनैतिक संस्थाएँ बनाने की सिफारिश की।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर राज्यों ने अपने–अपने पंचायत अधिनियमों में अपनी स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संशोधन किये, लेकिन यह शुरूआती उत्साह सभी राज्यों में अधिक समय तक कायम नही रह सका। पश्चिम बंगाल

कर्नाटक आन्ध्रप्रदेश आदि राज्य ही है जहाँ 1978 से लेकर अब तक नियमित रुप से पंचायतों के चुनाव होते रहे है, वहाँ राज्य के बजट का बहुत बड़ा भाग इस संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास पर व्यय हुआ।

जी0 वी0 के0 राव समिति

योजना आयोग द्वारा इस समिति का गठन 25 मार्च 1985 को ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलना से सम्बन्धित प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1985 में प्रस्तुत की । इस समिति ने पंचायतों की आर्थिक स्थिति, उनके चुनाव और कार्य कलापों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकारें लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के प्रति उदासीन रही है। अधिकांश राज्यों में पंचायतें शक्ति व अधिकार तथा संसाधनों के अभाव में निष्प्रभावी होती जा रही है। समिति ने पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए निम्न सुझाव दिये–

1. योजनाएँ तैयार करने, निर्णय लेने व उसे लागू करने कार्यो पचायतों को सौपा जाए, क्योंकि वे जनता के अधिक निकट है। राज्य की शक्ति को जिला स्तर पर पंचायतों को सौंपना आवश्यक है।
2. समिति का मत था कि जिला स्तर पर विशेष रुप से विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। जिला परिषद के एक सदस्य को 30,000 ये 40,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। बैंकों, शहरी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के प्रतिनिधि, विधानसभाओं के सदस्य, व संसद भी इसमें सहयोजित होने चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग व महिलाओं का इनमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने चाहिए। समाज के कमजोर वर्ग व महिलाओं का इसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहियें इसका कार्यकाल 8 साल का होना चाहिए। कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव कराना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में यदि उनका कार्यकाल बढ़ाया भी जाय तो वह 6 महीने से अधिक नही होना चाहिए।
3. जिला स्तर के सभी कार्यालय स्पष्ट रुप से जिला परिषद के अधीन होने चाहिए। कृषि, पशुपालन, सहकारिता लद्यु सिंचाई, प्राथमिक व प्रौढ़ शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, जिले की सड़कें, लद्यु व ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति का कल्याण, समाज व महिला कल्याण और सामाजिक वन पालन जिला परिषदों को दे देने चाहिए।
4. कार्य सम्पादन के लिए जिला परिषदों की विभिन्न समितियाँ गठित की जानी चाहिए।
5. राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली धनराशि को निर्धारित करने का काम वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए, जिसकी नियुक्ति हर पाँच साल के बाद होनी चाहिए। जिला स्तर पर वित्त पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य विकास परिषद का गठन होने चाहिए। राज्य सरकार में सभी मंत्री व जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होने चाहिए तथा विकास आयुक्त को इसका सचिव होना चाहिए।
6. जिला स्तर से नीचे पंचायत समिति या मण्डल पंचायतें गठित की जानी चाहिए और इनका गठन व संरचना जिला परिषद जैसी ही होनी चाहिए। प्रत्येक गाँव में ग्राम सभा हो, यह बात भी समिति ने कही।
7. पंचायत समिति या ग्राम व मण्डल पंचायत स्तर पर बच्चों, महिलाओं व प्रौढ़ों के कल्याण के लिए एक उपसमिति का गठन होना चाहिए, जिसके सदस्य मुख्यतः महिलाएँ होनी चाहिए।
8. जो विभिन्न समाजसेवी संस्थाएँ ग्रामों में कार्य कर रही है, पंचायतों को विभिन्न समितियों के माध्यम से उनकी सेवाएँ लेनी चाहिए। इस प्रकार इस समिति ने पंचायतों को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की संस्थाएँ बनाने के लिए कई ठोस सुझाव सरकार को दिए।

एल0 एम0 सिंघवी समिति

इस समिति का गठन 1986 में किया गया था। इसने ग्राम सभा को महत्व दिया। ग्राम सभा को लोकतंत्र के केन्द्र बिन्दु के रुप में देखा गया। इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें है–

1. स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता दी जाय।
2. पंचायत स्तर पर चुनाव नियमित और बिना किसी देरी के कराये जायें।
3. पंचायती राज के काम करने के ढंग से सम्बन्धित मामलों का निपटारा करने के लिए हर एक राज्य में पंचायती राज न्ययियक (कानूनी) अधिकरण का गठन किया जाए।
4. पंचायतों को प्रभावशाली ढंग से काम करने के लिए काफी मात्रा में धन की व्यवस्था की जाए।
5. राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित न किया जाय।
6. मामलों के निपटाने के लिए न्याय पंचायत को मध्यस्थता या बीच बचाव का कार्य सौंपा जाए।[6]

73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1993

पंचायती राज व्यवस्था कों सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से समय–समय पर अनेक समितियाँ गठित तो की गयी, किन्तु उनसे वांछित लक्ष्यों को पूर्णरुपेण प्राप्त नही किया जा सका। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से 24 अप्रैल, 1993 को 'पंचायती राज अधिनियम' लागू किया गया। इस अधिनियम में नियत समय में चुनाव कराने, सभी वर्गो को भागीदारी देने और बेहतर वित्तीय आवंटन कर पंचायतों को सवैधानिक रुप प्रदान किया गया है। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नवत् हैः–

संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अध्याय–9 जोड़ा गया। इस अध्याय में 16 अउच्छेद और एक अनुसूची (ग्यारहवीं अनुसूची) जोड़ी गईं। इस अधिनियम के पारित होने से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावशील हो गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैः–

1. ग्राम सभा– प्रत्येंक गाँव में एक ग्राम सभा होगी और वह राज्य विधान मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिकारों का उपयोग और कार्यो का निष्पादन करेगी।
2. पंचायतों का गठनः अनुच्छेद 243 (ख) में त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा, किन्तु मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन उस राज्य में नही किया जायेगा, जिसकी आबादी 20 लाख से अधिक नही है।
3. पंचायत की संरचनाः ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जायेगा। मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव सीधे न होकर निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जायेंगा, लेकिन ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चयन करने का निर्णय राज्य विधान मण्डल को दिया गया है।
4. पंचायतों में आरक्षणः (1) प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तीनों स्तरों पर स्थान आरक्षित रहेगें। आरक्षित स्थानों में एक तिहाई स्थान इन वर्गो की महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे। आरक्षित रहेंगे। (2) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचान द्वारा भरे जाने वाले स्थानो की कुल संख्या के एक तिहाई स्थान (जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या

सहित) महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे, और चक्रानुसार से पंचायत के विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों को आवंटित किये जायेंगे।

5. पंचायतों का कार्यकालः प्रत्येक राज्य की पंचायत राज सस्थाओं का कार्यकाल सामान्य रुप से पांच वर्ष निश्चित किया गया है, किन्तु अगर कोई पंचायत विघटित कर दी जाती है तो नयी पंचायत का गठन शेष अवधि के लिये किया जायेगा।
6. सदस्यों की योंग्यता : पंचायत सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्न योग्यतायें होनी चाहिये– (1) व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, (2) वह व्यक्ति प्रवृत्ति विधि के अधीन राज्य विधान मण्डल के लिए निर्वाचित होने कि योग्यता (आयु के अतिरिक्ति अन्य योग्यताएँ) रखता हो, (3) वह राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गयी विधि के अधीन पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो।
7. पंचायतों के निर्वाचन : पंचायत के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और पंचायतों के सभ निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, इसके लिये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगी, जिसे केवल उसी रीति और उसी आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
8. पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व : संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तिया और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो वह उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रुप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए भावश्यक समझें। ग्यारहवीं अनुसूची ऐसी विषयों के सम्बन्ध में है जो राज्य सरकार आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए उन्हें सौंपना चाहें। ग्यारहवीं गनुसूची में पंचायतों के लिए निर्धारित कार्य निम्नवत् है।

ग्यारहवीं अनुसूची (अनुच्छेद 243 छ)

(1) कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार भी है, (2) भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबन्दी और भूमि संरक्षण, (3) लद्यु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जल आच्छादन विकास, (4) पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन, (5) मात्स्यिकी, (6) सामाजिक वनोद्योग और फार्म वनो[7] द्योग, लद्यु का उत्पादन (8) लद्यु उद्योग जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है, (9) खादी ग्राम और कुटीर उद्योग (10) ग्रामीण आवासन (11) पेयजल (12) ईधन और चारा (13) सड़क, पुलियाँ, पुल, फेरी, जलमार्ग तथा संचार के अन्य साधन, (14) ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी है, (15) गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत, (16) गरीबी उपशमन कार्य{म (17) शिक्षा जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है, (18) तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा (19) प्रौढ़ और अनीपचारिक शिक्षा, (20) पुस्तकालय, (21) सांस्कृतिक क्रियाकलाप, (22) बाजार और मेंले (23) स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी है, (24) परिवार कल्याण, (25) स्त्री और बाल विकास, (26) समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रुप से मंद व्यक्तियों का कल्याण, भी है, (27) दुर्बल वर्गो का और विशिष्टतया अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, (28) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, (29) सामुदायिक अस्तियों का अनुरक्षण।

इस प्रकार इस संविधान के तिहत्तरवें संशोधन अधिनियम के लागू होने से भारत में सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक नई शुरुआत हुई।

पंचायती राज की वर्तमान स्थिति

सच्ची आजादी, लोकतन्त्र में जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी तथा सत्ता का सही अर्थो में विकेन्द्रीकरण जैसी घोषणाओं के साथ आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व देश में नए पंचायती राज को लागू किया गया था। तब से लेकर अब तक विभिन्न राज्यों में इस घोषणा को व्यवहार में उतारने की कोशिश अपने–अपने तरीके से की जाती रही है। वह कोशिश कितनी ईमानदारी के साथ की जाती रही अथवा वह कितनी सफल रही या असफल रही इस पर कई तरह के मतभेद हैं। कुल मिलाकर सच्चाई यही है कि जिस सोच और सपने के साथ नया पंचायती राज था गया है उनसे अभी वह कोसों दूर है। इसके कारण भी कई हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कारण है उसमें जहां एक ओर अभी तक पंचायतों को संविधान के अनुसार सुचित अधिकार और दायित्व का न प्राप्त होना है वहीं दूसरी ओर पंचायतों के प्रति लोगों की उदासीनता प्रमुख है, जो सर्वाधिक चिंता का विषय है।

यह उदासीनता इस अर्थ में नहीं कि पंचायत के चुनाव में लोगों की भागीदारी कम है बल्कि इस अर्थ में कि पंचायतों के कामकाज में लोगों की कोई खास रूचि नहीं है। यह अरूचि जहां एक ओर पंचायतों में व्याप्त अनियमितताओं के कारण है वहीं दूसरी ओर पंचायत के प्रति लोगों में स्वामित्व और अपनत्व का जो भाव आना चाहिए और अभी तक नहीं आ पाया है।

इसके चलते अधिकांश राज्यों में पंचायत का संस्थागत स्वरूप विकसित ही नहीं हो पा रहा है। जिसके परिणामस्वरुप पंचायत चुनाव में उसके अध्यक्ष का पद ही एकमात्र महत्वपूर्ण पद हो गया है। जिसके लिए छल, बल और धन का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। सामान्यतया पंचायत का मतलब सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की एजेंसी तक सीमित होकर हर जाने से यह पद सर्वाधिक विवादित और संघर्षपूर्ण हो गया है और यही शक्ति प्रदर्शन का केन्द्र–बिन्दु बन गया है।

पचांयतो को **'सरकार'** के रूप इसके लिए प्रतिष्ठित किया गया था कि जमीनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार जनभागीदारी के साथ स्थानीय स्तर पर योजना बनाई जा सके और उसे उसी स्तर पर क्रियान्वित किया जा सके। समावेशी और टिकाऊ विकास की यही पहली शर्त भी है। लेकिन विगत 25 वर्षो की इस यात्रा में यदि कुछ राज्यों को छोड़ दे तों अधिकांश राज्यों में पंचायते अपने इस दायित्व के निर्वहन से कोसों दूर खड़ी है। उन्हें न तो इसके लायक बनया गया और न तो सही अवसर और पर्याप्त साधन मुहैया कराए गए।

भारत सरकार की चिंता और उसके प्रयास भारत सरकार के स्तर से पंचायतीराज व्यवस्था को सविंधान की भाषा के अनुरुप तीसरे स्तर की सरकार के रुप में प्रतिष्ठित करने के लिए समय–समय पर आयोंग एवं समूहों का गठन किया जाता रहा है। इसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग तथा इसी सम्बन्ध में वी रामचंद्रन की अध्यक्षता में बने कार्य समूह (वर्ष 2011) की संस्तुति एवं सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है।

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से संविधान के अनुच्छेद 243 (छ) जो पंचायतों के प्राधिकार और दायित्व से सम्बन्धित है, को पुनः संशोधित करने का सुझाव दिया है। उसने अपने स्तर से इस अनुच्छेद में 11वीं अनुसूची के सभी विषयों से संबंधित अधिकार सौंपने के स्पष्ट प्रावधान की बात की है। इतना ही नहीं उसने संघ एवं राज्य की सभी संगत कानूनों की तत्काल समीक्षा करने तथा उनकी तदनुसार संशोधित करने का भी सुझाव दिया है। उसने सविधान के अनुच्छेद 252 जिसमें दो या अधिक राज्यों के लिए संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, का हवाला देते हुए कहा है कि ''स्थानीय शासनों और समुदायों को अधिकारों, जिम्मेदारियों और कार्यो को हस्तातंरण का विस्तृत सिद्धांत विहित किया जाना चाहिए जिसमें पूरकता का सिद्धांत, लोकतात्रिंक विकेन्द्रीकरण, सही मायने में सत्ता का हस्तांतरण तथा नागरिक केन्द्रित व्यवस्था को विशेष रुप से शामिल किया गया है।

लगभग इसी प्रकार **वी0 रामचंद्रन** की अध्यक्षता वाले कार्य समूह ने स्थानीय सरकार के एक मजबूत तंत्र के विकास को केन्द्र में रख कर अपनी संस्तुतियां दी है। **रिपार्ट के दूसरे चैप्टर** में कार्य समूह की यह चिंता कि, ''पंचायत स्थानीय सरकार के रुप में दिखाई नहीं पड़ रही है, उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया है जिसमें अधिकारों के हस्तांतरण का न होना, केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से पंचायत के द्वारा समानांतर अन्य संस्थाओं को खड़ा करना, नौकरशाही का नियंत्रण, सिंर्फ केंन्द्र व राज्य की स्कीमों के लिए धन देना तथा राज्य के अधिनियम में ग्राम सभा को पर्याप्त अधिकार न देना जैसे कारणों को चिह्ति किया है,,। इन कारणों से मुक्ति का रास्ता भी उसमें सुझाया है। इसके लिए उसमें अगले 6 वर्षो (2011 से 2017 तक) के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया था। इसी के साथ पंचायत के लिए कर्मचारियों का अलग से कैडर बनाने सामान्तर संस्थाओं को पंचायती व्यवस्था में विलय करने, 29 विषयों के समस्त कार्य, कर्मी कोष पंचायतों को सौपने तथा स्थानीय नियोजन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। साथ ही चुने हुए प्रतिनिधियों की क्षमता और कुशलता के विकास के तथा मतदाताओं की जागरुकता पर भी बल दिया है।

भारत सरकार की तो शुरुआती दौर से ही यह मंशा रही है कि नयी पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभाओं को वही स्थान व अधिकार प्राप्त हो जो देश की राज्य व्यवस्था में विधायिका को प्राप्त है। इस संदर्भ में 17 मार्च 1999 को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री की और से देश के सभी मुख्यमंत्रीयों को भेजा गया वह पत्र उल्लेखनीय हैं। जिसमें ग्रामसभा को विधायिका का दर्जा दिए जाने का सुझाव है। उसमें स्पष्ट रुप से उल्लेख किया गया है कि जब तक भूमि और संसाधनों के प्रबंधन और झगड़ों को निपटाने के अधिकार ग्राम सभाओ को नही सौंपे जाते, तब तक वास्तविक स्वाशासन नही हो सकता हैं

ग्राम पंचायत विकास योंजनाः अपनी सरकार की अपनी योजनाः

भारत के संविधान द्वारा पंचायत को सेल्फ गवर्नमेंट के रुप में प्रतिष्ठित किये जाने का परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो राजस्व (रेवन्यू) इकट्ठा होता है उसका एक हिस्सा इस सरकार को भी अब मिलने लगा है। भारत के 14 वे वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को पांच वर्ष (2015 से 2020 तक) के लिए लगभग दो लाख करोड़ रूपये का हिस्सातय किया था। जौ औसतन प्रति ग्राम पंचायत 80 लाख रुपया होता है। यह धनराशि भारत सरकार या राज्य सरकार किसी स्कीम का पैसा नही है, यह वित्त अयोग द्वारा तय की गई वह धराशि है जिसके आधार पर **'अपनी गांव सरकार'** को स्वयं अपने गांव के विकास के लिए योजना बनानी है। किस विषय पर योजना बनेगी और कैसे बनेगी, यह सब गांव के नागरिकों को स्वयं तय करना है। तथा अपनी ग्राम सभा के माध्यम से स्वयं उसे स्वीकृत भी करना है। अर्थात उसे अपने गांव के वकास के बारे में विचार करने का, निर्णय लेने का तथा स्वंय करने का पूरा अधिकार इस बजट के माध्यम से उसी तरह से दिया गया, जिस तरह भारत सरकार को भारत के बारे में तथा राज्य सरकार को राज्य के बारे में दिया गया है। इस पंचवर्षीय योजना को **'ग्राम पंचायत विकास योजना'** (जी0पी0डी0पी0) के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

15 वें वित्त आयोंग को भी अंतरिम रिपोर्ट आ गई है जिसमें वर्ष 2020–21 के लिए 60,750 करोड़ रूपये का आवंटन पंचायत सरकार के लिए किया गया है। वास्तव में यह योजना सही अर्थो में पंचायत को सरकार के रुप में प्रतिष्ठित करने का अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

ई– पंचायत की एक सार्थक पहल–

कंम्प्यूटर, इंटरनेट और अन्य संबधित एप्लीकेशनों का उपयोग भी पंचायतों को अधिक सक्षम संस्था के रुप में कार्य करने और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा ई–पंचायत की एक सार्थक पहल शुरु की गयी है।

इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनके कंम्प्युटर आधारित एप्लीकेशन विकसित की गई है, जिनका उपयोग पंचायतें नियोजन एवं बजटिंग लेखांकन सूचना की रिपोर्टिंग और प्रदर्शित करने हेतु कर सकती है। ई–गवर्नेस के अन्तर्गत केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों को सूचना एवं संचार तकनीकों (आईसीटी) का संरचानात्मक ढांचा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे है

पंचायत के कामकाज में कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग पंचायतों; को पारदर्शित से निर्णय लेने, नागरिकों को सूचना प्रदार्शित करने, सामाजिक लेखा परीक्षा, नागरिकों को बेहतर सुविधा सेवा सुपुर्दगी के लिए आंतरिक प्रबंधन और कार्य कुशलता में सुधार के लिये, निर्वाचित प्रतिनिधियों, और अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए संवाओ एवं सामान की पारदर्शी अधिप्राप्ति के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के उपयोग में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने 11 एप्लीकेशन वाला एक पंचायत एंटरप्राइज साईट (http://panchayatonline.gov.in) विकसित है।

1. **लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (एल0 जी0 डी0)–** स्थानीय शासन निर्देशिका (लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी) का उद्देश्य पंचायतों की निर्देशिका को ऑनलाईन रखना है। इसके माध्यम से सभी राजस्व ग्रामों को, ग्राम पंचायत से, ग्राम पंचायत को क्षेत्र पंचायत से तथा क्षेत्र पंचायत को जिला पंचायत से मैप किया गया है।
2. **प्लाान प्लास–** प्लाान प्लास सॉफ्टवेयर, पंचायतों और स्थानीय निकायों की प्लाानिंग प्रक्रिया मदद करने हेतु
3. एक्शन सॉप्ट– कार्यो की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की रिपार्ट के लिए।
4. प्रिया सॉप्ट– अकाउंट्स के सहज एवं पारदर्शी रखरखाव और प्रबंधन हेतु।
5. नेशलन ऐसेट डायरेक्टरी– पंचायतों द्वारा सृजित/नियत्रित व अनुरक्षित परिसंपत्तियों को एक यूनीक कोड प्रदान करने हेतु।
6. एरिया प्रोंफाइल (Areaprofiler)– इसमें पंचायत अपनी प्रोफाइल बना सकते है, जिसमें उसका संक्षिप्त ब्यौरा, पहुचने के लिए मार्ग, पर्यटकों की रुचि के स्थान, ठहरने की सुविधा आदि शामिल है।
7. नेशनल पोर्टल– पंचायते, राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल (नेशनल पंचायत रिपोर्ट) ई–एप्लीकेशन का उपयोग करके, अपनी स्वयं की वेबसाइट बना सकती है।
8. सर्विसप्लस एवं शिकायत निवारण– कार्यकर्ता विशेष के कार्य निष्पादन की निगरानी करने और सुधारात्मक कदम उठाने हेतु।
9. सोशल आडित मीटिंग मैनेंजमेंट– सामाजिक लेखा परीक्षा तथा बैठक का प्रबंधन एप्लिकेशन। इसका उद्देश्य केंन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग–अलग योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो की सामाजिक लेखा परीक्षा को सुसाध्य बनाना है।
10. ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल– ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण संबधी।
11. जीआइएस – पंचायतों को अन्य ई–एप्लीकेशनों पर उपलब्ध बुनियादों आंकड़ों को एक जीआईएस मैप पर उपलब्ध कराने हेतु।

पंचायती राज की चुनौतियाः

ग्रामीण जनता के विकास के लिए केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा समय–समय पर विकास की योजनाओं का निमार्ण एवं क्रियान्वयन तो किया जाता हैं लेकिन पंचायती राज की कार्यप्रणाली के क्रियान्वयन में चुनौतियों के कारण इन योजनाओं का लाभ उन ग्रामीणों तक नहीं पहुच पाता है जो वास्तव में जरुरत मंद है, इन चुनौतियों के पीछे प्रशासकीय क्रियान्वयन अभिकरणों से संबधित तंत्रों के कारण दिन–व–दिन बढ़ती ही जा रही है। विकास की समस्याएं इस प्रकार है।

1. **योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों की चुनौतीः–** हम सभी जानते है कि योग्य प्रशासकों एवं विशेषज्ञों के अभाव में नियोजन कार्य असफल हो जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के समय में विशेषज्ञ व प्रशासक प्रशासन में आये लेकिन जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए वह स्थान उन्हें नही मिल पाया। अतः वे अपने आप को निराश व हतास अनुभव करते है एवं साथ–साथ उनका कार्य करने का मनोबल निरन्तर गिरता जाता है तथा वे कार्यरत स्थान को छोड़कर अन्यत्र स्थानों में कार्य शुरु कर देते है। यदि संयोग से कोई दक्ष प्रशासक या विशेषज्ञ अपनी इमानदारी लगन, परिश्रम के स्थान विकासात्मक कार्य करने का प्रयास भी करता है तो उसमें राजनीतिक एवं हाई कमान के दबावों से दबाव में आकर वह विकासात्मक कार्य चाह कर भी नही कर सकता जिससे दिन–ब–दिन प्रशासकों एवं विशेषज्ञों का अभाव बढ़ता ही जा रहा है।
2. **स्ही व विश्वसनीय तथ्यों की कमीः–** बिना तथ्यों एवं आकड़े के न कोई योजना बन सकती और न ही कोई वास्तविक कल्पना की जा सकती क्योंकि प्रशासन के पास आकड़ों का का निराभाव है। आकड़े तो सभी विषयों में मिल जाते है। परंन्तु वे सही व विश्वसनीय नही प्राप्त होते है। उदारणार्थ– विधवा पेंशन योजना अथवा ग्रामीण आवास योजना। जब तक प्रशासन को सही व विश्वसनीय तथ्यों के आकड़े नही प्राप्त होंगे तब तक ग्रामीण विकास के विकासात्मक कार्यो की योजना बनान एवं उनके क्रियान्वयन व वास्तविक परिणामों की कल्पना करना व्यर्थ होगा।
3. **अधिकारियों व पदाधिकारियों के बीच संबंधो की चुनौतीः** जहाँ नीति निर्माण होते है तथा समन्वयन नहीं किया जाता है वहाँ जिले के विकास कार्यक्रमों में अवरोध पैदा कार्य होता है, जिससें विकास कार्य शिथिल पड़ जाते है। विकास कि योजनाओं के निर्माण का कार्य एवं क्रियान्वयन में कठिनाइयां आती है एवं विकास यथोचित नही हो पाता है। वास्तव में यह प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि संबंधों के आभाव के कारण विभागीय तनाव, मनमुटाव ईस्या की भावना का विकास होता है। जिससे आपसी सहयोग व समन्वयन का अभाव दिन–ब–दिन बढ़ता ही जाता है।
4. **विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितताः–** पंचायती राज एवं जिला नियोजन परिषदों में अधिकांश राशि योजनाकारों की जेब में चली जाती है एवं शेष बची हुई राशि प्रशासकीय अधिकारियों एवं राजनैतिक पदाधिकारियों की जेबों में चली जाती है और बची हुई राशि को विकासात्मक कार्यो में लगाया जाता है जो लगभग 15 प्रतिशत ही होती है। इस बची राशि के आधार पर विकास की योजना एवं कार्यक्रम बनाये जाते है और राशि आधे कार्यक्रम में समाप्त हो जाती है।
5. **लालफीताशाही का बढ़ता प्रभावः–** लालफीताशाही के प्रभाव में वृद्धि के कारण विकासात्मक कार्यो को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है। कभी–कभी विकासात्मक योजनाओं की फाइले महीनों तक प्रलंबित पड़ी रह जाती है। जिससे आम आदमी विकास के फलों से बंचित रह जाता है। उदाहरणार्थ भवन निर्माण कर, रोड निमार्ण आदि हेतु प्रस्तुत पत्र यदि जिला परिषद या महानगरपालिका में भेजा जाता है, तो वह महीनों तक प्रलंवित पड़ी रह जाती है। इतना ही नहीं

प्रलंवित कार्य के लिए बार–बार चक्कर लगाने पड़ते है जिसके कारण घूसखोरी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

6. **जन सहभाग की कमीः–** पंचायती राज प्रणाली द्वारा कार्यान्वित होने वाली योजनाओ को पूर्ण रुपेण क्रियान्वयन व अनुपालन के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है। चाहे वे ग्राम पंचायत की योजना हो या जिला परिषद की। राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना को पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण तो किया जाता है। लेकिन इन योजनाओं के क्रियान्वयन में जन सहयोग के आभाव के कारण योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पंचवर्षीय येाजनाएं एवं वार्षिक योजनाएं जन सहयोग के बिना सफल नही हो सकती।
7. **योजना के क्रियान्वयन में ढ़ीलापनः–** किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए विकासात्मक योजनाओं के निर्माण से कार्य खत्म नही हो जाता। किसी योजना का वास्तविक अर्थ व महत्व उसके सफल क्रियान्वयन से होता है। केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा विकासात्मक योजनाएं तो ढ़ेर सारी लंबी–चौड़ी बनाई जाती है। परन्तु कार्य अर्थात उन योजनाओं का क्रियान्वयन कार्य आंरभ ही नही होता जिससें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन के ढ़ीलेपन के कारण उस क्षेत्र का विकास केवल कल्पनात्मक रह जाता है।
8. **योजनाओं के क्रियान्वयन में स्पाइल पद्धवति (Spoil Method) :–** किसी भी स्थानीय योजना का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन व्यक्तिगत हितों स्वार्थो को मद्दे नजर रखते हुए किया जाता है स्थानीय विकास अर्थात जिला नियोजन के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन में व्यक्तिगत स्वार्थ के साथ–साथ अधिकारियों का पूर्वाग्रह, संसाधनों का दुरुपयोग, भाई–भतीजावाद इत्यादि गंभीर समस्याएँ है, जिससे जिले का नियोजन समुचित ढंग से नही हो पाता और न ही उसका क्रियान्वयन।
9. **प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का अभावः–** जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन करने वाली प्रशासनिक मशीनरी में जनतंत्रीकरण का आभाव है जिसके परिणामस्वरुप प्रशासनिक मशीनरी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है।
10. **जनसंवाद का अभावः–** जनंसवाद के कारण ग्रामीण विकास की योजनाओं को शासन ग्रमीण जनता तक पहुचाने में असफल रही है जिससे ग्रामीण जनता को योजनाओं का सही ढंग से पता ही नही लगता और वे योजनाएं बनकर क्रियान्वित भी कर दी जाती है तथा ग्रामीण गरीब, अशिक्षित व असहाय जनता योजना के अने के इन्तजार में अपना सारा समय व्यर्थ में बर्बाद कर देती है एवं वे योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।
11. **आर्थिक संसाधन का अभावः–** ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद उनके पास धन की समस्या शुरु से ही रही है। इस संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक सोत या तो दिये नही गये या फिर जो भी दिए गये वे अर्थ शुन्य है। परिणामतः शासकीय अनुदानों पर ही जीवित रहना पड़ता है।
12. **दलगत राजनीति के दुष्परिणामः** इस समस्या के विषय में विभागीय आयुक्त का व्यक्तिगत मत है कि जिला नियोजन हो या पंचायती राज व्यवस्था हो, उसके सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति है। जो धीरे–धीरे राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही है। जिला नियोजन परिषद हो या स्थानीय कोई भी निकाय जैसे पंचायते, इनमें छोटी–छोटी बातों को लेकर झगड़े हुआ करते है, दल बंदी होती है और बहुत सा समय झगड़ो में चला जाता है।[8]

चुनौतियों का समाधान

1. अधिकारियों एवं आम जनता को योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग देना चाहिए, ताकि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन को सहयोग मिल सके।
2. विकासात्मक कार्यो को करने के लिए प्रशासकों एवं विशेषज्ञों को स्वत्रंता होने से वे अपने अनुभवों एवं कार्यकुशलता के आधार पर कार्य कर सकेगें।
3. संबंधित समस्या के वास्तविक आकड़े व तथ्य प्रशासन को प्राप्त कराने में संबंधित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करना चाहिए।
4. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित फाइलों की यथोचित कार्यवाही के साथ एक निश्चित अवधि के अंदर पूर्ण करना चाहिए।
5. राजनीतिक दल व हाई कमानों का नियंत्रण समय–समय पर होना चाहिए ताकि उनका मनोबल लगन एवं इमानदारी से कार्य करते रहें, इससे भ्रष्टाचार को बढ़वा नही मिलेगा। यह बात किसी से छुपी नही है कि ज्यादा नियंत्रण ही भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है।
6. विकास कार्यो का नियोजन क्रियान्वयन एवं उसका मूल्यांकन समय–समय पर किया जाना चाहिए, जिससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा।
7. व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखकर योजनाएँ नही बनानी चाहिए बल्कि जनहित को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना चाहिए।
8. आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत्र पंचायती राज संस्थाओं को दियें जाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बन सके।
9. जिला स्तर के योजनाकार क्षेत्रों में जाकर ग्रामीण वास्तविकताओं को जानने के लिए अपने समय का उचित अंश गांव में गुजारें। यह न केवल आयोजन को कम गूढ़ व अधिक अर्थवान बनाएगा बल्कि अधिक अच्छे क्रियान्वयन की संभावना होगी।[9]

निष्कर्षतः यह आवश्यक हो गया है कि शासन एवं जनता को अपनी जिम्मेदारियों एवं जबाव देहियों को सचियता से निभाने का प्रायास करना चाहिये जब तक जनता शासन अपनी सभी भूमिका का निर्वहन नहीं करेगी तब तक गांधी जी के सपनों को साकार करने की कल्पना अधूरी रहेगी अतः आवश्यकत कि जनता व शासन अपनी भूमिका को समझे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. उकानी, प्रो0 चन्द्रिका (2015), ''पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम विकास,'' हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली, पृ0–22
2. अग्रवाल, प्रमोद कुमार (2012); भारत में पंचायती राज'' प्रभात पब्लिकेशन, नई दिल्ली, पृ0–32–33
3. गुप्ता, रघुराज (1978), ''ग्रामीण समाजशास्त्र–भारतीय परिवेश में,'' विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0–69
4. कुरैशी, अयाज अहमद (1996); पंचायत राज व्यवस्था; अयन प्रकाशन, नई दिल्ली पृ0 72–75,
5. अग्रवाल जी0 के0 एवं पाण्डेय, एस0 एस0 (1985), ''ग्रामीण समाजशास्त्र; आगरा बुक डिपों, आगरा, पृ0–539
6. रानी, डॉ0 नीतू (2008), ''पंचायती राज व्यवस्थाः सिद्धा एवं व्यवहार'', गौरव बुक सेन्टर, नई दिल्ली, पृ0 52–58
7. योजना मासिक पत्रिका, अप्रैल, 2020 प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली पृ0–60–61
8. अवस्थी, माहेश्वरी (2002), ''भारत में पंचायती राज, ''लदयीना रावण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा; पृ0–88–94
9. सिद्धं बामेश्वर (2000), ''भारत में स्थानीय स्वशासन; राधा प्रकाश जयपुर पृ0 72–76

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा

डॉ० चमन कौर
असिस्टेंट प्रोफेसर
बी०एड० विभाग
श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा, उत्तर प्रदेश

सारांश

शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए प्रथम एवं मूलभूत साधन है। यह कहा जाता है कि यदि एक आदमी को शिक्षित किया जाता है, तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है, तब एक पीढ़ी शिक्षित होती है, लेकिन एक महिला को शिक्षित करने से वह न केवल एक मां के रूप में सिर्फ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और परिवेश देती है, बल्कि शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है और साथ ही साथ उनमें आत्मनिर्भर बनने का भाव भी पैदा होता है, जो उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा देता है, इस प्रकार उन्हें अपने सामर्थ्य को समझने का भी मौका मिलता है, जिससे वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर स्वयं को बेहतर साबित कर सकती हैं। इसलिए महिलाओं के शिक्षित करने से न केवल एक शिक्षित सभ्य परिवार का निर्माण होता है बल्कि एक सभ्य समाज का भी निर्माण होता है और देश के विकास को गति मिलती है। प्रस्तुत शोध–पत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है।

कुंजी शब्द :– सशक्तिकरण, शिक्षा, महिला, आत्मनिर्भर।

प्रस्तावना :– आज हमारे देश में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आएगा, जब भारत में नारियों देशों की श्रेणी में आ सकता है जब भारत की आधी आबादी यानि महिलाओं को शिक्षित किया जाए। अत : शिक्षा ही वह साधन है जिससे महिलाएं समाज में अपनी सुरक्षा सम्मान और स्वालंबन के प्रति जागरूक को शिक्षित किया जाएगा उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वह हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें साथ ही साथ परिवार में, समाज में, कार्यस्थल पर उनकी राय को भी महत्व दिया जाए। भारतवर्ष तभी विकसित होने के साथ–साथ अपने अधिकारों एवं हक के बारे में पूरी जानकारी रख सकती हैं। शिक्षा से ही महिलाओं में दक्षता, ज्ञान, कौशल एवं क्षमताओं का विकास होता है। अतः महिलाओं की वास्तविक स्थिति से व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान और स्वालंबन हेतु मिशन शक्ति कार्यक्रम के द्वारा समाज को सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया गया है। जिसका उद्देश्य महिलाओं में छिपी हुई उन शक्तियों गुणों एवं प्रतिभाओं को विकसित करना है, जिसे वे व्यवहार में लाकर, अपने विकास की ओर स्वयं कदम बढ़ा सकें और ये सब केवल शिक्षा के द्वारा ही संभव है। आज भी जिस तरह से हमारे समाज में समय–समय पर महिलाओं पर अत्याचार, छेड़खानी, दुराचार, शोषण, उनके अधिकारों का हनन, घरेलू हिंसा, स्ट्रीट उत्पीड़न जैसे मामले जब सामने आते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल महिला सशक्तिकरण की मुहिम पर उठता है। आज हमारे देश में महिलाओं के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं, उन विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, साथ ही साथ उनका पालन करवाने के लिए देश में न्यायपालिका, प्रशासन व पुलिस हैं। वैसे तो सब लोग कानून के बारे में बातें करते हैं लेकिन प्रयाय देखा जाता है कि जब भी कानून उल्लंघन होता है, उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले बहुत कम लोग होते हैं खासकर महिलाएं। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि भारत देश में महिलाओं की बहुत बड़ी आबादी

अशिक्षित है, इसलिए अधिकतर महिलाएं अपने अधिकार एवं महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के बारे में सही तरीके से जानती ही नहीं है। इसलिए ही वे उचित कदम नहीं उठा पाती हैं। यदि महिलाओं को शिक्षित किया जाएगा तभी वे अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से जान पाएंगी और कभी भी यदि उनके साथ कुछ अन्याय या कुछ गलत होता है, तो वह उसके विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाएं शिक्षित हो ताकि वे अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जाने जो भारतीय संविधान ने महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा सम्मान एवं स्वालंबन को बनाए रखने हेतु बनाए हैं।

शोध पत्र के उद्देश्य :–

(1) महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

(2) वर्तमान समाज में महिलाओं एवं पुरुषों के बराबर अधिकार का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

(3) महिला सशक्तिकरण हेतु विभिन्न सरकारी प्रयासों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध की प्रविधि :– प्रस्तुत शोध विश्लेषनात्मक एवं वर्णात्मक विधि पर आधारित है इस शोध में पूर्णत्या द्वितीय आंकडों का प्रयोग किया गया है, इससे विभिन्न शोध पत्रों, पत्र–पत्रिकाओं, लेखों एवं पुस्तकों का सन्दर्भ लेते हुए वर्णात्मक व्याख्या एवं निष्कर्ष निकाले गये हैं।

व्याख्या :– प्रस्तुत शोध का विश्लेषनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त शोधार्थिनी ने महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के विभिन्न पहलुओं एवं सुझावों का वर्णात्मक विवरण किया है।

महिला शिक्षा का महत्व :– मकोल एवं अन्य के अनुसार' किसी भी समाज या राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शिक्षा का विशेष महत्व है' । शिक्षित महिलाएं होने से पुरुष प्रधानता तथा वर्चस्व ध्वस्त होगा जिससे महिलाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर लाभान्वित होती हैं, अपितु सामाजिक स्तर पर ऐसे परिवर्तन घटित होंगे कि पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था छिन्न–भिन्न होकर रह जाएगी और उसकी जगह एक नई समाजवादी व्यवस्था उभर कर सामने आएगी, जिससे महिला और पुरुष दोनों का समान महत्व होगा। अतः महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। शिक्षित महिलाएं ही विश्व की वास्तविकताओं को समझ सकती हैं। उनका विश्लेषण कर सकती हैं, जो उन्हें अपमानपूर्ण एवं अमानवीय स्थितियों का विरोध करने का विश्वास और ताकत प्रदान करेगा।

शिक्षा एवं सशक्तिकरण का सहसंबंध :– महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सामूहिक कार्यवाही और चिंतन की एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा ही वह साधन है जो महिलाओं को सशक्त बनाती है, जिससे वे अपनी पसंदगियों को निश्चित करतीं हैं, और अपने जीवन और समाज से संबंधित फैसले स्वयं करती हैं। एक शिक्षित महिला अपने परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली हिंसा या अपमान की शिकार नहीं होती है। शिक्षित महिला अपने आत्मसम्मान और गौरव के साथ जीवनयापन कर सकती है। वह अपनी प्रतिष्ठा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का लाभ उठा सकती है। महिलाएं शिक्षित होगी तभी वह हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगी, इसीलिए यदि महिलाओं को सशक्त बनाना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए।

शिक्षा एवं महिलाओं की स्थिति :– बिना शिक्षा के महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन होना असंभव है। शिक्षा के द्वारा ही आज की महिला जागरूक हुई है। वो अपने बारे में सोचने लगी हैं और वह जान गई हैं कि घर से बाहर भी जीवन है। महिलाओं का आत्मविश्वास भी बढ़ा है, जिससे उनके व्यक्तित्व में निखार आया है। आज महिलाएं न केवल स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जा रही हैं, वे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन रही हैं, और हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। जमीन से लेकर आसमान में ही नहीं, अंतरिक्ष में भी उनके कदमों की छाप मौजूद है। इतना ही नहीं महिलाओं के प्रति सबकी सोच एवं नजरिए में पिछले कुछ दशकों में गजब का सकारात्मक बदलाव आया है।

महिला शिक्षा में बाधाएं :– आज भी महिलाओं को शिक्षित होने के लिए बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है जैसे पारिवारिक समस्याएं, निर्धनता, लैंगिक भेदभाव, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक आर्थिक पहलु, घर से विद्यालय की दूरी आदि सभी महिला शिक्षा में प्रमुख बाधाएं हैं। आज भी अभिभावक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की पढ़ाई को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए स्कूल कॉलेजों में लड़कियों की अपेक्षा लड़के अधिक प्रवेश लेते हैं। इतना ही नहीं जहां लड़कों को इंजीनियरिंग, मेडिकल विज्ञान, जैसे पाठ्यक्रमों को दिया जाता है, वही लड़कियों को निचले स्तर के पाठ्यक्रमों और कॉलेजों में भेजा जाता है। ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं चाहती कि वह भी उसी स्तर की पढ़ाई करें। अभिभावकों का विचार होता है कि बेटियों को ज्यादा पढ़ा लिखा कर क्या होगा जाना तो उन्हें दूसरे घर है तो हमारा क्या फायदा होगा। अभिभावक बेटियों की पढ़ाई को विवाह पर होने वाले खर्च के साथ जोड़ते हैं वही अभिभावक बेटे की पढ़ाई को भविष्य में अच्छे रोजगार अवसरों के लिए एक निवेश मानते हैं। जिसके द्वारा उनकी वृद्धावस्था सुरक्षित हो जाएगी। यदि अभिभावक निर्धन है तो वे बेटों की शिक्षा को ही प्राथमिकता देते हैं और निर्धनता के कारण बालिकाएं शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती हैं, निर्धन परिवारों की बेटियां घर का काम करती हैं, छोटे बहन–भाइयों की देखभाल करती हैं, कृषि एवं अन्य कार्यों में माता–पिता का हाथ बटाती हैं। कुछ अभिभावक अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर देते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया जाता और उन्हें घर की चारदीवारी तक ही सीमित कर दिया जाता है। अतः लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी महिला शिक्षा के समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। यहां तक कि शिक्षित व कामकाजी शहरी महिलाओं व पुरुषों के औसत वेतन में काफी अंतर होता है। शिक्षा के क्षेत्र में असमानता को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1986 ने स्पष्ट किया है कि समानता का सम्मान करने के लिए शिक्षा जगत में व्याप्त लिंग भेद को समाप्त करना होगा। विश्व शिक्षा रिपोर्ट 1995 के अनुसार ''दुनिया के निर्धन देशों में महिला एवं बालिकाएं घर की चारदीवारी में बंद हैं''। अशिक्षित मां अशिक्षित बालिकाओं को जन्म देती है, और उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है। इससे अशिक्षा, गरीबी, जनसंख्या वृद्धि, शिशु मृत्यु दर, शोषण मे वृद्धि का एक अनन्त चक्र प्रारंभ होता है।

महिला शिक्षा एवं सरकार के प्रयास :– सब पढ़े सब बढ़े के सपने को साकार करने हेतु भारत सरकार ने 2015 में देशभर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रुण हत्या रोकने, स्कूलों में बालिकाओं की संख्या बढ़ाना, बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करना था। भारत सरकार ने बालिकाओं की प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2004 में की। इसी प्रकार वर्ष 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करना था। यूनिसेफ भी देश में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।

बालिका शिक्षा हेतु सुझाव :– महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण को सफल बनाने के लिए इसकी शुरुआत हमें अपने घरों से करनी होगी, विशेषकर माताएं अपनी बेटियों के खानपान, पढ़ाई में, लालन–पालन में, वैचारिक स्वतंत्रता में कोई भेदभाव न करें। यद्यपि महिलाओं की शिक्षा के प्रति भेदभाव और उपेक्षा को एक दिन में नहीं बदला जा सकता है। लेकिन महिला सशक्तिकरण हेतु जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, उनका यदि ठीक ढंग से पालन किया जाए तो महिलाओं का सशक्तिकरण अवश्य हो सकेगा। इसके लिए तमाम शैक्षिक बाधाओं को दूर कर बिना किसी भेदभाव के बालक व बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। अभिभावकों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्थानीय समाज सुधारको, ग्राम प्रधानों

तथा स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका प्रभावशाली हो सकती है। इसीलिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए एवं राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक विकास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। आवासीय कन्या पाठशालाओं की अधिक से अधिक स्थापना होनी चाहिए। भारत में रहने वाले निर्धन पिछड़े तथा कमजोर वर्गों में बालिका शिक्षा के प्रति उत्साह के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। हम सभी जानते हैं कि भारत की अधिकतम आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, परिवार पालन के लिए अभिभावक मेहनत मजदूरी करते हैं, जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां बालग्रहों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि बेटियों को स्कूल छोड़कर अपने बहन भाइयों की देखभाल के लिए घर पर ही न रहना पड़े।

निष्कर्ष :– समाज में महिलाओं का स्थान पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण है। वह हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम से कदम मिलाकर कार्य करने के लिए प्रयासरत है और उपयुक्त अध्ययन से तो यही निष्कर्ष निकलता है की जैसे–जैसे महिलाओं का शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है, वैसे–वैसे वे भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुई हैं तथा आत्मनिर्भर बनी है। आज की महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के प्रति गजब का सकारात्मक बदलाव आया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गए हैं। आज भी महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज भी महिलाएं अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। समानता की यह लड़ाई कब तक चलेगी यह समय ही बताएगा। अतः पुरुष व महिला दो रथ के पहियों के समान है यदि एक निर्बल या घटिया हुआ तो समाज का रथ निविहन आगे नहीं बढ़ सकता है।

संदर्भ ग्रंथ

1. लाल, रमन बिहारी (2003), 'भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं' रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।
2. कश्यप, अशोक कुमार (2012), भारतीय समाज में नारी दशा एवं दिशा, आर्य पब्लिकेशन, दिल्ली।
3. कश्यप, अशोक कुमार एवं सुरेन्द्र पाल (2012), 'मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा', अर्जुन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली।
4. अग्रवाल, जे0 सी0 (2010), भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, शिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
5. त्रिपाठी, शालिग्राम (1999), 'भारतीय शिक्षा का इतिहास' राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
6. भटनागर, ए0 बी0 एवं अनुराग भटनागर, 'सम–सामयिक भारत एवं शिक्षा', आर0 लाल0 बुक डिपो, मेरठ।
7. Dewedi, satish chndra (2010), Globlization and India Women, Chaturvyuh Prakashan, Gorakhpur.
8. Khobragade, Grishma (2019), Women Empowerment: Challenges and strategies, Booksclinic Publishing, 802,056 in Kindle Store.
9. Vishwakarma, V.P. & Sharma, Parul (2017) ' Gender, School and Society', R. Lall Book Depot, Meerut.
10. Pachauri, Girish, 'Gender, School and Society', R. Lall Book, Depot, Meerut.

A STUDY OF EFFECT OF CHILD PARENT RELATIONSHIP OF SCHOOL GOING CHILDREN ON ACADEMIC ACHIEVEMENT WITH RESPECT TO THEIR GENDER

Dr. Dharmendra Kumar
Associate Professor, Department of Teacher Education
J.V. Jain College, Saharanpur
U.P. &
Miss Vandana
M.Ed. student
J.V. Jain College, Saharanpur U.P.

Abstract

When dealing with the education of any child the role of their parents in their education is beneficial in order to guide them in an appropriate direction. According to a research study by Ronald Ferguson," Nearly half of a child's achievement in school can be accounted by factors outside the school, including parent support". Consequently, the most important support any child can receive comes from the parents. This support ranges from being responsible for making sure that the child arrives at school well rested, well fed and ready to learn, to setting high expectations for their child.

From the starting of education in India parents plays a crucial role in the education of their child but these roles can be differentiated on the basis of gender of child. Although some education researchers did many researches like in the study of parent-child relationship and emotional maturity of girls by DR. Waheeda Mathew the result shows that there exhibited a significant correlation between parent child relationship and emotional maturity of girls. Another comparative study of adolescent-parent relationship among boys and girls by Shaheed Shah and Nadhia Hussain and result shows a major distinction between the application of symbolic punishment, rejecting and loving factor for different child gender. Whereas there was no major distinction seen in when the protecting factor was linked to adolescent's gender. Hence these factors affect the education of children by the differentiated role of parents on their children study among boys and girls.

Key Words- Child Parent Relationship, Academic Achievement, School Going Children, Gender

INTRODUCTION

Education is the foundation of developing nation. In India, the education of every child is very important and hence the factors affecting the education of any child must be deeply studied. By recognizing the roles of parents in their child's education and offering them support to reach those goals, staff members are communicating to parents that their role in their child education is valued. By working together staff and parents can create and maintain a high-quality educational program for children. In the present study, an attempt has been made to study effect of parent -child relationship of school going children on academic achievement with respect to their gender. A standardized tool was used to identify parent child relationship is Parent child relationship scale (PCRS-RN) by Late Nalini Rao was used.

The Parent-Child Relationship is one that nurtures the physical, emotional and social development of the child. It is a unique bond that every child and parent will can enjoy and nurture. This relationship lays the foundation for the child's personality, life choices and overall behavior. It can also affect the strength of their social, physical, mental and emotional health.

Academic performance or academic achievement is the extent to which a student, teacher or institution has attained their short or long-term educational goals. Completion of educational benchmarks such as secondary school diplomas and bachelor's degrees represent academic achievement.

SIGNIFICANCE OF THE STUDY

The recent studies shows that the parent-child relationship was not adequate as required for the study of their children. With the advancement of time the role of parents towards their children's education is increasing day by day and hence their academic achievement is greatly affect by the role of parents in their children's education. So, it is a matter of concern to study the effect of child parent relationship on academic achievement of their child with respect to their gender.

STATEMENT OF THE PROBLEM

A Study of Effect of Child Parent Relationship of School Going Children on Academic Achievement with Respect to Their Gender

OBJECTIVES

1) **To study the parent child relationship of secondary school students with**

respect to their gender(Male/Female).

2) To study academic achievement of secondary school students with respect to their gender(Male/Female).
3) To study the relationship between parent child relationship and academic achievement of students at secondary level.

HYPOTHESES

1) There is no significant difference in parent child relationship between male and female students at secondary level.
2) There is no significant difference in academic achievement between males and female students at secondary level.
3) There is no significant relationship between parent child relationship and academic achievement of students at secondary level.

DELINEATION OF THE STUDY

1) The study will be confined to central boards of secondary education schools.
2) The study will be confined to secondary school students.
3) The study will be confined to Saharanpur city.

METHODOLOGY

The descriptive survey research method was used in the study.

VARIABLES AND TOOLS

Parent child relationship scale (PCRS-RN) by Late Nalini Rao. Academic Achievement (previous obtained score)

SAMPLE

20 students of CBSE Secondary school at Saharanpur

STATISTICAL TECHNIQUE

t-test and Product moment correlation coefficient method was applied in the study.

Table-1

Calculation of t-value of parent child relationship of secondary school going children in relation to the gender.

Group	N	Mean	SD	t-value	df	Level of Significance
Male	10	577.80	5.33	1.6950	18	Not Significance
Female	10	581.80	5.22			

Table shows that the calculated t-value of parent child relationship of secondary school going children in relation to the gender**1.6950** is less thantabulated value 2.101 at 0.05 level. Hence there is no significant difference in mean score of male and female on going children at secondary level regarding to parent child relationship. Hence the null hypothesis(H_0), which states that there is no significant difference in parent child relationship between male and female students at secondary level is accepted. Though the mean score of female students i.e., 581.80is a bit higher than the mean score of male students i.e., 577.80, it does not promise any noteworthy difference.

Table-2

Calculation of t-value of academic achievement of secondary school going children in relation to the gender.

Group	N	Mean	SD	t-value	df	Level of significance
Male	10	66.60	9.24	0.9197	18	Not Significance
Female	10	69.70	5.31			

Table shows that the calculated t-value of academic achievement of secondary school

goingchildreninrelationtothegender**0.9197**islessthanthetabulatedvalue2.101at 0.05 level. Hence there is no significant difference in mean score of academic achievement. of secondary school going children in relation to the gender. Hence the null hypothesis(H_0), which states that there is no significant difference in academic achievement between males and female students at secondary level is accepted. Though the mean score of female students i.e., 69.70is a bit higher than the mean score of male students i.e., 66.60, it does not promise any note worthy difference.

Table-3

Calculation of Correlation Coefficient between Parent-Child Relationship and Academic Achievement of secondary school going children

Variable	N	Correlation Coefficient	df	Level of Significance

Parent-Child Relationship	20	0.1935	18	Not Significant
Academic Achievement				

Table shows the calculated value of correlation coefficient between Parent-Child Relationship and academic achievement of secondary school going children 0.1935 is less than the tabulated value 0.444 at 0.05 level of significant which shows a positive correlation between Parent-Child Relationship and academic achievement but weaker correlation exhibits between them. Hence the null hypothesis(H_0) is accepted here which states that there is no significant difference between parent child relationship and academic achievement of students at secondary level. However there exist a weak relationship between Parent-Child Relationship and academic achievement of secondary school going children.

CONCLUSION OF THE STUDY

Parent child relationship between boys and girls does not make any significant difference at secondary school going children but as there is a minor difference in the mean score of male and female students so there is a little difference in the parent child relationship of girls and boys whereas mean score of girls is more than the boys so female child has little bit extra bonding with the parent as compared to the boys. Another conclusion can be made that the academic achievement of boys and girls doesn't have any significant difference but as the mean score of girls is a bit higher than the boys so girls are getting a little bit higher percentage of marks as compared to boys. We say that girls are a bit higher in academics as compared to boys. Final conclusion that can be made that there has not been found significant difference between parent child relationship and academic achievement of students at secondary school but there exists a weak correlation between them which generalized that the parent child relationship is improving and doesn't greatly affect the academic achievement of students at secondary level.

EDUCATIONAL IMPLICATION

Education is very important for the foundation of any nation. Education not only comprises of school, teacher and students but also the parents play a very important role in the education of their child as they are the first teacher for their child as well as guide in the educational process also. Hence the role of parent-child relationship is studied here and the effect of parent child relationship with the advancement of time on academic achievement is studied. This research plays an important role to know about no effect of gender on parent child relationship and academic achievement of students at secondary school as well as show the relationship between parent child relationship and academic achievement of students at secondary level. The result of the study will also be helpful to understand how this relationship changes with the advancement of time and is very important to consider always in the process of education.

REFERENCES

1. **Aggarwal, J C. (2006). Essentials of Educational Psychology. New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd.**
2. **Aggarwal, Y P. (1988). Research in Emerging Field of Education. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.**
3. **Aggarwal, Y P. (1988).** Statistical Methods, Concepts, Applications and Computations. New Delhi: Sterling Publishers Pvt. Ltd.
4. **Best & Kahn, (2007). Research in Education. New Delhi: Phi Learning Pvt. Ltd. Publishers**
5. **Debnath, H.N. (1971).** Teaching Efficiency: Its Measurement and Some Determinants. Doct. Diss. Edu. Vishwa Bharti Uni., by M.B. Buch
6. **Dr. Imran Khan (2019)**. Impact of Parental Relationship and Self-concept on Academic Achievement of Secondary School Students, Associate Professor & Head, Department of Psychology, Jai Prakash University, Chapra, Bihar.
7. **Freeman F.S. (1971). Theory and Practice of Psychological Testing, Bombay: Oxford and IBH.**
8. **Nalini Rao (1978)**. Social-psychological correlates of social development of high school children grades viii, ix, x in some schools of Bangalore city. Doctoral Thesis in Education Bangalore: Bangalore University.

9. **Nalini Rao (1989)**. Manual for Parent Child Relationship Scale (PCRS-RN), National Psychological Corporation,Agra.
10. **Shaban S. and Mattoo N.H. (2012)**. Institute of Home Science, University of Kashmir. A comparative study on adolescent-parent relationship among boys and girls in a rural area.

THE STRESS AND SOCIAL BEHAVIOUR OF HANDICAPPED – HIGH SCHOOL BOY'S IN COVID-19

Dr. Rekha Singh
Associate Professor
Education – Faculty
M.M.P.G. College, Kalakankar
Pratapgarh, Uttar Pradesh

In a very simple word " A physically handicapped person can be defined as-possessing a physical defect which reduces one's efficiency in performing one's personal and social obligations according to a socially determined standard."

The present study entitled "Measurements of stress and social behavior of physically handicapped boys of Intermediate level is a descriptive survey and data collection type investigation. It is also a comparative study between physically handicapped and normal boys in COVID-19.

In this pandemic the stress level increased among students because on-line learning and teaching. Our stress level affects our social behavior and thinking. This study is a little attempt to find out the difference between gifted student and handicapped students of high school level.

The term "EXCEPTIONAL CHILDERN" refers to those children who deviate from normal children in any way. The committee for the National Society for the study of education has described exceptional children as those who deviate from what is characteristics to such an extent that they require educational services in order to develop their maximum capacities H.J. Baker has emphasized that these children do not form a separate class. Even they are not also distinct from normal children (Baker, H.J. 1953).

Physically handicapped class is one of the most important quality of exceptional children. According to Udai Shankar the abnormal may be called as exceptional because abnormality might smoke of some thing ignorable, bad or worthy of despise.

In the aspects of Physical and mental, there could be and there are deviations on physical side, there could be many physical difficulties or deformities like lake of limbs, blindness, deafness, and speech difficulties because of malformation of the lips, pallets and the vocal cords.

Stress is a physical & psychological condition of person. 97 creates stimulation & disequilibrium in them & make him to face that condition.

A number of writers have seen specifically deviant or psychopathological behavior as adaptive, again raising the question of the absolute standard of normality. The midtown Manhattan survey (Sroleetal, 1962) suggests that some form of inner adjustment problem with or without social maladaptation is very common in any total population. Depending on the criteria used, up to 80% percent of the population evidenced some form of maladjustment.

It has been seen that individuals differ from one another in their social behavior. This difference in social behavior is not noticeable in children from their very infancy. In the first year of their development, it can easily be seen that children differ in displaying their shyness or response.

OBJECTIVES

1. To study the stress of normal boys.
2. To study the stress of handicapped boys.
3. To study the social behavior of normal boys.
4. To study the social behavior of handicapped boys.

Hypothesis

1. There is no significant difference between normal student and physically handicapped in stress.
2. There is no significant difference between normal student and physically handicapped in their social behavior.

Some Researches in this area :-

L.R. Boyer and Glose 1973 studied the social and emotional adjustment of total and partial dumb and deaf children, Deborach R. & Richardson Robert J. Vandenberg and Sarah 1986 examined the effect of differential power, Karen Hooker James A Blumenthal and Iiene Siegter (1987) studied the releationship between aspects of personality and type a behavior pattern. Sherril Claudine, Rainbold Wanda and Ervin Sandra 1984 found males had significantly more positive toward physical education, Hatemberg, Jaya Cermark, Sharon (1986) find there is right – left discrimination problem in blinds. Moinar Borothy Eleo (1983) found a relationship exists between social interaction behavior pattern and selected environmental factors.

Also very few country's collect data to enable disaggregation by disability in the health sector. This become very apparent during COVID-19 pandemic where country's failed to include disability consistently in their responses to control the pandemic.

Sample and Data

Survey investigation was done by the researcher to find out some students (handicapped and normal) some from Prayagraj districts and some from Pratapgarh district according to convenience.

Tools Used

- **i.** Intelligence test (Weschler's intelligence scale test) (to make group)
- **ii.** Social behavior Questionnaire Dr. S.K. Pal, Dr. K.S. Misra and Dr. M. Gupta
- **iii.** Stress scale by Prof. K.S. Misra and Prof. S.P. Pandey

Statistics

(I) t-test

Results

Hypothesis 1

There is no significant difference between normal student and physically handicapped in stress.

GROUPS	N	MEAN	SD	t-Value	Result	
Normal	42	119.62	25.97	.175	.01	.05
Physically Handicapped	42	118.69	23.70	.175	.05	.01

The result is not significant at .01 and .05 level. The results indicate that both handicapped and normal student feel hinderances, hesitation, barriers and mental stress equally. In this period of pandemic both types of group are facing stress equally

Hypothesis 2

There is no significant difference between normal student and physically handicapped in social behavior.

GROUPS	N	MEAN	SD	t-Value	Result	
Normal	42	49.74	5.487	.649	.01	
Physically Handicapped	42	50.62	6.689	.642	.01	.05

The result is significant at .01 and .05 level. It means there is no different in their social behavior as concern for others, compliance to be obedient, dependence, integration, social conversation, social posing, aggressiveness, withdrawal and tolerance.

Findings

The major objective of this study to find out the different between normal students and handicapped student in their stress and social behavior. We can see in the painful time normal persons are panic and finding out ways to survive, our educational system also affected by this COVID-19 pandemic. So the duty of educationist and psychologist to realize the stress and social behavior of any student. Normal students are taking their on line classes as well as some classes for handicapped they are equally facing the problems towards their mental and physical health.

BIBLIOGRAPHY

All India Directory, Social Welfare Department of India, 1953

Barker, R.C Lewin, R. and Demble “Frustration and Aggression: An Experiment, Macmilan co.Ltd.1963.

Bob, V.V. "Exceptional Children," New York, Center for Applied search & Education 1962.

Bhatnagar, N. "A Study of Personality Patterns of High and Low Adjusted Individuals." M.A. (Psychology) dissertation, Lucknow University.1974.

Bailey, D.B. Blasco, P.M. and simeonsson R.J. (1992) "Needs expressed by mother and father of young children with handicaps".

Griedman, R.J. and J.C. Macqueen, "Exceptional Children" New Heaven, 1971.

G.R. Adams, "Individual Differences in behavior Resulting from Experimentally Induced Frustration." J. Psychol., 10 1940.

Jordan, "Exceptional Children," Rinehart, Holt and Winston Co. 1979.

Mathur, S.S. "Educational Psychology" Vinod Pustak Mandir, Agra.

Norman Tallent,"Psychology of Adjustment" D. Van Strand Co. New York,1978.

Smith, C.R. (2002). Learning Disabilities, the interaction of students and their environments, third edition, Plarson education, Inc: New York.

Srivastava, R."Adjustment process of Tribal and Non-tribal Adolescent Boys-A Cross Culture study, Ph.D. Thesis, Kanpur University Kanpur 1978.

Udai Narain Pareekh. "Developmental Pattern in Reaction to frustration, Asia Publishing House New York in India, University, Press New Delhi. 1964

Wood worth R.S. "The Dynamics of Behaviour "Henry Holt & Company New York 1958.

https://en.m.wikipedia.org>wiki

https://www.wordbank.org

भारत की राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता में हिन्दी की भूमिका

डॉ0 अर्चना धामा
एसोसिएट प्रोफेसर (हिन्दी विभाग)
डी0ए0वी0 (पी0जी0)कॉलेज, मुज़फ्फरनगर

शोध सारांशः–यह देश एक महासागर है इसकी संस्कृति भी एक महासागर ही है जिसमें विश्व की तमाम संस्कृति आ–आकर समाहित होती चली गई। अतः हिन्दी भाषा की मूल प्रकृति सभी भाषाओं की भाँति स्वतः विकासशील और परिवर्तनशील है। हिन्दी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो समूचे देश में आदान–प्रदान की भाषा बनी है। स्वतंत्रता–प्राप्ति के पूर्व हिन्दी के ही माध्यम से भारत के अनेक संतो–सुधारकों तथा मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों का प्रचार एवं प्रसार किया था। आजादी की लड़ाई इस देश ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी। इस राष्ट्रीय आंदोलन का हिन्दी भी एक हिस्सा बनी थी। महात्मा गांधी की यह राय थी कि'' राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूँगा है।'' हिन्दी तो उनके लिए भारतीय जन–संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बनी थी। बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिन्दी का जोरदार समर्थन किया था ''स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।''
प्रस्तुत शोध पत्र में भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता में हिन्दी की भूमिका का विश्लेषण किया गया है।

कुंजी शब्दः– अस्मिता, एकात्मकता, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बहुभाषी, समन्वय।

वह भाषा जो समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है तथा देश की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती है–राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का सीधा अर्थ है–राष्ट्र की वह भाषा जिसके माध्यम से पूरे राष्ट्र में विचार विनिमय एवं सम्पर्क किया जा सके।

राजभाषा का सामान्य अर्थ है–राजकाज की भाषा।

हिन्दी आज हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा है जो कि हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत भाषा, समाज एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य मे विविधता का देश है। यही सांस्कृतिक विविधता भारतीय जीवन दर्शन का महत्त्वपूर्ण बिन्दु भी है और राष्ट्रीय एकता का परिचायक भी। भारत सांस्कृतिक विविधता का देश हैं। यही सांस्कृतिक विविधता भारत की ''अनेकता में एकता'' बंधुत्व सूत्र के राष्ट्रीय हित के उद्देश्य की पूर्ति करता है। भारत के दक्षिण में द्रविड़ संस्कृति तथा पूर्वोत्तर भारत में आदिम संस्कृतियां विद्यमान हैं जो एक दूसरे से सामाजिक व भाषाई स्तर पर पूर्ण रूपेण भिन्न हैं परन्तु इसके उपरान्त भी ये भारतीय जनसंघ के अन्तर्गत देश के विकास में सहयोगी बने हुए हैं। भाषा, धर्म, सम्प्रदाय,संस्कृति आदि के भेद द्वारा वैमनस्य की संकीर्ण भावना को विदेशी आक्रांताओं एवं असामाजिक तत्वों ने प्रोत्साहन दिया। अतः इस प्रकार भारत राष्ट्रीय स्तर पर अपने लोकतान्त्रिक व्यवस्था के कारण जनता की सांस्कृतिक विविधता के पश्चात भी एकता के सूत्र में बंधा है। शांति, मैत्री और बंधुत्व के संदेश के साथ संपूर्ण विश्व में भारत ने प्रसिद्धि प्राप्त की हैं और हिन्दी ने इस दिशा में मुख्य भूमिका निभाई है।

अहिन्दी भाषी क्षेत्र में अनेक सन्त कवियों ने हिन्दी में रचनायें प्रस्तुत की हैं। महाराष्ट्र के तुकाराम, नामदेव, रामदास, एकनाथ आदि सन्तों एव कवियों ने हिन्दी में रचनायें प्रस्तुत की हैं। गुजरात के मालणदयाराम, बंगाल के शासक शाह हुसैन के आश्रित कुतुबन, असम के शंकर देव, नारायण देव, पंजाब के गुरूनानक, गुरू तेग बहादुर, गुरू गोविन्द सिंह आदि ने हिन्दी में रचनायें प्रस्तुत की। ब्रह्म समाज के नेता केशव चन्द, गुजराती भाषी स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गाँधी, मराठी भाषी काका कालेलकर, आदि हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में सक्रिय हो उठे थे। इन कवियों और नेताओं ने हिन्दी के माध्यम से देश की एकता एवं अखंडता को बनाये रखने के लिये आजीवन कार्य किया।

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी की मान्यता अचानक ही नही हुई। इसके पीछे एक लम्बी साधना और प्रयास है। जिस रूप में हिन्दी आज है, वह निरंतर विकास की कहानी है। वह अपनी परिधि में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, पिंगल, मालवी , बुन्देली , मैथिली आदि अनेक भाषाओं और बोलियों को समाहित करते हुए विकसित हुई है। हिन्दी ने अपनी विकास यात्रा में अनेक पड़ाव पार किये हैं। अनेक प्रदेशों में वह विभिन्न रूपों में प्रवाहित हुई, अनेक लोक भाषाओ से अभिव्यक्ति क्षमता को समृद्ध करने का श्रेय हिन्दी को है जिसने एकात्मता स्थापित करने की अपनी क्षमता को सिद्ध किया है।

भारत का वैशिष्ट्य उसके आध्यात्मिक ज्ञान और दार्शनिक तत्त्व चिंतन में निहित है। ज्ञान का यह समस्त भंडार संस्कृत में ही उपलब्ध था जनभाषा में उस सारे तत्त्व चिंतन को सामान्य जन तक पहुँचाने में भक्तिकाल के कवियों ने अद्‌भुत सफलता प्राप्त की । सन्त कवियों में कबीर, नानक, दादू, रैदास और भक्त कवियों में तुलसी, सूर के साथ रहीम और रसखान का होना उस सामाजिक समन्वय के यथार्थ को उद्‌घाटित करता है। जो भारत के सांस्कृतिक वैभव का आधार रहा है। एक भाषा किस तरह जातीय समृति को संजोती है और समाजिक संरचना को प्रभावित करती है, इसका श्रेष्ठ उदाहरण हिन्दी का भक्तिकाव्य है। हम उस युग के काव्य के माध्यम से सांस्कृतिक मूल्यों को खोज पाते है। इन्ही मूल्यों का आधुनिक, संदर्भ में भारतेंदु हरिशचंन्द्र, बालकृष्ण भट्‌ट, प्रतापनारायण मिश्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी नया आकार देते हैं। मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्रीय भावना के कवि थे । वह समन्वय की धारा को आगे बढ़ाते है। तुलसीदास ने मध्ययुग में राम के जिस उदात्त को समाज के समक्ष उपस्थित किया था, वह भारतीय संस्कृति के समस्त तत्त्वों को समाहित किए है। वह राम शीलवान थे, गरीबों, असहायों के रक्षक थे। केवट से स्नेह करते हैं, निषाद से गले मिलते हैं, शबरी को पूरा सम्मान देते हैं। अत्याचारियों से संघर्ष के लिए तत्पर रहते हैं युद्‌ध में विजय के लिए साधन संपन्नता को महत्त्वपूर्ण नहीं मानते उस मनोबल को मानते हैं, जो नैतिकता की आधारभूमि पर खड़ा रहता है। यह अकारण नहीं है। कि हमारे युग के सर्वाधिक वंदनीय महात्मा गाधी को 'गीता' और रामचरितमानस से प्रेरणा मिली। गांधी जी ने राम के आदर्श को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। राष्ट्रीय धारा के कवि हों या छायावादी धारा के, सभी गांधी जी से प्रभावित रहे।

हिन्दी–मुस्लिम एकता के संदर्भ में भक्ति आंदोलन के संतो का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। हिन्दू–मुस्लिम सद्‌भावना को बनाए रखने में रामानंद के शिष्य कबीर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कबीर का मानना था कि परमतत्व मनुष्य के भीतर होता है, बाहर नहीं। महाकवि इकबाल ने 'तराना–ए–हिन्दी में कहा है–

''सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा।
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी है हम, हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा''

हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के पीछे यही मूलः उद्देश्य, विशेषतः राष्ट्रीय एकता ही रहा है। इससे जुड़ी धारा 351 के अंतर्भाव स्पष्ट झलकते हैं कि इस देश की आस्मिता को भाषिक पहचान मिले, ऐसी पहचान जो उसकी अपनी हो, राष्ट्रीय हो। बहुभाषी देश की जनता के बीच सार्थक संवाद की भाषा के रूप में हिन्दी भाषा की भूमिका निर्वाह करना और शासकीय प्रयोजनों और कार्य–व्यवहारों का माध्यम बनकर राजभाषा की आवश्यकता पूरी हो,ख ताकि सांस्कृतिक खाई भरी जा सकें। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में सरकार एवं शासक की कल्यणकारी योजनाए, कानून और व्यवस्था के प्रावधानों , विकास की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए जन सामान्य की भाषा की आवश्यकता स्वतंत्रता–प्राप्ति के साथ महसूस की गई थी। शुरू में राजभाषा को तेजी से लागू करने में कठिनाईयाँ आई थी, वर्तमान में पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी हिन्दी उस गति से यथार्थ रूप में कामकाज की भाषा नही बन सकी जिसकी परिकल्पना की गई थी। राजभाषा हिन्दी राष्ट्रीय एकता का सेतु तभी बन सकती है जब कि राजकाज में राजभाषा हिन्दी का वास्तविक रूप में प्रयोग हो। राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी ही सर्वाधिक समुचित भाषा है लेकिन राजभाषा के रूप में अभी भी जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है।

राजभाषा के रूप में हिन्दी का दिन–प्रतिदिन अधिक प्रयोग हो प्रांतीय कार्यालयों में भी हिन्दी में ही पत्र–व्यवहार, वार्तालाप संपर्क आदि हो इस पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। रवीन्द्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय, महात्मा गांधीजी, पुरूषोत्तमदास टंडन, मदनमोहन मालवीय आचार्य विनोबा भावे, डॉ0 भीमराव आंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू,मौलाना आज़ाद एन0 गोपाला स्वामी आयंगर जैसे अनेक नेताओं ने राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिन्दी को राष्ट्रीय एकता के सेतु के रूप में स्वीकार करते हुए महत्त्व भी बताया है। इन सबने अँग्रेजी भाषा का विरोध नहीं किया। हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। उसकी परिधि बढ़ रही है। यह राष्ट्रीय स्तर से बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त कर रही है। ''जब हमारे देश की अपनी भाषा राजभाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान वहन करने में सक्षम है तो अंग्रेजी यहाँ पर खिडकी के रूप में रह सकती है, द्वार का स्थान कदापि ग्रहण नही कर सकती । जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनके अतिरिक्त भारत में अन्य भाषा भाषी भी हिन्दी बोल तथा समझ सकते है। बहुभाषी देश की जनता के बीच सार्थक संवाद के रूप में हिन्दी संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वाह करें और शासकीय प्रयोजनों एवं कार्य–व्यवहारों का माध्यम बनकर राजभाषा की आवश्यकता पूरी हो ताकि सांस्कृतिक एकता एवं राष्ट्रीय एकता की सेतु बन सकें।

निष्कर्ष:–हिन्दी भाषा भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को प्राण वायु देने वाली भाषा है। हिन्दी भाषा ने भारतीय भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण कर उसके साहित्य को स्वीकार किया। फलतः हिन्दी भाषा स्वतः ही राष्ट्र की संपर्क भाषा एवं अभिव्यक्ति की भाषा बनी।

दक्षिण से सुदूर पूर्वोत्तर भारत तक हिन्दी समझने और बोलने वाले मिल जाते हैं। यही भारतीय संस्कृति की राष्ट्रीय एकता का प्रमाण है कि जहां लम्बे संघर्षो एवं चुनौतियों के पश्चात भी हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के रूप में द्रष्टव्य है। परंतु आज भी कुछ चुनौतियां है जिन्हें पूरा करने के लिये घर में परिवार में समाज में, कार्यालय आदि में जहाँ भी हो वहाँ हिन्दी को ही अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम बनाना चाहिए। राजभाषा हिन्दी के प्रति आत्म–विश्वास जागृत करें, उसकी शक्ति को पहचाने, स्नेह और सौहार्द की वाणी के रूप में उसका प्रचार–प्रसार करें। हिन्दी की राजभाषा के रूप में समुचित प्रतिष्ठा में ही भारत के लोकतंत्र की प्रतिष्ठा है। भारतीय राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतिष्ठा है। हिन्दी के गौरव में ही भारत के स्वराज्य की सफलता और सार्थकता हैं राजभाषा के रूप में हिन्दी का सर्वत्र स्नेहभाव से प्रयोग होगा। तब वास्तव में भारतीय अस्मिता का सच्चा प्रतीक बन जाएगी। राजभाषा हिन्दी राष्ट्रीय एकता के सेतु के रूप में व्यवहृत होकर गौरव प्राप्त करेंगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

हिन्दी का विश्वसन्दर्भ–डा0 करूणाशंकर उपाध्याय, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली।
हिन्दी का वैश्विक परिदृश्य–डा0 पंडित बन्ने–अमन प्रकाशन कानपुर।
भाषा विज्ञान–भोलानाथ तिवारी–किताबमहल, दिल्ली।
साहित्यिक निबन्ध–गणपति चन्द्रगुपत–लोकभारती प्रकाशन इलाहाबाद।
हिन्दी भाषा विज्ञान परिचय– डा0 गायकवाड़, ज्ञानराज, विनोद पुस्तक भण्डार, आगरा।
भाषा और भाषा विज्ञान–गरिमा श्रीवास्तव– संजय प्रकाशन, नई दिल्ली।
हिन्दी साहित्य का इतिहास–रामचन्द्र शुक्ल– कमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
संस्कृति के चार अध्याय–रामधारी सिंह दिनकर–जनवाणी प्रिन्टर्स एवं पब्लिशर्स कलकत्ता।
भारतीय समाज–श्यामाचरण दुबे–राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
भारतीय आज़ादी और संस्कृति–डा0 लक्ष्मीमल्ल सिघंवी–साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली।
निबन्ध संचयन–संपा.–डा0 मुकुन्द द्विवेदी, डा0 लाल सिंह चौधरी– के0एल0 पचौरी प्रकाशन ग़ाज़ियाबाद।
हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास–डा0 बच्चन सिंह–राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वृत्तिक प्रतिबद्धता का अध्ययन

डॉ0 अनुराधा त्यागी
सहायक अध्यापक
शान्ता स्मारक कन्या इण्टर कालेज, मेरठ
डॉ0 नीलम त्यागी
एसोसिएट प्रोफेसर, बी0 एड0 विभाग
सी0 एस0एस0एस0 पी0जी0 कालेज माछरा, मेरठ

सार

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एक भी अध्यापक छात्रों के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता वाला नहीं है।प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 11.25 प्रतिशत अध्यापक समाज के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता वाले है।प्राथमिके विद्यलयों में कार्यरत 14.75 प्रतिशत अध्यापक संस्था के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता रखने वाले है।प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 18 प्रतिशत अध्यापक व्यवसाय के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता वाले हैं।

कुँजी : वृत्तिक प्रतिबद्धता, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय

प्रस्तावना

वृत्तिक प्रतिबद्धता

शिक्षक की अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा व लगन को वृत्तिक प्रतिबद्धता करते है। कैम्ब्रिज इन्टरनेशनल डिक्शनरी के प्रतिबद्धता का अर्थ है वायदा करना। किसी सिद्धान्त, व्यक्ति या कार्य योजना विशेष को अपनी पूर्ण निष्ठा प्रदान करना। यदि आप अभिनेता बनाना चाहते है तो आपको इसके लिये पूर्ण समर्पित होना होगा अर्थात् इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपना पूरा समय–प्रदान करना। इस प्रकार प्रतिबद्धता का तात्पर्य है कि अपने सिद्धान्त के प्रति पूर्ण दृढ़ता एवं अपरिवर्तित निष्ठा के साथ विश्वास। रिसर्च ने प्रतिबद्धता को एक प्रक्रिया बताते हुये कहा है कि किसी संगठन के बहुक्षेत्रीय उद्देश्यों को लेकर पहचान की प्रक्रिया प्रतिबद्धता है। इस प्रकार बहुप्रतिबद्धता के उद्देश्यों एवं मूल्यों को केन्द्र मानकर उन्होंने विशिष्ट प्रतिबद्धता को स्थापित किया। डेविस ग्रास के अनुसार प्रतिबद्धता एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न दिशाओं और विभिन्न स्तरों पर सम्पन्न होती है तथा इसको आसानी से प्राप्त नही किया जा सकता। मीराडाडोस ने कहा है कि प्रतिबद्धता एक गहन एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण भावनात्मक प्रखरता है। इसका तात्पर्य है कि समूह या संगठन के उद्देश्यों से जुड़ाव तथा अपने को पूरी तरह से किसी कल्याणकारी कार्य के समर्पित करना।

प्रतिबद्धता के निम्न पाँच बातों से उद्धत किया जा सकता हैः–

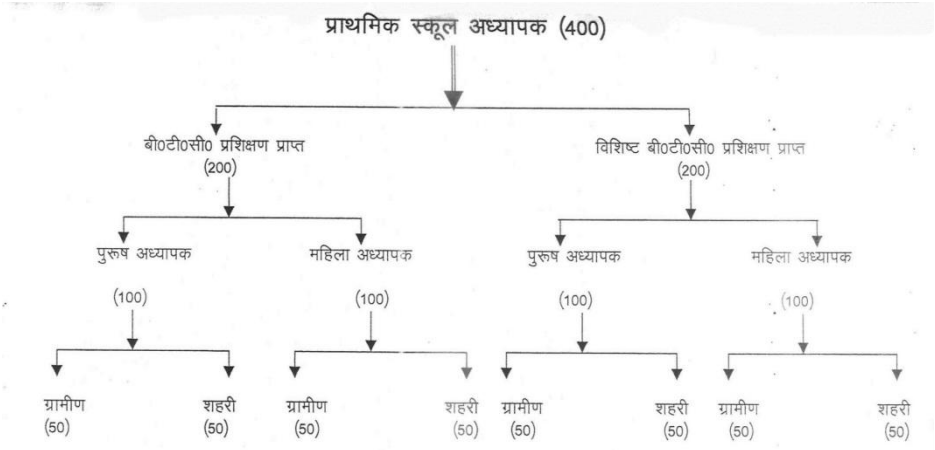
1. एक वृत्तिवान के रूप में एक शिक्षक अपने वृत्तिक विकास को सर्वोच्च वरीयता देता है।
2. वह शिक्षण व अधिगम के प्रति उत्साही एवं उत्प्रेरित रहता है।
3. वह अपने विद्यार्थियों को भावपूर्ण ढंग से जोड़ लेता है, जिससे कि विद्यार्थी उसे अपने शुभचिन्तक, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करते है।
4. वह अपने विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति एवं दृष्टिकोण रखता है।

5. वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, महत्वकांक्षाओं, लक्ष्यों, कमजोरियों अन्तर्निहित क्षमताओं और परिस्थितियों को समझता है, तदानुसार उनको स्वविकास के लिये मार्गदर्शन देता है।

सर्वेक्षण अनुसंधान के उद्देश्य

करलिंगर के अनुसार सर्वेक्षण अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य होते है–

1. किसी घटना की व्यापकता, गम्भीरता, घटना घटने की संभावना, उसका वितरण आदि का पता लगाना।
2. समाजशास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक चरों के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन करना।



''प्राथमिक अध्यापक व्यावसायिक प्रतिबद्धता मापनी'' का वर्णन

व्यावसायिक प्रतिबद्धता मापनी में कुल 30 प्रश्न बनाये गये है एवं उन्हें 6 आयामों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक आयाम से सम्बन्धित 5 प्रश्न निर्धारित किये गये है। निर्माणित प्रतिबद्धता मापनी में केवल 2 प्रश्न नकारात्मक एवं बाकी सभी प्रश्न धनात्मक प्रकृति के है। आयामों के नाम एवं प्रत्येक की प्रश्न संख्या निम्न है–

क्रम संख्या	आयाम	प्रश्न संख्या
1.	शिक्षार्थी के प्रति प्रतिबद्धता	1,2,3,4,5
2.	समाज के प्रति प्रतिबद्धता	1,2,3,4,5
3.	संस्था के प्रति प्रतिबद्धता	1,2,3,4,5
4.	व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता	1,2,3,4,5
5.	उत्कृष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता	1,2,3,4,5
6.	मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता	1,2,3,4,5

वृत्तिक प्रतिबद्धता मापनी की रचना

परीक्षण के योजना

वृत्तिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत शोध अध्ययन का एक प्रमुख चर है। भारत में अध्यापक प्रतिबद्धता पर कुछ ही मापनी उपलब्ध हैं, परन्तु उनका प्रयोग शोधकत्री ने नहीं किया। उसके स्वयं निर्माणित प्रतिबद्धता मापनी का प्रयोग प्रस्तुत शोध में किया है। परीक्षण की योजना बनाने से पूर्व परीक्षण निर्माण प्रक्रिया के लिये सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया। तत्पश्चात् मापनी के लिये शिक्षण प्रतिबद्धता सम्बन्धी छः पक्षों को सम्मिलित किया गया–

1.शिक्षार्थी के प्रति प्रतिबद्धता, 2. समाज के प्रति प्रतिबद्धता 3. संस्था के प्रति प्रतिबद्धता 4. व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता 5. उत्कृष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता 6. मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता

आंकडो का विश्लेषण एवं अर्थापन

पूर्व के अध्यायों में प्रस्तावना, प्रयुक्त चरों का प्रत्यात्मक बोध, उद्देश्य, सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन तथा अध्ययन के प्रारूप और आंकड़े एकत्र करने की विधियों का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत अध्याय में आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण एवं अर्थापन प्रस्तुत किया गया है। अर्थापन और विश्लेषण की प्रक्रिया में प्राप्त आंकड़ों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, जिससे समस्या के सन्दर्भ में वांछित परिणाम प्राप्त किये जा सकें। यंग (1960) ने लिखा है ''यदि सुव्यवस्थित तथ्यों को सम्पूर्ण अध्ययन से सम्बन्धित किया जाये तो उनका महत्वपूर्ण सामान्य अर्थ प्रकट हो जाता है जिसके आधार पर घटना की प्रमाणित व्याख्यायें प्रस्तुत की जा सकती है'' इस कथन का तात्पर्य यह है कि अनुसन्धान या शोध कार्य में केवल तथ्यों का संकलन कर लेने से अध्ययन के विषय का वास्तविक अर्थ, कारण परिणाम स्पष्ट नहीं हो सकता। अतः एकत्रित तथ्यों को उद्देश्यों के अनुसार सुव्यवस्थित करके उनका विश्लेषण एवं अर्थापन करना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत अध्याय में उद्देश्यों के क्रम में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं अर्थापन किया गया है–

सारिणी–1.1

''प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वृत्तिक प्रतिबद्धता''

क्र0 सं0	वृत्तिक प्रतिबद्धता के आयाम	वृत्तिक प्रतिबद्धता का माध्यम	वृत्तिक प्रतिबद्धता का मानक विचलन	से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की		से नीचे प्राप्तांक वाले अध्यापकों की		के मध्य प्राप्तांक वाले अध्यापकों की	
				सं0	%	सं0	%	सं	%
1	शिक्षार्थी के प्रति प्रतिबद्धता	17525	2.550	0	0	40	10.00	360	90.00
2	समाज के प्रति प्रतिबद्धता	14.3298	2.943	45	11.25	57	14.25	298	74.50
3	संस्था के प्रति प्रतिबद्धता	14.065	2.789	59	14.75	53	12.25	288	72.00
4	व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता	14.758	3.031	72	18.00	50	12.50	278	69.00
5	उत्कृष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता	16.918	2.905	72	18.00	60	15.00	268	67.00
6	मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता	17.075	2.672	85	21.25	59	14.75	256	64.00

सारिणी संख्या 1.1में प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता से सम्बन्धित छः के मध्य प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है।

सारिणी संख्या 1.1की क्रमसंख्या (1) में शिक्षार्थी के प्रति प्रतिबद्धता से सम्बन्धित आकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। छात्रों के प्रति अध्यापकों की प्रतिबद्धता का मध्यमान 17.525 तथा मानक विचलन 2. से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या शून्य है, इसका तात्पर्य हुआ है कि सम्पूर्ण प्रतिदर्श में एक भी अध्यापक ऐसा नहीं है जो छात्रों के प्रति उच्च कोटि की प्रतिबद्धता रखता हो, यह शिक्षा जगत के लिए सेनीचे प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 40 है, जो कि सम्पूर्ण प्रतिदर्श का 10 प्रतिशत अर्थात् 10 प्रतिशत

अध्यापक छात्रों के प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नही हैं। यह आंकड़ा भी अध्यापक और शिक्षा जगत की खस्ताहाल की ओर संकेत करता है। 360 अध्यापक छात्रों के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते है।

सारिणी संख्या 1.1की क्रमसंख्या (2) में अध्यापकों कीसमाज के प्रति प्रतिबद्धता से सम्बन्धित आकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। समाज के प्रति अध्यापकों की प्रतिबद्धता का मध्यमान 16.298 तथा मानक से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की सख्या 45 है, जो सम्पूर्ण प्रतिदर्श का 11.25 प्रतिशत है अर्थात् 11.25 से नीचे प्राप्तांक वाले अध्यापकों की सख्या 57 है, जो कि सम्पूर्ण प्रतिदर्श का 14.25 प्रतिशत है अर्थात् 14. 25 प्रतिशत अध्यापक समाज के प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। यह आंकड़ा भी अध्यापकों की समाज के प्रति उनकी उदासीनता को प्रदर्शित करता है। 298 अध्यापक छात्रों के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते है।

सारिणी संख्या 1.1की क्रमसंख्या (3) में मध्यापकों की संस्था के प्रति प्रतिबद्धता से सम्बन्धित आकड़ों को दिखाया गया है। संस्था के प्रति अध्यापकों की प्रतिबद्धता का मध्यमान 14.065 तथा मानक से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 59 है जो कि प्रतिदर्श का 14.75 प्रतिशत अर्थात लगभग 15 से नीचे प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 53 है जोकि प्रतिदर्श का 13.25 प्रतिशत है अर्थात् 13.25 प्रतिशत अध्यापक संस्था के प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्धता नहीं रखते है। यह आंकड़ा भी अध्यापकों की सस्था के प्रति उनकी निष्ठाहीनता को प्रदर्शित करता है। 288 अध्यापक संस्था के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते है।

सारिणी संख्या 1.1की क्रमसंख्या (4) में व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता से सम्बन्धित आकडो को प्रदर्शित किया गया है। व्यवसाय के प्रति अध्यापकों की प्रतिबद्धता का मध्यमान 14.758 तथा मानक विचलन 3.031 है। + से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 72 है, जो प्रतिदर्श का 18 प्रतिशत है। इसका तात्पर्य यह है कि 18 प्रतिशत अध्यापक अपने व्यवसाय के प्रति उच्च कोटि की प्रतिबद्धता रखते है। यह आंकड़ा भी अध्यापको की अपने व्यवसाय से निष्ठा रखने के बजाय उनकी व्यवसाय के प्रति हीन भावना को प्रदर्शित से नीचे प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 50 है जो कि सम्पूर्ण प्रतिदर्श का 12.5 प्रतिशत है अर्थात् 12.5 प्रतिशत अध्यापक व्यवसाय के प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। 278 अध्यापक व्यवसाय के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते है।

सारिणी संख्या 1.1की क्रमसंख्या (5) में उत्कृष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। उत्कृष्ठा के प्रति अध्यापकों की प्रतिबद्धता का मध्यमान 16.918 तथ मानक विचलन से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 72 है अर्थात् सर्म्पूण प्रतिदर्श से 18 प्रतिशत अध्यापक उत्कृष्ठा से नीचे प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 60 है, जो प्रतिदर्श का 15 प्रतिशत है अर्थात प्रतिदर्श में 15 प्रतिशत अध्यापक उत्कृष्ठा के प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्ध भी प्रतिबद्ध नहीं है। 268 अध्यापक उत्कृष्ठा के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते है।

सारिणी संख्या 1.1की क्रमसंख्या (6) में अध्यधपकों की मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता से सम्बन्धित आंकाड़ों को प्रदर्शित किया गया है। मानवीय मूल्यों के प्रति अध्यापकों की प्रतिबद्धता का मध्यमान से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 85 है, जो प्रतिदर्श का 21.25 प्रतिशत है अर्थात् प्रतिदर्श में 21.25 प्रतिशत अध्यापक मानवीय मूल्यों के प्रति उच्च कोटि की प्रतिबद्धता रखते है। यह आंकड़ा कुछ हद से नीचे प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 59 है, जोकि सम्पूर्ण प्रतिदर्श का 14.75 प्रतिशत् है अर्थात् लगभग 15 प्रतिशत अध्यापक मानवीय मूल्यों के प्रति बिल्कुल भी प्रतिबद्ध नहीं है। यह आंकड़ा भी अध्यापकों में मूल्यों के प्रति उनके गिरते स्तर की ओर संकेत करता है। 256 अध्यापक मानवीय मूल्यों के प्रति सामान्य प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते है।

शोध निष्कर्ष

विश्लेषण एवं अर्थापन नामक पंचम् अध्याय में शोधार्थिनी ने शोध उपकरणों को प्राथमिक अध्यापकों पर प्रशासित करने के बाद प्राप्त आंकड़ों को सांख्यकीय प्रविधियों (**T-test**) द्वारा विश्लेषित करके उन्हें शोध उद्देश्यों के क्रम में तालिकाओं मे प्रस्तुत किया है। तद्उपरान्त प्राप्त सांख्यिकीय परिणाम का अर्थापन प्रस्तुत किया है। शोध निष्कर्ष नामक प्रस्तुत अध्याय में शोधार्थिनी ने सर्वप्रथम शोध परिकल्पनाओं की वैद्यता का परीक्षण किया है। उसके बाद शोध परिकल्पनाओं की वैद्यता के आधार पर शोध परिणामों का उल्लेख किया है तथा शोध परिणामों के आधार पर शोध व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिये उपयोगिता की चर्चा की गई है। अध्याय के अन्त में अग्रिम शोध अध्ययन हेतु शीषर्कों का उल्लेख किया गया है। अग्रिम पंक्तियों में शोध परिकल्पनाओं की वैधता का परीक्षण किया गया है।

शोध परिकल्पनाओं की वैधता का परीक्षण

शोध अध्ययन की प्रथम परिकल्पना इस प्रकार है–

''प्राथमिक विद्यालयों के अधिकांश अध्यापक उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता वाले होते हैं''

वृत्तिक प्रतिबद्धता मापनी के छः आयाम है अतः छः आयामों के आधार पर वृत्तिक प्रतिबद्धता का परीक्षण किया गया है।

से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 0 है, अतः शोध परिकल्पना संख्या (1) प्रथम आयाम पर अस्वीकृत हुई।

से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 45 है, जो प्रतिदर्श का 11.25 प्रतिशत है, अतः शोध परिकल्पना संख्या (1) द्वितीय आयाम पर अस्वीकृत हुई।

से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 59 है, जो प्रतिदर्श का 14.75 प्रतिशत है, अतः शोध परिकल्पना संख्या (1) तृतीय आयाम पर अस्वीकृत हुई।

से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 72 है, जो प्रतिदर्श का 18 प्रतिशत है, अतः शोध परिकल्पना संख्या (1) चतुर्थ आयाम पर अस्वीकृत हुई।

से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 72 है, जो प्रतिदर्श का 18 प्रतिशत है, अतः शोध परिकल्पना संख्या (1) पंचम् आयाम पर अस्वीकृत है।

से ऊपर प्राप्तांक वाले अध्यापकों की संख्या 85 है, जो प्रतिदर्श का 21.25 प्रतिशत है, अतः शोध परिकल्पना संख्या (1) षष्ठ आयाम पर अस्वीकृत हुई।

शोध परिणाम

प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वृत्तिक प्रतिबद्धता

1. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एक भी अध्यापक छात्रों के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता वाला नहीं है।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 11.25 प्रतिशत अध्यापक समाज के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता वाले है।
3. प्राथमिके विद्यलयों में कार्यरत 14.75 प्रतिशत अध्यापक संस्था के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता रखने वाले है।
4. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 18 प्रतिशत अध्यापक व्यवसाय के प्रति उच्च वृत्तिक प्रतिबद्धता वाले हैं।
5. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 18 प्रतिशत अध्यापक उत्कृष्ठा के प्रति उच्च प्रतिबद्धता रखते है।
6. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 21.25 प्रतिशत अध्यापक मानवीय मूल्यों के प्रति उच्च व्यावसायिक

प्रतिबद्धता वाले है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. रिचर्स, एच0ई0 (1985) ''ए रिव्यू एण्ड कन्सेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेन्ट''ए ऐकेडमी ऑफ मेजरमेंट रिव्यू 10 (3) पी0 465–476
2. डेविस, ग्रास (1996) प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट लन्दन : इण्टरनेशनल थॉमसन प्रेस।
3. मीराडाडोस, एस0जे0 (2000) ''इमोशनल इन्टैलीजेन्स इन ऑफ क्रेडीबिलिटी'' यूनिवर्सिटी न्यूज वॉल्यूम 38 (12) पी0–7–11।

A study of Religiosity and Anxiety among students

Dr. Shailendra Kumar Singh
Associate Professor
Dept. of Psychology
M. B.S. PG College, Gangapur Varanasi

Abstract

The main aim of the present study is to compare the level of anxiety between low and high religious oriented students. For this two hundred college students were taken as sample . For data collection socio demographic and personal data sheet, Religiosity scale developed by Bhushan and comprehensive anxiety scale develoed by Sinha and Sinha were used.Result shows that there is significant difference in the level of anxiety between low and high religious students. High religious groups had more anxiety than low groups.

Key words: Religious belief, Anxiety

Introduction:

Religion is a powerful institution and it influences the individual and society significantly. So, it has always provided an important focus for applied psychology. Religion and faith refer to a set of customs and beliefs manifested in a religious entity.While it can be conceptualized as a wide structure without financial goals. Coning et al. defined religion to facilitate movement toward God. Religion has a positive relationship with physical, mental, and physiological parameters Many psychologist tries to understand it and provide scientific explanation of religion. Faith in religion, ideas and rituals are basically psychological. These are feelings, impulses and ideas which prompt man to be religious. In other words, by being so some of his motives get satisfaction. In every form of religion man seeks to establish a helpful relationship between him self and the higher power. According to Freud (1919)' religion is a form of repression which controls civilized sexual morality and causes modern nervousness. Larawitz, 1980 holds that a man confesses his sin or bad deed before God, the heavy burden falls away from his heart and he becomes free. Thus religion has a psycho therapeutic value. Sloane, 1986 says that religion represents essence of the man's struggle between animal impulses and the restraining socializing forces of parental authority. Most of mental disorders that result from psychological distress and bitterness of life are observed among non-religious people. Religious beliefs lead to positive emotions and feelings among people who improve physical health by strengthening the immune system. Since students constitute sensitive and important members of society with young age, their lifestyle is very important because it improves their health level where religion, is an important factor that promotes physical and mental health of this group **(Forouhari etal, 2019**). Some studies have shown a negative association between religiosity and mental health, which includes religious strain- expressed mostly as feelings of guilt and alienation and associated with higher level of depression and suicide, irrespective of the reported comfort found in religion (

Sloan et al, 2000). Other authors have claimed that evidence relating religion to medicine is weak and unconvincing results and data lacking specificity

Thus we find that the religion and religious faiths have various effects and special significance in determination of human personality and social behaviour. So the purpose of the present study is to find out the relation between religiosity and personal factors (Exline etal, 2000)..

Methodology:

Venue of the study: It is a community based cross sectional study.

Sample: The study was conducted on 200 undergraduate college students, drawn from different college of Arrah district of Bihar. The age range of the sample ranged from 18 to 22 yrs with mean age is 19.67 yrs.

Tools used:

Following tools were used for the data collection

Socio- demographic data sheet especially designed for the study, which mentioned various information regarding socio- demographic and personal details.

Religiosity Scale (Bhushan, 1970): It was used to measure religiosity of both the groups. The 5 point Likert type religiosity scale consists of 36 items. The content, test-

retest reliability, predictive and concurrent validity coefficients reported by Bhushan were found to be satisfactorily high.

Comprehensive Anxiety Scale (Sinha and Sinha, 1971):It is a test available both in Hindi and as well as in English. It covers five levels of anxiety. The test contains 90 items of manifest anxiety. It is 15 to 20 minutes test, easily administrable and scorable.

Statistical Analysis: Raw data were analyzed with the help of mean, SD and t-ratio.

Result:

Most of the sample belongs to male sex, urban area of habitat, Hindu religion and nuclear family setup. Most of the sample educated in first year of graduation.

Table-1: Performance of the subjects on Religiosity Scale

Variable	High	Avg	Low
Religiosity scale	109(54.5%)	51	40(20%)

Above table shows that about 54.5% college students have high level of religiosity. They highly religious belief oriented.

Table-2: Performance of the subjects on comprehensive anxiety Scale

Variable	High	Avg	Low
Religiosity scale	107(53.5%)	63	30(15%)

Above table shows that about 53.5% college students have high level of anxiety.

Table-3: Comparison anxiety between high and low religious college students

Variable	Religiosity High M±SD	Religiosity Low M±SD	t

Anxiety scale	69.88±2.35	58.72±4.53	11.09**

****sig.on .01 level**

Above table shows that subjects belonging to high religious groups scored higher on anxiety scale than subjects belonging to low religious groups(t= 11.09).

Discussion:

In this study it was found that 54.5% subjects have high religious believes and 53.5% students felt high level of anxiety. This finding was supported by earlier studies also. 62% of students had moderate anxiety and 53% had a high religious attitude (Ashouri et al, 2016). Similarly, in the Ghane *et al*. study, 50% of medical students are moderately stressed and 88% have high religious beliefs. Result of this study also reflect that students of high religious group scored more on the anxiety scale than low religious groups.The results of a meta-analysis on religious studies and mental health showed that in 44% of studies, positive relationships are tangible and 23% showed negative relationships between religion and mental health and in 35% of studies, no significant relationship can be found. It is possible to find evidence that indicate the positive effect of religion on mental health which is consistent with the results of the present study, because the relationship between religious orientation and anxiety is stronger (Bussing etal, 2005).Religion can create meaning; therefore, it gives meaning to life and death, increases life expectancy, and promotes optimism and can compensate decreased self-control. It prescribes a type of healthier lifestyle that positively influences mental health and includes a set of positive social norms that lead to acceptance by others, a type of supernatural feeling that undoubtedly causes psychological effects (Rippentrop etal, 2005).

Conclusion: Students with high religiosity have comparatively more anxiety level.So, it is concluded that religiosity is highly influenced by anxiety and other persoanl variables.

References:

Ashouri F P, Rasekhi S.Correlation between religious beliefs with mental health and academic performance in medical students. Int Electron J Med 2016 ; 5:1- 6.

Büssing A, Ostermann T, Matthiessen PF. (2005).Role of religion and spirituality in medical patients:confirmatory results with the SpREUK questionnaire. Health Qual Life Outcomes, 3: 10.

ExlineJj,Yali A.M, Sanderson WC(2000). Guilt, discord and alienation: the role of religious strain in depression and suicidality.Journal of Clinical Psychology; 56(12):1481-96.

Forouhari S,Teshnizi S.H & Mahmood SSM et al,(2019).Relationship between Religious Orientation, Anxiety, and Depression among College Students: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Iran Journal of Public Health*; 48(1):43-52.

Freud.S(1919). Totem and Taboo. New York: Norton.

Rippentrop AE, Altmaier EM, Chen JJ, et al. (2005). The relationship between religion/ spirituality and physical health, mental health, and pain in a chronic pain population. *Pain*, 116 (3): 311– 21.

Sloan RP, Bagiella E, VandeCreek etal,(2000). Should physian prescribe religious activities? New English Journal ofMedical Sciences: 342(25):1913-16

Sloane D.M, & Potril.R.(1986). Religion and Delinquiency: Cutting through the maze. Social Forces; 65(1):87-105.

भारतीय जाति व्यवस्था और जैव विविधता
(एक समाजशास्त्रीय अध्ययन)

डा0 प्रदीप कुमार
असिसटैंट प्रोफेसर समाज शास्त्र विभाग
आर0एम0पी0 (पी0जी0) कालेज,
नारसन, हरिद्वार

सारांश

जाति व्यवस्था को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्राचीन है। हिन्दू धर्म जाति व्यवस्था के बगैर अपूर्ण है जिसका प्रमुख कारण धर्म से जुडे अनेक कर्मकाण्ड, अनुष्ठान जातीय आधार पर ही पूर्ण होते हैं। यदि सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो इस जातीय व्यवस्था ने भरत में कहीं न कहीं जैन विविधता के संरक्षण का भी पोषण किया है। दूसरे शब्दों में किसी न किसी जाति के साथ किसी विशिष्ट जाति का सह–सम्बन्ध रहा है। इस शोध पत्र में वर्णनात्मक शोध प्ररचना को सीमाओं में रहकर कार्य किया गया है।

मुख्य शब्दावली :– जैव विविधता, परम्पराओं का संरक्षण, अनुष्ठान जाति व्यवस्था, कृषि जाति।

प्रस्तावना

भारत में जाति व्यवस्था का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिन्दु धर्म जाति व्यवस्था के बगैर अधूरा है। क्योंकि धर्म से जुड़े अनेक कर्मकाण्ड़, अनुष्ठान जातीय आधार पर ही पूरे होते हैं। इस जातीय व्यवस्था ने भारत में कहीं न कहीं जैव विविधता के संरक्षण का भी पोषण किया है। इस विषय में कई लोग यह कहेंगे कि जाति व्यवस्था तथा जैव विविधता में क्या सह सम्बन्ध हो सकता है। इस शोध पत्र में यही स्पष्ट करने का प्रयास किया जायेगा। इस शोध पत्र में वर्णनात्मक शोध प्ररचना की सीमाओं में रहकर कार्य किया गया है। इस शोध पत्र में अनेकों धार्मिक ग्रन्थों से तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं। समाज शास्त्र पढ़ने के नाते जाति व्यवस्था का विश्लेषण भी कर लेना आवश्यक है। भारत में प्रत्येक ग्रामीण इकाई में विभिन्न जातियों का संगम देखने को मिलता है। स्थान और क्षेत्र बदलने के साथ–साथ जातियों के नाम भी बदल जाते हैं। जैसे एक क्षेत्र विशेष में कृषक जातियों के नाम अलग हैं। जबकि दूसरे क्षेत्र विशेष में कृषक जातियों के नाम बदल जाते हैं। इसी तरह सेवक जातियों की बात की जा सकती है। किन्तु भारत वर्ष में जातिय व्यवस्था में कुछ सामान्य चीजे भी देखने को मिलती है। जैसे जजमानी व्यवस्था का केन्द्र किसान रहा है और दूसरा ब्राह्मण जाति पूरे भारत वर्ष में पाई जाती है और जातिय संस्तरण में उनका स्थान सर्वोपरि है। वह पुरोहिताई भी करते हैं। साथ ही धार्मिक दृष्टि कोण की बात की जाये तो हिन्दुओं मे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान बिना पुरोहित के पूरा नहीं होता है। इन धार्मिक अनुष्ठानों में विभिन्न प्रकार के फल–फूल, वनस्पतियों की आवश्यकता होती है जो मनुष्य के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक चाहिए होती है। जैसे विभिन्न पूजा–पाठ के लिए पंच फल, दूब, केले के पत्ते, आम के पत्ते, आम की लकड़ी, नारियल, दाब, सरकण्डा, बांस, नीम, पीपल, वट, गेहूँ, जौ, चावल, दूध, घी, शहद, दही, गंगा जल, सामग्री आदि की आवश्यकता होती है। अर्थात् बगैर जैव विविधता के हिन्दू पूजा पद्धति भी पूर्ण नहीं हो सकती है। अब थोड़ा

सा ध्यान हम जैव विविधता पर भी देते हें। **जैविक विविधता** शब्द का प्रयोग 1980 में सवप्रथम **E.A. Norse** तथा **R.E. Mank Manus** द्वारा किया गया था। सन् 1985 में सर्वप्रथम **W.G. Rajen** ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया। संसार में समस्त जीवधारी कही न कहीं अपने जीवन के लिए पेड़–पौधों से लेकर सूक्ष्म जीवाणुओं या जीवों पर निर्भर है। अर्थात् परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखने के लिए इन सभी जीवों और वनस्पतियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है तथा एक दूसरे का अस्तित्व कहीं न कहीं एक दूसरे पर ही निर्भर है। विश्व की विभिन्न प्रजातियों, पादपों तथा सूक्ष्म जीवों की समग्रता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। इसी जैव विविधता को बचाये रखने के लिए औद्योगिकरण की प्रक्रिया के बाद भारत सहित पूरी दूनिया के देश चिंतित हैं तथा समय–समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय पर सभी देशों के शीर्षत्व नेतृत्व सम्मेलन करते रहे हैं। भारत में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 अ के द्वारा हमें इससे सम्बंधित कई कानून विरासत में मिले हैं। नीति निदेशक तत्वों में राज्य को यह कहा है कि वह जंगल, झीलों, नदियों, जंगली जीवन की रक्षा करते हुए पूरे पर्यावरण की सुरक्षा और विकास करें। इसी के साथ थोड़ा सा ध्यान हम भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद पर भी डालते हैं। आयुर्वेद में बीमारियों का इलाज विभिन्न वनस्पतियों के द्वारा ही किया जाता है। अर्थात् आयुर्वेद के हिसाब से पृथ्वी पर जैव विविधता का होना अति आवश्यक है। इसी तरह धार्मिक नजरिये से हम देखे तो हमारे प्रत्येक देवी–देवता के साथ कोई न कोई जीव तथा वनस्पति का सम्बन्ध बताया गया है। जैसे गणेश जी के साथ चूहा, माँ सरस्वती के साथ हंस, शिव के साथ सर्प, बैल, कृष्ण के साथ गाय, लक्ष्मी के साथ कमल का फूल आदि। इस तरह देखा जाता है कि हिन्दू धर्म में कहीं न कहीं जैव विविधता को जीवित रखने की एक प्रमाण रही है।

इसी तरह भारतीय जाति व्यवस्था की बात करें तो वह भी पूरे देश में जैव विविधता की पोषक रही है। भारत में ग्रामीणों के बीच सिन्धु घाटी की सभ्यता काल से ही पशुपालन तथा कृषि की परम्परा रही है। विभिन्न जीवों की रक्षा तथा वनस्पतियों की सुरक्षा भारतीय जाति व्यवस्था की एक परम्परा रहा है या संस्कृति का एक भिन्न–भिन्न पशुपालन, तथा भिन्न–भिन्न तरह की खेती तथा बागवानी हजारों जीवों की सुरक्षा की गारंटी है। पूर्वोत्तर भारत में जहां याक जैसे पशु को पालतु बनाया गया है। वही केरल और तमिलनाडु में हाथी जैसे विशालकाय पशु को भी पालतु बना लिया गया है। रेगिस्तान के जहाज ऊँट को भी पाला गया है। पंजाब में अच्छी–अच्छी नस्लों की भैंसे भी पाली गयी हैं। भारत में रहने वाली जातियों के द्वारा पाले जाने वाले कुछ पशु पक्षी इस प्रकार हैं–

क्र0 सं0	जाति	पाले गये पशु–पक्षी
1	गड़रिया	भेड़ पालन
2	विश्नोई	हिरन
3	बाल्मीकि	सुअर पालन
4	महावत	हाथी
5	मदारी	भालू, बन्दर
6	बंजारा	कुत्ता

7	झोझा	मुर्गे, बत्तख
8	कुम्हार	गधा, खच्चर
9	राजपूत	गाय, भैंस, घोडा
10	गुज्जर	गाय, भैंस
11	जाट	गाय, भैंस
12	राजस्थान में किसान जातियां	ऊँट, गाय, भैंस
13	यादव	गाय
14	धोबी	गधा
15	सपेरा	सांप
16	मछुआरे	मछली
17	शेख	बाज
18	तैली	बैल, बटैर
19	सैय्यद	घोड़ा
20	लीलगर	कबूतर

उपरोक्त तालिका को लेकर कुछ लोग यह भी कहेंगे कि यह सारे पशु–पक्षी कहीं न कहीं विभिन्न जातियों के व्यवसाय के साथ भी जुडे हैं। लेकिन यहां यह जानना आवश्यक है कि किसान के यहां जब बैल बूढा हो जाता है तो भी किसान उसे नहीं बेचता, क्योंकि इन सभी पशुओं के साथ प्रत्येक जाति का अपना एक भावनात्मक रिश्ता है जिसे हम लाभ–हानि की तराजु में नहीं रख सकते हैं। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान जातियों में जाट जाति के लोग आम, नीम के पेड़ लगाते हैं। जबकि त्यागी समाज के लोग अमरूद के बागों पर फोकस करते हैं। हिन्दु जातियां पीपल, वट, बरगद की लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करती है। ऐसे अनेकों उदाहरण भारतीय जाति व्यवस्था में देखने को मिल जाते हैं। जैसे सरकण्ड़ा का उपयोग कहीं नहीं है। फिर भी हिन्दुओं में विवाह के समय मंढा पूजन सरकण्डे की बीड़ से ही होता है। जिसके कारण गांव से सरकण्डे को समाप्त नहीं किया जाता है।

निष्कर्ष :–

ऐसी अनेकों–अनेक परम्पराएं भारत में जैव विविधता की समृद्धता को बढाने में अपना सहयोग दे रही है। लेकिन आधुनिकता की होड ने कहीं न कहीं इन परम्पराओं के अस्तित्व को ललकारा भी है।

References

1. शुक्ल, दीनानाथ, कुमार, पी0, श्रीवास्तव, वन्दना, 2007 : पर्यावरण अध्ययन– समस्यायें एवं निदान, क्षितिज प्रकाशन, नरायनपुर, शिवपुर, वाराणसी

2. अग्रवाल जी0के0, 2019 : भारत का समाजशास्त्र, एस0बी0पी0डी0 पब्लिकेशन्स, आगरा।

मुगलकालीन नौ–परिवहन :स्वरूप एवं विकास

डॉ0 अम्बिका प्रसाद तिवारी
असिस्टेंट प्रोफेसर
इतिहास विभाग
बुद्ध पी0 जी0 कॉलेज, कुशीनगर,

सभ्यता का इतिहास बताता है कि विश्व की अधिकांश सभ्यताएँ नदी की घाटियों में पनपी और विकसित हुईं। प्राचीन काल से ही यूनान रोम तथा भारत आदि देशों में संचार के साधनों के रूप में जहाजों के प्रयोग का विवरण मिलता है। प्रो0 राधा कुमुद मुकर्जी के अनुसार 3000 वर्ष पूर्व पेगू, कम्बोडिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में भारतीय बस्तियाँ थीं तथा दक्षिण चीन, मलाया, अरब और फारस के लगभग सभी प्रमुख शहरों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था।[1]

उत्तर भारत की नदियाँ मैदान में बहने के कारण परिवहन के लिये अधिक उपयुक्त हैं। गंगा, ब्रम्हपुत्र और सिंध इन तीनों के उद्‌गम स्थल हिमालय में है। सिंधु–गंगा का मैदान हिमालय की तलहटी और दक्षिण भारत को अलग करने वाले मध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है। यह पूर्व में ब्रम्हपुत्र से लेकर पश्चिम में बोलन दर्रे तक फैला है। दिल्ली और आगरा से आगे नदियों के प्रवाह पूर्व की ओर मुड़ गये हैं। गंगा के समानान्तर यमुना और घाघरा भी पूर्व की ओर प्रवाहित होकर आगे गंगा से मिल जाती हैं। जबलपुर के निकट से निकल कर नर्मदा नदी पहाड़ी घाटियों से होती हुई पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा से लगभग 50 मील दूर उसके समानान्तर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है जो सूरत के निकट समुद्र में गिरती है। मध्यकालीन खान देश ताप्ती की घाटी में ही बसा था उत्तर–पश्चिम में सिंधु नदी की धारा को उसकी सहायक झेलम, चिनाव, रावी और सतलज मिलकर तेज कर देती हैं जो करांची के निकट डेल्टा बनाती हैं। दक्षिण की नदियों में कृष्णा, गोदावरी और महानदी प्रमुख हैं।[2]

भारत में प्राचीन काल से जहाजों तथा नावों के उल्लेख मिलते हैं। वैदिक साहित्य को उद्धृत करते हुये आर0सी0 मजूमदार[3] तथा पाणिनि सूत्रों का हवाला देते हुये डॉ0 बी0एस0 अग्रवाल[4] ने प्राचीन काल के नौ परिवहन पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य ने जल मार्गों द्वारा यातायात को अत्यन्त सस्ता तथा कम श्रम वाला बताया है, परन्तु हर मौसम के लिये नहीं। तो भी जल मार्गों द्वारा अधिक यात्रायें की जाती थीं क्योंकि इसमें पैसा कम लगता था और यात्रियों को लाभ अधिक था।[5] मौर्य काल में 'नावाध्यक्ष' का एक पद होता था यह सरकारी अधिकारी होता था। नौ परिवहन के संचालन के साथ उससे संबंधित शुल्क का निर्धारण एवं वसूली करवाने की व्यवस्था नहीं करता था।[6] वाराणसी से पटना और कैन्या (वर्तमान भागलपुर) तक बराबर बड़ी–बड़ी नावें चला करती थीं।[7] पालि जातकों में भी बड़े–बड़े जहाजों एवं नावों का उल्लेख मिलता है।[8]उस काल में जब संचार का साधन इतना तीव्र और सुलभ नहीं था, नदियाँ ही इसकी पूर्ति करती थीं। यातायात एवं संचार के लिये यही तेज और द्रुतगामी साधन थीं। सैनिक तथा व्यापारिक दोनों प्रकार के संचार के लिये नदियों का उपयोग होता था। परन्तु जब बरसात में तेज बाढ़ आ जाती थी तो कुछ अपवादों को छोड़कर ये नदियाँ यातायात के लिये रूकावट भी बन जाती थीं।[9]

सल्तनत काल में अमीर–उल–बहर नाम का एक अधिकारी होता था जो नदियों में नावों की वेड़े की देखरेख करता था।[10] निकोली डि काण्टी ने पन्द्रहवीं शताब्दी में हिन्दुस्तान का भ्रमण किया था। उसने तत्कालीन रियासतों तथा बन्दरगाहों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। उसने ऐसे जहाजों का भी विवरण दिया है जो एक हजार टन की क्षमता वाले थे।[11] सल्तनत काल के एक दूसरे प्रमुख यात्री मार्को पोलो ने कैम्बे बन्दरगाह को एक प्राचीन बन्दरगाह स्वीकार किया है। जबकि कालीकट बन्दरगाह को दुनिया का एक श्रेष्ठ बन्दरगाह बताया है। उसने 300 नाविकों एवं कर्मचारियों वाले जहाजों का भी उल्लेख किया है।[12]

मुगल काल में नौपरिवहन अत्यन्त विकसित अवस्था में था। जहाजों तथा नौकाओं का प्रयोग युद्ध एवं व्यापार दोनों के लिए समान रूप से किया जाता था। 'मीर बहर' मुगलों के समय में इस विभाग का प्रमुख अधिकारी था साम्राज्य की आवश्यकता के अनुसार यह जहाजों के निर्माण एवं संचालन का प्रबंध करता था। 'मीर बहर' सैनिक गतिविधियों तथा विदेशी समाचारों को भी एकत्र कर दरबार में भेजता था। बन्दरगाह शुल्क, सीमा शुल्क, नौका कर आदि का भी निर्धारण वही करता था।[13] युद्ध के समय 'मीर बहर' सेना को नदी पार करवाने तथा छोटे–मोटे पुल के निर्माण कराने का कार्य भी करता था। मुगल शासकों ने नौपरिवहन के प्रति विशेष दिलचस्पी दिखायी। तुजुक–ए–बाबरी से ज्ञात होता है कि बाबर नौका बिहार एवं तैराकी में अत्यधिक रूचि लेता था।[14] 'ख्वान्दमीर' के 'हुंमायूँ नामा' से ज्ञात होता है कि हुमायूँ प्रशासन प्रशासन के चार प्रमुख विभागों में से एक विभाग जल से संबंधित था।[15]

हुमायूँ ने नावों के निर्माण एवं संचालन में कई नये प्रयोग किये, उसने दो मंजिल वाले बजरों का निर्माण करवाया, जिसके विभिन्न भाग भिन्न–भिन्न रंगों से रंगे गये। उन पर सुन्दर कालीन तथा बहुमूल्य वस्तुओं से सजावट की जाती थी जिससे ये बजरें बहुत शानदार दिखायी देते थे।[16] हुंमायूँ का दूसरा प्रयोग यह था कि उसने बहुत सी नावों के किनारे तथा बीच में दुकाने स्थापित करवायी थीं यहीं से नावों पर चलती फिरती दुकानों की नई परम्परा की शुरूआत हुई। ख्वान्दमीर तो यह भी लिखता है कि सभी प्रकार के व्यवसायियों को यह आदेश दिया गया था कि वे अपनी–अपनी दुकानें इस प्रकार की नावों पर सजायें किन्तु यह आदेश प्रभावी नहीं हो सका। हुमायूँ ने स्वयं ऐसी नावों पर अपने अमीरों एवं अधिकारियों के साथ तुगलकाबाद से आगरा तक कई बार यात्रा की थी। उसने शाही मालियों को आदेश दे रखा था कि वे इन नावों पर वेला, चमेली तथा कुछ अन्य प्रकार के खुशबूदार फूल लगायें जिससे ताजे फूल मिल सकें और नावों का आकर्षण बढ़ जाये।[17] हुमायूँ का तीसरा प्रयोग यह था कि उसने चलते फिरते पुल (जसर–ए–रबा) का निर्माण करवाया जो आवश्यकता पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाये जा सकते थे। इन पुलों के निर्माण में छोटी–छोटी नावों को लोहे के कुण्डों एवं जंजीरों से इस प्रकार जकड़ दिया जाता था कि वे हिल न सकें। फिर उन पर लकड़ी के पटरे डाल दिये जाते थे, जिनके ऊपर से आसानी से नदी पार कर लिया जाता था।[18] अंग्रेज इतिहासकार बेवरीज ने 'अकबर नामा' के अनुवाद में अपनी टिप्पणी दी है कि हुमायूँ के समस्त कार्यों में यह एक मात्र उपयोगी एवं लाभदायक कार्य था।[19]

अकबर ने इस विभाग को और भी वैज्ञानिक ढंग से सुसज्जित किया, अबुल फजल के अनुसार सम्राट स्वयं नावों के निर्माण का निरीक्षण करता था, उस समय नावें इतनी बड़ी और मजबूत बनायी जाती थीं कि उन पर हाथियों को सरलता पूर्वक ले जाया जा सकता था। कुछ नौकायें घरों जैसी बड़ी–बड़ी तथा कुछ पशुओं की आकृति की बनाई जाती थीं जिनमें भय और मनोरंजन दोनों का संयोग स्पष्ट होता था।[20] अकबर के शासनकाल में बंगाल, थट्टा और कश्मीर में जहाज तथा बड़ी नावें पश्चिम समुद्र तट और दक्षिण समुद्र तट पर जहाज और इलाहाबाद तथा लाहौर में बड़ी–बड़ी नौकायें तथा कुछ जहाज बनाये जाते थे, जिन्हें समय–समय पर समुद्र तट पर भेज दिया जाता था।[21] इन नावों एवं जहाजों पर ऐसे नाविक

नियुक्त किये जाते थे जो जल की गहराई, विभिन्न हवाओं के बहने का समय तथा उनसे होने वाले लाभ और हानियों से परिचित होते थे। इसके अतिरिक्त नाविक को स्वस्थ्य, बलवान, दक्ष, तैराक, परिश्रमी एवं धीर प्रकृति का होना चाहिये था। इन गुणों का समावेश मालावार के नाविकों में अधिक था। इसीलिये वहीं से अधिक संख्या में नाविकों की भर्ती होती थीं।[22]

आइन–ए–अकबरी से इस विभाग की कार्यवाही तथा इससे सम्बन्धित आंकड़ों की विस्तृत जानकारी मिलती है। जहाजों तथा नावों के आकार और बन्दरगाह की श्रेणी के आधार पर नाविकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी और उसी के अनुसार वेतन भी दिया जाता था। उनके पद और स्तर के अनुसार सुविधएं भी मिलती थीं।[23] 'नाखुदा', 'मुअल्लिम', 'टण्डिल', 'सरहंग', 'सुभंगीर', 'पंजरी', 'गुम्ती', 'भण्डारी' एवं 'खारवा' आदि प्रमुख कर्मचारी होते थे जो बन्दरगाहों, जहाजों और नावों की श्रेणी के आधार पर वेतन प्राप्त करते थे। सतगांव (हुगली) बन्दरगाह में नाखुदा को चार सौ रुपये मासिक वेतन तथा चार केबिन (कोठरियाँ) उसके निजी प्रयोग के लिये मिलती थीं, मुअल्लिम को 200 रुपये प्रतिमास और दो केबिन, टण्डिल 120 रुपये प्रतिमास, सरहंग 25 रुपये, सुभंगीर, पंजरी, भण्डारी और गुम्ती प्रत्येक को 15 रुपये प्रतिमास तथा खारवा को 40 रुपये प्रतिमास का दैनिक भोजन दिया जाता था। खम्भात (कैम्बे) बन्दरगाह में नाखुदा को 800 रुपये प्रतिमास मिलते थे और उसी अनुपात में अन्य कर्मचारियों को भी दिया जाता था। लाहरी बन्दरगाह में 300 रुपये प्रतिमास नाखुदा पाता था तथा शेष कर्मचारी उसी अनुपात में धनराशि पाते थे। सामान्य तौर पर उत्तर की तुलना में दक्षिण के बन्दरगाहों में लगभग दूना वेतन और सुविधाएं दी जाती थी। वहाँ से पुर्तगाल जाने वाले को ढाई गुना तथा मलक्का जाने वाले को दूना से अधिक वेतन मिलता था। नदियों के नाविकों को 100 दाम से लेकर 500 दाम तक मासिक वेतन दिया जाता था।[24]

अकबर के शासनकाल में नाव से सामान ले जाने तथा नदी पार करने के लिये जो कर लिये जाते थे उनका विवरण अत्यन्त ही रोचक है। नावों पर रहने वाली दुकानों का वजन यदि 1100 मन हो तो एक रुपया प्रति कोस लिया जाता था, यदि नाव और उस पर का सामान एक ही व्यक्ति का हो तो 1090 मन तक के बोझ के लिये एक रुपया प्रति कोस लिया जाता था, यदि नाव किराये की हो और सामान दूसरे का हो तो प्रति ढाई कोस पर एक रुपया लिया जाता था। घाटों पर नदी पार करने के लिये शुल्क की दरें अलग–अलग थीं। प्रति हाथी 10 दाम, लदी गाड़ी 4 दाम, खाली गाड़ी दो दाम, लदा हुआ ऊँट एक दाम, खाली ऊँट 1/2 दाम, घोड़े तथा अन्य जानवर जो बोझ के साथ होते थे 1/2 दाम और खाली के लिये 1/4 दाम देने पड़ते थे। बाकी पशुपक्षियों एवं जानवरों के लिये 1/16 दाम लिया जाता था। एक साथ कुल 20 आदमियों के लिये एक दाम देना पड़ता था। विशेष परिस्थिति में मुफ्त नदी पार करने की भी अनुमति मिल जाती थी।

शासन की ओर से अनुभवी व्यक्तियों को नदियों के निरीक्षण के लिये नियुक्त किया जाता था। ये लम्बे चौड़े डील वाले, निर्भय, ऊँची आवाज वाले, कष्ट सहिष्णु, उत्साही, यात्रा प्रेमी एवं अच्दे तैराक होते थे एवं घाट सम्बन्धी कठिनाइयों का समाधान करना, भीड़ व बढ़ने देना, मार्ग को साफएवं सुरक्षित रखना, नावों की वहन क्षमता के आधार पर यात्रियों की संख्या निश्चित करना तथा गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क नदी पार कराना इनके प्रमुख कार्य थे। ये लोग इस बात का भी ध्यान रखते थे कि कोई व्यक्ति नदी तैर कर न पार करे और यात्री घाटों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थानों पर न उतारे जायें।[25]

मुगल काल में उत्तर भारत की सम्पूर्ण नदियाँ किसी न किसी सीमा तक नौपरिवहन के उद्देश्य की पूर्ति करती थीं। सिंधु नदी और उसकी सहायक मुल्तान, लाहौर तथा कश्मीर से जुड़ी हुई थीं, जिससे ऊपर से नीचे की ओर यात्रा करते समय कम समय लगता था जबकि नीचे से ऊपर की ओर यात्रा में

अधिक समय लगता था।[26] भक्कर के पास रावी नदी, मुल्तान के पास झेलम, सिंधु से मिलकर बहाव की गति तेज कर देती थीं जिससे यात्रा में तेजी आ जाती थी। अबुल फजल के अनुसार लाहौर सूबे कई नदियाँ थीं जिनके माध्यम से उत्तरी जंगलों से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ लाई जाती थीं जो सिंधु प्रान्त के नाव एवं जहाज के कारखानों के लिये लकड़ी की आपूर्ति करती थी।[27] लाहौर कस्बा रावी के किनारे स्थित था, उसके उत्तर में काश्मीर तनिक दक्षिण में मुल्तान और उससे दक्षिण में थट्टा उसी नदी जुड़े हुये थे। इसलिये रावी नदी के माध्यम से कश्मीर, लाहौर एवं सीमित मात्रा में दिल्ली तथा आगरा तक की वस्तुएं विदेश व्यापार हेतु लाहरी बन्दरगाह तक भेजी जाती थी।[28]

आगरा प्रान्त यमुना और चंबल दोनों नदियों से जुड़ा हुआ था,[29] किन्तु नौपरिवहन के लिये यमुना नदी अधिक उपयुक्त थी, इसका मुख्य कारण यह था कि गंगा नदी से मिल जाने के बाद यमुना का उपयोग साम्राज्य के सुदूर पूर्वी भाग सोनारगांव, चटगांव तक किया जा सकता था, दूसरा कारण यह था कि चंबल की अपेक्षा यमुना में पूरे वर्ष भर पानी रहा करता था और 100 टन तक वजन की नावें सरलता से चल सकती थीं।[30] आगरा तथा उसके निकटवर्ती कस्बों से नमक, अफीम, लोहा, रुई, कारपेट, लेट और अन्य उपयोगी तैयार सामान देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों को भेजा जाता था।[31] व्यवस्थित नौपरिवहन के कारण बंगाल और आगरा दूर होते हुये भी आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे पर निर्भर थे। यही कारण है कि अकबर एवं उसके बाद के मुगल शासकों ने बंगाल को अपने आधिपत्य में बनाये रखने का बराबर प्रयास किया। मुगलों के शासनकाल के दौरान सिंधु, मुल्तान, लाहौर, कश्मीर, दिल्ली, आगरा, अवध, इलाहाबाद, बिहार और बंगाल प्रान्तों में नौपरिवहनपूर्ण रूप से प्रचलित था।[32]

वैसे तो गंगा और यमुना दोनों नदियाँ नौपरिवहन के लिये सर्वाधिक उपयुक्त थीं लेकिन आज की तुलना में बंगाल की नदियाँ भी उसके लिये कम उपयुक्त नहीं थीं। स्वयं फिंच ने आगरे से बंगाल (सतगांव) तक 180 नावों के बेड़े द्वारा यात्रा की थी, जिस पर नमक, अफीम, हींग और कारपेट इत्यादि सामान लदे थे।[33] फिंच ने बनारस से पटना तक की यात्रा का बहुत ही रोचक विवरण प्रस्तुत किया है, साथ ही उसने स्वीकार किया है कि आगरा से बंगाल तक पहुंचने में उसे पांच माह लग गये थे, लेकिन उससे भी कम समय में पहुंचा जा सकता था।[34] उन दिनों बड़े बेड़े प्रायः सेना आदि भेजने के लिये ही तैयार कराये जाते थे। उपलब्ध आंकड़ों से ज्ञात होता है कि मुल्तान और लाहौर के लिये सिंधु नदी में अधिक वजन के साथ बड़ी नावें नहीं चल सकती थीं। लाहौर और उसके आस–पास 60 टन तथा उससे कुछ ही अधिक तक की नावें चल सकती थीं। यमुना में 100 टन तथा गंगा में 400–500 टन तक की नावें आसानी से चल सकती थीं।[35]

औरंगजेब के शासन काल में हेमिल्टन आया था। उसने जो विवरण दिया है उससे स्पष्ट है कि सिंधु नदी में 200 टन तक की नावें चल सकती थीं और उन पर जीवनोंपयोगी समस्त वस्तुएं सरलता से मिल जाती थीं उसमें पंजाब की नदियों को मछली प्राप्त करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण बताया, कश्मीर में भी नौपरिवहन की व्यवस्था थी कुछ नावें तो कश्मीर से काबुल तक चला करती थीं। उन दिनों लाहौर से थट्टा जाने में मात्र 18 दिन का समय लगता था, जबकि थट्टा से लाहौर जाने में 6 से 7 सप्ताह का समय लगता था। परिवहन में मौसम एक प्रमुख कारक हुआ करता था। बाढ़ की भीषणता एवं हवा की दिशा दोनों नौपरिवहन को प्रभावित करती थी।[36] दक्षिण की नदियों में कृष्णा, गोदावरी तथा महानदी के कुछ हिस्सों में ही परिवहन संचालित हो पाता था। मध्य भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ पहाड़ी भागों से प्रवाहित होने का ग्रीष्मकाल में सूख जाने के कारण परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं थी। ब्रह्मपुत्र और गंगा बरसात में खतरनाक हो जाती थी, लेकिन बंगाल की हुगली नदी इसके लिए बरसात में भी उपयुक्त थी।

यह एक विचित्र बात हे कि मुगलों के पास न तो कोई शक्तिशाली नौसेना थी और न ही उसका कोई मजबूत संगठन था, तो भी जहाज निर्माण उद्योग अपने पूर्ण उत्कर्ष पर था। 40 हजार से 50 हजार तक नावें केवल बंगाल में चला करती थी।[37] 300 से 400 तक व्यापारिक जहाज कैम्बे से गोवा तथा 200 से भी अधिक गोवा से दक्षिण की ओर चलते थे जिनमें कुछ 1000 टन से भी ऊपर के होते थे और कुछ जहाज तो इतने बड़े एवं मजबूत होते थे कि उन पर हाथियों को ढोया जाता था।[38] अबुल्ल फजल ने लिखा है कि मध्य जुलाई 1594 में रावी के तट पर एक बड़ी नांव बनवाई गई जिसके ढांचे की लम्बाई 35 इलाही गज थी। उसमें 3936 साल तथा नाग के शहतीर एवं 468 मन 2 सेर लोहा लगा था। 240 बढ़ई लोहार तथा अन्य कारगरों ने काम किया था। 1000 लोगों ने उसे दस दिन में खींचकर सूखी भूमि से पानी में उतारा और लाहरी बन्दरगाह तक पहुंचाया।[39] अकबर ने दिसम्बर 1596 में एक दूसरा बड़ बजरा बनवाया। चूंकि 1594 में बने बजरे को काफी परेशानी से पानी में उतारा गया था। इसलिए इस बार एक ऐसी बड़ी नांव पर ही इस बजरे को बनवाने का निर्णय लिया गया जो 15000 मन से भी अधिक वजन ले जा सके। 37 इलाही गज लम्बे इस बजरे को बनाने में 5 माह से कुछ ऊपर समय लगा और 16338 रुपये व्यय हुए। इसे भी तैयार करके लाहरी बन्दरगाह भेज दिया गया। इस प्रकार के बड़े बजरे और नावों को परिवहन और युद्ध दोनों में प्रयुक्त किया जाता था।[40]

नांवों में जहाजों के निर्माण में अच्छी किस्म की लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। बंगाल, आगरा, इलाहाबाद, थट्टा, लाहौर, मालाबार प्रांतों से इस प्रकार की लकड़ी की पूर्ति होती थी।[41] सुजान राय के अनुसार थट्टा नांव बनाने का एक प्रमुख केन्द्र था।[42] रायजादा छत्रमन ने 'आइन' का समर्थन करते हुए लिखा है कि केवल बंगाल में चार हजार दो सौ बड़ी नावें और चार हजार चार सौ छोटी नावें चलती थी। नौकायें चाहे बंगाल से चलती हों या मुल्तान अथवा सूरत में सभी का निर्माण स्थानीय कारखाने में होता था।[43] सूरत जहाज निर्माण का सबसे बड़ा केन्द्र था इसके अतिरिक्त श्रीनगर, लाहौर, आगरा, मुल्तान, वजीराबाद, इलाहाबाद, मुसलीपट्टम, पूलीकट, बेसीन, गोवा, भड़ोच, ड्यू, नोसारी, ढाका और चिटगांव नांव, जहाजों तथा पालकियों आदि लकड़ी के समानों के निर्माण के प्रमुख केन्द्र थे। कोरोमण्डल तट पर मादापल्लम तथा नरसापुर में जहाजों के निर्माण के साथ–साथ मरम्मत का भी कार्य होता था। इन स्थलों पर यूरोपीय यात्री एवं व्यापारी अपने जहाजों की मरम्मत तथा नये जहाजों का निर्माण करवाते थे।[44] ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सर्जन के रूप में 1673 में डॉ0 फ्रायर हिन्दुस्तान आये थे, जो पहले मद्रास फिर बम्बई और तत्पश्चात सूरत गये उन्होंने सूरत के बन्दरगाह पर यूरोपीय जहाजों से भी बड़े जहाज देखे इस काल में ढांका, जैसोर, मछलीपट्टम, सूरत और गोवा प्रमुख जहाज निर्माण केन्द्र थे। मुगलों के कुछ जहाज 1000 टन से भी अधिक क्षमता के थे। औरंगजेब ने 4 बड़े जहाज मक्का तीर्थ यात्रा के लिये बनवा रखे थे, जिसकी वहन क्षमता 1000 टन से भी अधिक थी।[45]

फारसी स्रोतों से ज्ञात होता है कि मुगल काल में नावों और जहाजों को विभिन्न नामों से जाना जाता था। कोसा, जालिमा, घुराव, परेन्दा, बजरा, पटिला, साल्व, पाटिल, भार, बल्लम, खटगिरि, महालगिरि, पलवर और तवारी आदि नाम उल्लेखनीय थे। कोसा और जालिमा लड़ाई में प्रयुक्त होते थे जो प्रायः नदियों में चला करते थे। सवारी बड़ा जहाज था जो समुद्र में चलता था, बाकी छोटी–बड़ी नौकायें थीं जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की नदियों में चलती थीं। भारतीय जहाज यूरोपीय जहाजों की तुलना में कम लागत से तैयार होते थे और उनकी कार्य क्षमता भी उनसे अधिक होती थी।[46] मध्य युग में सामान्य तौर पर बड़े व्यापारिक जहाज 1500 से 2000 टन तक के, तीर्थ यात्री जहाज 500 से 1500 टन तक के, साधारण व्यापारिक जहाज 400 टन तक के और अन्य औसत दर्जे के जहाज 200 टन तक के होते थे। बन्दरगाहों

में इधर–उधर सामान पहुंचाने वाली छोटी–छोटी नौकायें होती थीं जिनकी वहन क्षमता 60 टन तक होती थी।[47]

मुगलों ने सिंध, गुजरात, काठियावाड़ तथा खानदेश जीतकर जब अपने साम्राज्य में मिला लिया तो वे समुद्र से सीधे सम्पर्क में आ गये। उन हिस्सों से जुड़े हुये बन्दरगाह भी मुगलों के अधिकार में चले गये जिनकी देखरेख और सुरक्षा के लिये 'मतसद्दी' नामक एक अधिकारी की नियुक्ति, जो न केवल बन्दरगाह की सुरक्षा करता था बल्कि मुगल शासन के लिये सभी प्रकार के शुल्क का निर्धारण एवं उसकी वसूली की भी व्यवस्था करता था।

नौपरिवहन को अधिक प्रभावशाली बनाने तथा यात्रियों को सुविधाएं देने के लिये मुगल शासकों ने पूरा प्रयास किया लेकिन तब भी स्थानीय जमींदारों का सहयोग न मिलने के कारण पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई। पूर्वी तट के बन्दरगाहों से छोटी–छोटी नौकायें भी स्वतंत्र रूप से व्यापार कर लेती थीं जबकि पश्चिमी तट समुद्री लुटेरों के भय से व्यापार के लिये अधिक खतरनाक था इसलिये पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था के बाद ही व्यापारिक जहाजों का गमनागमन हो पाता था। आवश्यकता अनुसार बड़े–बड़े काफिले बनाकर व्यापारिक जहाज चलते थे। पुर्तगाली कोचीन से गोवा तक तथा गोवा से बम्बई तक जल मार्गों एवं बन्दरगाहों की रक्षा करते थे। बंगाल, कोरोमण्डल तथा मलक्का आदि क्षेत्रों से आने वाले जहाज श्रीलंका के पास एकत्र होते थे, जिन्हें सुरक्षा प्रदान करके कोचीन पहुँचाया जाता था।[48] हेमिल्टन के अनुसार सम्पूर्ण फारस की खाड़ी के बन्दरगाह आरक्षित थे। समुद्री डाकू जहाजों को लूट लेते थे अथवा जबरदस्ती पैसा वसूल करते थे।[49]

व्यापारिक सुविधा से परिपूर्ण होने के बावजूद पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट का व्यापार अधिक समृद्ध था। इसका कारण यह था कि पश्चिमी तट पर विदेशियों का जमाव अधिक था, इसलिये उधर से विदेश व्यापार की संभावनाएँ भी अधिक थीं। मुगल सम्राटों ने व्यापारिक प्रतिबंधों को समाप्त करके अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिये समय–समय पर फरमान जारी किये। अकबर ने 1004 हिजरी में गुजरात के गर्वनर के नाम एक फरमान जारी करके समस्त हाकिमों को यह आदेश दिया था कि अहमदाबाद और सिद्धपुर के व्यापारियों को परेशान न किया जाय। जहांगीर ने भी 1019 हिजरी में इससे सम्बन्धित एक फरमान जारी किया था।[50] इसी प्रकार औरंगजेब ने क्रमशः 1075 हिजरी, 1077 हिजरी तथा 1078 हिजरी में फरमान जारी किया था।

नौपरिवहन से सम्बन्धित उपर्युक्त तथ्यों का निरीक्षण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल भारत में नाव एवं जहाज उद्योग अपने उत्कर्ष पर था और स्थल मार्गों की तुलना में नौपरिवहन अधिक लोकप्रिय था, क्योंकि पहले तो जलमार्गों से यात्राएँ कम खर्च में अधिक दूरी तक की जा सकती थीं और दूसरे ये यात्राएं बरसात के मौसम को छोड़कर अन्य सभी मौसमों में अधिक सुखद और सुरक्षित होती थीं। यूरोपीय व्यापारियां के आगमन से भारतीय नौपरिवहन में कुछ परिवर्तन हुये। डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने अच्छे जहाजों तथा वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से अपनी ओर अधिक आकृष्ट किया। इससे भारतीय जहाज उद्योग को गहरा आघात लगा जिसका प्रभाव धीरे–धीरे भारतीय नौपरिवहन पर भी पड़ा। यूरोप वालों का भारतीय नौपरिवहन पर उत्तरोत्तर प्रभुत्व कायम होता गया और इस क्षेत्र में उनकी इतनी धाक जम गई कि उनके सहयोग के बिना विदेशी व्यापार संभव नहीं रहा।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः

1. राधा कुमुद मुकर्जी, इण्डियन शिपिंग, पृ.–3

2. लूसियन फेवरः ए ज्योग्राफिकल इन्ट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, टी0डब्ल्यू होल्डरनेस, पिपुल्स एण्ड प्रोब्लेम्ब ऑफ इण्डिया, पृ.–8

3. आर0सी मजुमदार : वैदिक एज पृ0 248 एवं 400

4. डॉ0 बी0एस0 अग्रवाल : इण्डिया ऐज नोन टू पाणिनि, पृ0 155–156

5. ए0पी0 चक्रवर्तीः ट्रेड एण्ड कार्म इन एसिएंट इण्डिया पृ0 246, आर0के0 मुकर्जी : चन्द्रगुप्त मौर्य एण्ड हिज टाइम्स, पृ0 208

6. आर0एस0 शर्मा : लाइट ऑन अर्ली इण्डियन सोसायटी एण्ड इकोनामी, पृ0 68

7. डी0सी0 सरकार : अर्ली इण्डियन ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री पृ0 41

8. कावेल : जातक स्टोरीज भाग–4, पृ0 12, 90

9. पी0शरणः दी प्रोविंशियल गवर्नमेण्ट ऑफ दी मुगल्स, पृ0–8

10. वही पृ0 34–35

11. मोर लैण्ड : इण्डिया ऐट दी डेथ ऑफ अकबर, पृ0 159–60

12. मार्को पोलो : ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो (मार्स डेन द्वारा अनुदित एवं संपादित) पृ0 191–96

13. अबुल फजल : अबर नामा भाग–3, पृ0 282

14. कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग–4, पृ0 14 से उद्धृत

15. ख्वान्दमीर : हुमायूँ नामा (पाण्डुलिपि) पृ0 51 अनु0 डॉ0 वेनी प्रसाद पृ0 36

16. वही, हुमायूँ नामा (पाण्डुलिपि) पृ0 52 अनु0 डॉ0 वेनी प्रसाद पृ0 37,

17. ख्वान्दमीर : हुमायूँ नामा (पाण्डुलिपि) पृ0 6 अनु0 डॉ0 वेनी प्रसाद पृ0 43

18. वही पृ0 64 एवं 44

19. अबुल फजल : अकबर नामा, बेबरीज भाग–1, पृ0 648, पाद टिप्पणी संख्या–2

20. वही (फारसी) भाग–1, पृ0 360 बेबरीज भाग–1, पृ0 648

21. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी, भाग–1, ब्लाकमैन, पृ0 389

22. एस0एस0 कुलश्रेष्ठ : दी डेवलपमेन्ट ऑफ ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्री अण्डर दी मुगल्स (1526–1707) पृ0 165

23. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी, भाग–1, ब्लाकमैन, पृ0 389–90

24. वही पृ0 390–92

25. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी, भाग–1, ब्लाकमैन, पृ0 289–92

26. सर थामस रो : दी एम्बेसी ऑफ सर थामस रो टू दी कोर्ट ऑफ मुगल (1615–1619) पृ0 113, 440

27. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी, भाग–2, ब्लाकमैन, पृ0 215–16

28. एच0के0 नकवी : आर्बनाइजेशन एण्ड अर्बन सेण्टर्स अण्डर दी ग्रेट मुगल्स, पृ0 74–75

29. अबुल फजलः आइन–ए–अकबरी, भाग–2, ब्लाकमैन, पृ0 190
30. सी0एस0 फॉरेस्ट : इण्डिया, पास्ट एण्ड प्रजेन्ट पृ0 162
31. एफ0 पल्सर्टः जहाँगीर्स इण्डिया, पृ0 9 आर0 फिंचः इग्लैण्डस पानियर टू इण्डिया पृ0 100
32. नकवीः आर्बनाइजेशन एण्ड अर्बन सेण्टर्स अण्डर दी ग्रेट मुगल्स, पृ0 74–75
33. विलियम फॉस्टर : अर्ली ट्रेवल्स इन इण्डिया, पृ0 18, आर0फिंच इंग्लैण्डस पायनियर टू इण्डिया पृ0 100
34. विलियम फॉस्टर : अर्ली ट्रेवल्स इन इण्डिया, पृ0 24
35. वही, पृ0 161–162
36. पिंकर्टन वोयजेज (कलेक्शन्स) अलेक्जेन्डर हेमिल्टन (1688–1723), वाल्यूम 8 पृ0 307
37. पी0एन0 चौपड़ा, बी0एन0 पूरी और एम0एन0 दासः ए सोशल कल्चरल एण्ड इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ इण्डिया भाग–2, पृ0 103
38. अबुल फजल : अकबर नामा भाग–3, पृ0 82–83 और 85–86 निजामुद्दीन अहमदः तबकात–ए–अकबरी भाग–2, पृ0 284
39. अबुल फजल : अकबर नामा भाग–3, पृ0 651–52
40. वही पृ0 715
41. एस0एस0 कुलश्रेष्ठ : दी डेवलपमेण्ड ऑफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री अण्डर दी मुगल्स, पृ0 100
42. सुजान राय : खुलास–उत–तवारीख (पाण्डुलिपि) पृ0 36
43. रायजादा छत्रमनः चहार गुलशन (पाण्डुलिपि) पृ0 40
44. चौपड़ा, पुरी एवं दास : पृ0 103
45. जे0टी0 व्हीलर और एम0 मैकमिलन : यूरोपियन ट्रेवेलर्स इन इण्डिया पृ0 57, 60
46. पुरी, चौपड़ा एवं दास : पृ0 103
47. मोर लैण्ड : इण्डिया ऐट दी डेथ ऑफ अकबर पृ0 191
48. वही पृ0 224–25
49. व्हीलर एण्ड मैकमिलनः पृ0 68
50. अली मुहम्मद खां : मिरात–ए–अहमदी (पाण्डुलिपि) पृ0 291

भारत सरकार और महिलाओं की समानता

जया तिवारी
शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति और भारतीय संविधान के निर्माण के पश्चात भारतीय महिलाओं की जो उपलब्धि रही वह स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी का परिणाम था। भारत के संविधान ने भारतीय महिलाओं को पुरूषों के बराबर लाकर खड़ा किया है। **अनुच्छेद 326** उन्हें मताधिकार प्रदान करता है। **अनुच्छेद 14, 15** और **16** अवसर की समानता तथा विधि के सम्मुख समानता सुनिश्चित करते हैं। राज्य महिलाओं के लिए आवश्यकता अनुसार विधान बना सकता है। इस प्रकार, संविधान अपने मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से भारतीय महिलाओं को समानता प्रदान करता है। वयस्क मताधिकार ने भारतीय महिलाओं को पुरूषों की बराबरी पर ला दिया हैं। भारतीय संविधान महिलाओं को उन सभी अधिकारों को प्रदान करता है जो पुरूषों को दिए गए हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को बढ़ावा देने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए 1953 में भारत सरकार ने **केन्द्रिय सामाजिक कल्याण बोर्ड (द सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड)** की स्थापना की थी। **पंचवर्षीय योजनाओं** ने भी महिलाओं के अधिकारों तथा कल्याण कार्यकलापों, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए परिवार नियोजन पर बल दिया **1947** में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं के लिए व्यवसायिक जिंदगी में स्वीकार्यता मिली हालांकि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक पेशो में उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया गया।

1972 में भारत में महिलाओं की प्रस्थिति संबंधी राष्ट्रीय समिति की स्थापना और 1975 में इसका प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। पाचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) में महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया जो भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति का अध्ययन करने तथा उनकी स्थिति में सुधार के लिए परिवर्तन की सिफारिश करने वाला समकालीन समय में पहला व्यापक प्रयास था। 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा **31 जनवरी 1992** को **राष्ट्रीय महिला आयोग** की स्थापना, महिलाओं से संबंधित मुद्दों की जॉच करने, महिलाओं की प्रस्थिति की जॉच करने, विभिन्न विधानों का अध्ययन करने तथा अंतरो को इंगित करने, भेदभाव तथा महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की जॉच करने और संभावित उपचारों का विश्लेषण करने के लिए की गई थी। भारतीय संविधान में **73वें और 74वें संशोधनों (1993)** के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों की आरक्षण का प्रावधान किया गया है जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

महिलाओं के अधिकार–आजादी के बाद भारत में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधारात्मक परिवर्तन हुये हैं। स्वतंत्रता के 73 वर्षो के बाद यदि हम वैधानिक दृष्टिकोण से महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने तथा उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए बनाये गये कानूनों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भारत में महिलाओं की गरिमामयी स्थिति को बनाये रखने के लिए बहुत सारे अधिनियम बनाये गयें है, परन्तु पर्याप्त कानूनी शिक्षा तथा उनके प्रति जागरूकता के अभाव में उनको कानूनों की जानकारी नहीं मिल पाती। यहॉ तक कि अधिकांश महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में ज्ञान ही नहीं रहता है।

महिला संरक्षण से सम्बन्धित कुछ संवैधानिक व्यवस्थायें :–

क्र0सं0	भारतीय संविधान के अनुच्छेद	प्राविधान / व्यवस्था
1	अनुच्छेद–14	समता का अधिकार
2	अनुच्छेद–15	राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के बीच विभेद नहीं करेगा।
3	अनुच्छेद–35 (द)	समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गयी है।
4	अनुच्छेद–23 एवं 24	शोषण के विरूद्ध अधिकार के बारे में है एवं मानव दुर्व्यवहार एवं बालश्रम का प्रतिरोध करता है।
5	अनुच्छेद–42	महिला को विशेष प्रसूति अवकाश प्रदान करने की बात कही गयी है।
6	अनुच्छेद–16	रोजगार के अवसर में समानता की गारंटी दी गयी है, किसी नागरिक को मात्र महिला होने के नाते अयोग्य नहीं माना जा सकता और न ही इस कारण उसके साथ भेदभाव किया जायेगा।
7	अनुच्छेद–42 (अ)	गौरवशाली परम्परा के महत्ता को समझें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो कि स्त्रियों के खिलाफ हो
8	अनुच्छेद–325	निर्वाचक नामावली में महिला एवं पुरूष दोनों को ही समान रूप से सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया गया है।
9	अनुच्छेद–160	कोई भी पुलिस अधिकारी अन्वेषण के दौरान किसी भी महिला को थाने पर नहीं बुला सकेंगे, अगर उसे महिला के बयान लेने हैं तो वह उसके निवास स्थान पर जायेगा।

महिलाओं के विरूद्ध अपराध एवं उनके लिए प्राविधानिक दण्ड

क्र0सं0	अपराध	भारतीय दण्ड संहित धारा	सजा
1	दहेज लेना और देना	3	5 साल+जुर्माना
2	दहेज माँगना	4	न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 साल +जुर्माना
3	दहेज हत्या	304 बी	आजीवन कारावास
4	आत्महत्या के लिए प्रेरित करना	306	10 वर्ष कारावास व जुर्माना
5	गर्भपात पारित करना	312	3–7 वर्ष कारावास व जुर्माना
6	स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात करना/कराना	313	10 वर्ष से आजीवन कारावास +जुर्माना
7	औरत की शालीनता भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग करना	354	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों
8	18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को संरक्षक की सम्मति के बिना बहका ले जाना	363	7 वर्ष + जुर्माना
9	विवाह के लिए विवश करने के लिए किसी स्त्री का अपहरण या भगाना	366	10 वर्ष + जुर्माना
10	वैश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को बेचना/खरीदना	372 व 373	10 वर्ष + जुर्माना
11	बलात्कार	376	न्यूनतम 7 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष विशेष परिस्थितियों में आजीवन कारावास+जुर्माना
12	पहली पत्नी के जीवित होते हुए दूसरी शादी करना	494	7 वर्ष कारावास+जुर्माना
13	विवाहित स्त्री को अपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना उसके साथ अनैतिक शारीरिक संबंध के लिए विवश करना	509	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों
14	महिला की शालीनता को अपमानित करने की मंशा से अपशब्द कहना या अश्लील हरकतें करना	509	1 वर्ष या जुर्माना या दोनों
15	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा औरत पर क्रूरता	498 A	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों
16	बेइज्जती करना, झूठे आरोप	499	2 वर्ष या जुर्माना या दोनों

	लगाना		
17	वैध विवाह के बिना धोखाधड़ी से शादी करना	496	7 वर्ष व जुर्माना
18	लोक स्थान पर अश्लील गाने गाना या अश्लील कार्य करना	294	3 माह कारावास या जुर्माना या दोनों
19	भरण–पोषण से संबंधित कानून	125–128	आमतौर पर रू0–500/–प्रतिमाह पति से महिला पाने की अधिकारी है।

महिलाओं के अधिकारों के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 :–

घरेलू हिंसा में महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की मंशा से 'घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005' पारित किया गया है। घरेलू हिंसा का अभिप्राय निम्न प्रकार की हिंसा से है– (1) लैगिंक हिंसा (2) शारीरिक हिंसा (3) आर्थिक हिंसा (4) मौखिक हिंसा (5) सामाजिक हिंसा (6) भावनात्मक हिंसा यह कानून घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं राहत प्रदान करने के लिए है। ऐसी कोई भी महिला प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकती है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा के प्रावधान

सुरक्षा प्रावधान	धारा
स्त्री की गिरफ्तारी सूर्यास्त के बाद एवं सुर्योदय से पहले नही, यदि आवश्यक हो तो महिला पुलिस द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद	46
बलात्कार के अपराध की जाँच या विचारण बंद कमरे में किया जायेगा	327
भरण–पोषण	125
पुलिस किसी स्त्री को जाँच के दौरान बयान देने के लिए थाने नहीं बुलायेगी	160

संविधान की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुये **केन्द्रिय व विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रकार के अधिनियमों** का निर्माण किया है। जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की वैधानिक सुरक्षा करना तथा महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शोषण को समाप्त करके उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाना है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए जिन अधिनियमों का निर्माण किया गया वे निम्न प्रकार है :–

1. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
3. हिन्दू अल्पसंख्यक और संरक्षक अधिनियम 1956
4. अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956
5. दहेज निरोधक अधिनियम 1961
6. मातृत्व लाभ अधिनियम 1961
7. विशेष विवाह अधिनियम 1954
8. चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971
9. बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 (1929)
10. हिन्दू दन्तक ग्रहण और भरण–पोषण अधिनियम 1956

11. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013
12. मुस्लिम स्वीय विधि **(शरीयत)** अधिनियम, 1937
13. मुस्लिम विवाह–विच्छेद अधिनियम 1939
14. भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872
15. पारसी विवाह व विवाह विच्छेद अधिनियम 1936

उपर्युक्त सभी अधिनियमों में महिलाओं के प्रति पुरूषों की तुलना में अधिक सरल दृष्टिकोण अपनाया गया है। इनमें महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा राजनैतिक आदि सभी प्रकार के शोषण के विरूद्ध अधिनियमों का निर्माण किया गया है। उपरोक्त अधिनियमों के द्वारा महिलाओं को परिवार, विवाह, उत्तराधिकार तथा सम्पत्ति संबंधी अधिकार पुरूषों के बराबर ही प्रदान किया गया है।

अन्य प्रयास :–

महिलाओं की स्थिति में सुधारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भारत सरकार द्वारा **1985** में **महिला एवं बाल विकास** विभाग की स्थापना तथा **1992** में **राष्ट्रीय महिला आयोग** की स्थापना की गई। भारत सरकार द्वारा **8 मार्च** को **अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस** मनाया जाने लगा तथा **वर्ष 2001** को **'महिला सशक्तिकरण' वर्ष** भी घोषित किया गया।

इसी प्रकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर किया गया है जिनमें प्रमुख हैं–बालिका समृद्धि योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका बचाओ योजना, इन्दिरा महिला योजना, सरस्वती सायकल योजना, स्वयंसिद्धा योजना, महिला समाख्या, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना इत्यादि।

महिला सुरक्षा और समानता के लिए बनाए गये उपर्युक्त सभी अधिनियम तथा चलायी गई सभी योजनायें महिलाओं की स्थिति सुधारने में कारगर साबित हो रहीं हैं परन्तु सामाजिक सुधार की गति इतनी धीमी है कि इसके उद्देश्य अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहें हैं। हमे इस दिशा में अत्यन्त ही तीव्र गति से जन–जागृति और शिक्षित करने की आवश्यकता है। **'शिक्षा'** और **''जागरूकता''** सभी दोषों से छुटकारा दिलाने का आधारभूत साधन है। 'एक शिक्षित महिला न केवल अपना बल्कि परिवार की तीन पीढ़ियों का कल्याण कर सकती है' **(जवाहर लाल नेहरू)।** इसलिए शिक्षा को आधार बनाकर तथा समुचित साधन और कानूनों का क्रियान्वयन करके महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची :–

1. देसाई, नीरा और मैत्रयी कृष्णराज : वीमेन एण्ड सोयायटी इन इंडिया, अर्जुन पब्लिकेशेन्स दिल्ली 1987, पृ0 46
2. पाण्डेय, डॉ0 जयनारायण : भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी दिल्ली, 41वाँ संस्करण 2008
3. यादव राजाराम : भारतीय दण्ड संहिता, 1860 पंचम संस्करण 2005, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद
4. आहूजा राम : क्राइम अगेनस्ट वूमेन, जयपुर रावत पब्लिकेशन्स, 1987
5. कौशिक, आशा : महिला मानवाधिकार : संरक्षण बनाम वस्तुस्थिति, आविष्कार प्रकाशक, 2016
6. श्रीवास्तव, सुधारानी : महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2017
7. बावेल, डा0 बसन्ती लाल : महिलाएँ एवं अपराधिक विधि, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2017
8. चन्द्र, सुधीर : रख्माबाई : स्त्री अधिकार और कानून, राजकमल प्रकाशन, 2012
9. शर्मा, रमा और एमके मिश्रा : महिलाओं के मौलिक अधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2019
10. नागर, अजयपाल : हमारे कानूनी अधिकार, आवंतिका बुक्स, 2014

Science in Ancient India

Dr. Preeti Khanna
Associate Professor
Dept. of Education
Vardhaman College, Bijnor

Abstract :

There is no truth in the popular perception that Indian civilization has largely been concerned with only spiritual affairs. India's historical records point out that Indians were first one ever to arrive at several scientific concepts which were later re discovered by the western world. Our learned ancient ancestors were not very much concerned with documentation and dissemination of their knowledge. India's ancient rational age was a period of tremendous intellectual ferment and vitality which saw progress on several fronts and had an impact on the growth of other civilizations as well. Contrary to the common belief Indian civilization centres around the spirit and afterlife, India's chronicles suggest that some of the greatest Indian minds were much more concerned with developing philosophical and scientific paradigms that were grounded in reality. It is a well known fact that a lot of scientific knowledge evolved in ancient India. Indian seers like Aryabhatta, Bhaskarachary, Varahamihir, Nagarjuna etc. contributed enormously to the knowledge of mathematics and several other branches of science. But our seers did not get there deserved place in the modern world. Western world colonized a large part of the globe which instilled in them a sense of monopoly even in the field of knowledge. The premise that Indian philosophy is founded solely on mysticism and renunciation emanates from a colonial and orientalist world view that seeks to obfuscate a rich tradition of scientific thought and analysis in India if we want to fully recover from the plunders of colonial rule, it is imperative we don't forget the achievements and contributions of this inspiring epoch.

Keywords:

Theorem, L.C.M., Algebraic theories, binary numbers, matter, alters, heavenly bodies, Vedas, ayurveda, surgery, yoga.

Introduction :

India is a unique country having more than five thousand years long historical background. It has been prosperous in every field of knowledge and learning as in Mathematics, Astronomy and Cosmology, Physics and Medicine & surgery. Here we will discuss contribution of ancient Indians in the above said fields one by one **Mathematics :**

Mathematics represents a very high level of abstraction attained by human brain. In ancient India, roots to mathematics can be traced to Vedic literature, which are around 4000 years old. Between 1000 BC and 1000 AD, a number of mathematical treatises were authored in India. Will Durant, American historian (1885-1981) said that 'India was the mother of our philosophy of much of our mathematics'. It is now generally accepted that India is the birth place

of several mathematical concepts, including zero-the decimal system, algebra and algorithm, square root and cube root. Zero a numeral and a concept, owes its origin to the Indian philosophy literal translation of which is void and zero emerged as a derivative symbol to represent this philosophical concept. Geometrical theories were known to ancient Indians and find display in motifs on temple walls. The method of graduated calculation was documented in a book named *"Five Principles; (Panch-Siddhantika)* which dates to 5th Century AD. A.L. Basham, an Australian indologist, writes in his book, "The Wonder That was India" that-;… the world owes most to India in the realm of mathematics, which was developed in the Gupta period to a stage more advanced than that reached by any other nation of antiquity. The success of Indian mathematics was mainly due to the fact that Indians had a clear conception of the abstract number as distinct from the numerical quantity of objects or spatial extension.

Algebraic theories, as also other mathematical concepts, which were in circulation in ancient India, were collected and further developed by *Aryabhatta*, an Indian mathematician, who lived in the 5th century, in the city of Patna, then called Pataliputra. He has referred to Algebra (as *Bijaganitam)* in his treatise on mathematics named *Aryabhattiya.* Aryabhatta was first to tell the earth as a sphere which rotated on its axis, and also around the sun. He was the one to correctly describe how solar and lunar eclipse occurs. Another mathematician of the 12th century, *Bhaskaracharya* also authored several treatises on the subject- one of them, named *Siddontha Shiromani* has a chapter on algebra. He is known to have given the bases of *Rolle's Theorem.* In 1815, James Taylor translated *Bhaskaracharya's Leelavati* into English. Another translation of the same work by English astronomer Henry Thomas Colebruke appeared next year in 1817. The credit for fine-tuning and internationalizing these mathematical concepts-which had originated in India-goes to the Arabs and Persians. *Al-Khawarizmi.* The System of Indian Numerals, called *Hindsa* which means from India.

Barrend van Nooten (1993) has shown that binary numbers were known at the time of *Pingala's Chhandahshastra.* Pingala, who lived around the early first century B.C.E., used binary numbers to classify Vedic meters. The knowledge of binary numbers indicates a deep understanding of arithmetic. A binary representation requires the use of only two symbols, rather than the ten required in the usual decimal representation, and it has now become the basis of information storage in terms of sequences of 0s and 1's modern-day computers. Seidenberg, by examining the evidence in the *Shatapatha Brahmana*, showed that Indian geometry predates Greek geometry by centuries. Seidenberg argues that the birth of geometry and mathematics had a ritual origin. For example, the earth was represented by a circular alter and the heavens were represented by a square altar and the ritual consisted of converting the circle into a square of an identical area. There we see the beginning of geometry. In his famous paper on the Origin of Mathematics, Seidenberg (1978) concluded old-Babylonia [1700 BC] got the theorem of Pythagoras from India or that both old-Babylonia and India got it from a third source. Seidenberg talked of third source because he did not get enough proof of the date.

Astronomy & Cosmology :

Ancient India's contributions in the field of astronomy are well known and well documented. The earliest references to astronomy are found in the Rig Veda, which are dated around 2000 BC. During next 2500 years, by 500 AD, ancient Indian astronomy has emerged as an important part of Indian studies and its affect is also seen in several treatises of that period. In some instances, astronomical principles were borrowed to explain matters, pertaining to astrology, like casting of a horoscope. Apart from this linkage of astronomy with astrology in ancient India, science of astronomy continued to develop independently, and culminated into original findings, like:

- The calculation of occurrences of eclipses.
- Determination of Earth's circumference.
- Theorizing about the theory of gravitation.
- Determining that sun was a star and determination of number of planets under our solar system.

And astronomy of the third millennium B.C.E. has been discovered (Kak 1994a; 1995a, b.) Here the alters symbolized different parts of the year. In one ritual, pebbles were placed around the alters for the earth, the atmosphere, and the sky. The number of these pebbles were 21, 78 and 261, respectively, These numbers add up to the 360 days of the year. There were other features related to the design of the altars which suggested that the ritualists were aware that the length of the year was between 365 and days. The organization of the vedic books wes also according to an astronomical code. To give just one simple example, the total number of verses in all the Vedas is 20, 358 which equals 261×78, a product of the sky and atmosphere numbers! The Vedic ritual followed the seasons hence the importance of astronomy.

The second millennium text *Vedianga Jyotisha* went beyond the earlier calendrical astronomy to develop a theory for the mean motions of the sun and the moon. This marked the beginnings of the application of mathematics to the motions of the heavenly bodies. The recursive Vedic world-view requires that the universe itself goes through cycles of creation and destruction. This view became a part of the astronomical framework and ultimately very long cycles of billions of years were assumed. The *Sankhya* evolution takes the life forms to evolve into an increasingly complex system until the end of the cycle. The categories of *Sankhya* operate at the level of the individual as well, Life mirrors the entire creation cycle and cognition mirrors a life-history. Surprisingly similar are the modern slogan: ontogeny is phylogeny, and microgeny (the cognitive process) is a speeded-up ontogeny (Brown 1994).

The Vedas speak of the connections between the external and internal world. The hymns speak of the star and planets. These are sometimes the luminaries in the sky, or those in the firmament of our inner landscapes or both. The Intricate clock of universe runs on forces that are reflected in the periodicities of the astral bodies as also the cycles of behaviors of all terrestrial beings and plants. Thus many texts speak of the relativity of

time and space-abstract concepts that developed in the scientific contexts just a hundred years ago.

The *Puranas* speak of countless universes, time flowing at different rates for different observers. We now know that measurement astronomy is to be dated to at least the third millennium B.C.E. which is more than a thousand years earlier that was believed, and mathematics and geometry date to at least the beginning of the second millennium B.C.E. Indian mythology is being interpreted in terms of its underlying astronomy or/and cognitive science. We find that many Indians dates are much earlier than the corresponding dates elsewhere. Contemporary science has begun to examine Vedic theories on the nature of the "self" and see if they might be of value in the search for a science of consciousness (Kak 1996b).

Physics :

The Rigveda speaks of cosmic order in the vedic view the complementary nature of mind and the outer world is of fundamental significance. The idea of complementarities was at the basis of systematization of Indian Philosophic traditions, so that complementary approaches were paired together. We have the group of logic *(nayaya)* and physics *(vaispeshika),* cosmology, *(Sankhya)* & psychology and language *(memansa)* and reality (*Vedanta*). In the Rigved self represents a universal unity, without which no co-coherent behavior is possible.

From ancient times, Indian philosophers believed that except ether of space, all other elements were physically palpable and hence comprised of small and minuscule particles of matter. They believed that the smallest particle which could not be subdivided further was *paramanu*, a Sanskrit word. *Paramanu* is made of two Sanskrit words, *param* meaning ultimate or beyond and anu meaning atom. Thus, the term "paramanu" literally means beyond Atom and this was a concept at an abstract level which indicated the possibility of splitting atom, which is now the source of atomic energy. *Kanada*, a 6^{th} century, Indian philosopher was the first person who went deep systematically in such theorization. Another Indian, philosopher *Pakudha Katyayana*, who was a contemporary of Buddha, also propounded the ideas about the atomic constitution of the material world. All these were based on logic and philosophy and lacked any empirical basis for want of commensurate technology. Similarly, the principle of relativity was available in an embryonic from in the Indian philosophical concept of *'sapekshavad'*, the literal translation of this Sanskrit word is theory of relativity.

Medicine and Surgery:

Ayurveda as a science of medicine owes its origins in ancient India. Ayurveda consists of two Sanskrit words-ayur; meaning age or life, and; veda which means knowledge. Thus, the literal meaning of Ayurveda is the science of life or longevity. Ayurveda constitutes ideas about ailments and diseases, their symptoms, diagnosis and cure, and relies heavily on herbal medicines, including extracts of several plants of medicinal values. Practitioners in this period took up dissection of corpses, practiced surgery, developed proper nutritional guides, and wrote out codes for medical procedures and patient care and diagnosis.

Ancient scholars of India like *Atreya*, and *Agnivesa* have dealt with principles of Ayurveda as long back as 800 BC. Their works and other developments were consolidated by *Charaka* who compiled a compendium of *Ayurvedic* principles and practices in his treatise *Charaka-Samahita,* which remained like a standard textbook almost for 2000 years and was translated into many languages, including Arabic and Latin; Charaka-Samahita; deals with a variety of matters covering physiology, etiology and embryology, concepts of digestion, metabolism, and immunity. Preliminary concepts of genetics also find a mention, for example, Charaka has theorized blindness from the birth is not due to any defect in the mother or the father, but owes its origins in the ovum and the sperm.

In ancient India, several advances were also made in the field of medical surgery. Specifically these advances included areas like plastic surgery, extraction of cataract, and even dental surgery. Roots to the ancient Indian surgery go back to at least circa 800 BC. In spite of the absence of anesthesia, complex operations were performed. The practice of surgery has been recorded in India around 800 B.C. This need not come as a surprise because surgery *(Shastrakarma)* is one of the eight branches of Ayurveda. *Shushruta,* a medical theoretician and practitioner, lived 2000 years before, in the ancient Indian city of Kasi, now called Varanasi. He wrote a medical compendium called; *Shushruta-Samahita.* The compendium also focuses on the study of the human anatomy by using a dead body. Shursruta's forte was rhinoplasty (Plastic surgery) and ophthalmology. Shushruta has described surgery under eight heads *Chedya, Lakhya, Vedhya, Esya, Ahrya, Vsraya and Sivya.*

The *Mahabharata* speaks of an embryo being divided into one hundred parts each becoming after maturation in a separate pot, a healthy baby; this is how the Kaurava brothers were born. There is also mention of an embryo, conceived in one womb, being transferred to the womb of another woman from where it is born; the transferred embryo is Balarama and this is how he is a brother to Krishna although he was born to Rohini and not to Devaki (Surrogation).

Yoga is a system of exercise for physical and mental nourishment. The origins of yoga are shrouded in antiquity and mystery. Since Vedic times, thousands of years before, the principles and practice of yoga have crystallized. But, it was only around 200 BC that all the fundamentals of yoga were collected by *Patanjali* in his treatise, named *Yogasutra.* In short, Patanjali surmised that through the practice of yoga, the energy latent within the human body may be made live and released, which has a salubrious affect on the body and the mind. Now, in modern times, clinical practices have established that several ailments, including hypertension, clinical depression, amnesia, acidity, can be controlled and managed by yogic practices. The application of yoga in physiotherapy is also gaining recognition.

Conclusion:

India's rational age was thus a period of tremendous intellectual ferment and vitality. It was a period of scientific discovery and technological innovation. Accompanied by challenges to caste discrimination and rigidity and religious obscurantism-it was also a period of great social upheaval that eventually led to society becoming more democratic, allowing greater social interaction between members of different castes and expending opportunities for social mobility

amongst the population. Social ethics drew considerable attention in this period. Rules of engagement during war were constructed so as to eliminate non-military casualties and destruction of pasture-land, crop-land or orchards. The notion of chivalry in war was popularized-it meant not attacking fleeing or injured soldiers. It also required warring armies to provide safe passage to women, children, the elderly and other non-combatants.

The rational period thus saw progress on several fronts. Not only did it create an enduring foundation for India's civilization to develop and mature-it has also had it's impact on the growth of other civilizations. In fact, India's rational period served as a vital link in the long and varied chain of human progress. Although colonial history has attempted to usurp this collective heritage of the planet and make it exclusively euro-centric, it is important to note that fundamental and important discoveries in science and innovations in technology have come from many different parts of the globe, albeit at different times and stages of world civilization. India made significant contributions in this regard. If India is to fully recover from the depredations of colonial rule, it is imperative that we don't forget the achievements of this inspiring epoch.

References :

1. Development of Philosophical Thoughts and Scientific Methods in India – A.P. Gupta.
2. General Preview of Science and Technology and learning and Education.
3. Science in Ancient India-Subhash C. Kak.
 Louisiana State University Baton Rouge, L.A. 70803-5901, USA.
4. Science, Medicine, Technology in Ancient India- Crystalinks.

RELEVANCE OF ANCIENT INDIAN EDUCATION SYSTEM IN MODERN INDIA

Preety Agarwal
Asso. Prof. Deptt. of Teacher Education,
D.A.V.PG.CollegeMuzaffarnagar
E-mail: preety1974@rediffmail.com

ABSTRACT
India has a rich tradition of learning and education right from the antiquity. It is a much-known fact that people from countries as far as Portugal, Eastern Europe and the Middle East used to prefer India as their choice to achieve a higher level and quality education. The Gurukul system is one such profound method of education which was popular in ancient India. Vedic literature is supposed to be a part of our daily life. It would be great if we can have it as an essential subject in school itself. Vedic education is the core foundation of India's culture & rich heritage. No one can be called educated who cannot preserve and expand his cultural heritage. Dr. Radhakrishnan has rightly said that: ―A civilization is not built of bricks, steel and machinery, it is built with men, their quality and character. So the true aim of education is to develop in the body and in soul all the beauty and all perfection of which they are capable. Modern situation is different; we have lost almost lost everything which w the social, moral values which Vedic period developed in the education have been totally lost. It is true that we cannot follow all the aspects of Vedic education but there some ideals which are applicable in present education system. This Paper is about the importance of Vedic ideals of education in the modern education system.

KEY WORDS: Vedic-Education, Moral-Education, Modern-Education, Teaching-Methods, Discipline, Curriculum.

INTRODUCTION

Modern India is a young billion plus nation which is actually bursting at its seams. The burst will be more to do with the moral values that somewhere down the line have been swept below the carpet in all the frenzy of economic development. Education now is currently primarily for employability and not morality or building a character conscience amongst the people. This has resulted in a void being created in much of the population. In such a scenario to whom do we turn to for filling up of the gap and reviving the sleeping conscience? Well, it's the Vedas belonging to the Ancient Indian Education System. Vedic education is the core foundation of India's culture and rich heritage. Supposed to be part of our daily life, one cannot be called educated unless he preserves and expands his cultural Vedic heritage. Studying of the Vedas allows one to develop a rich character along with the development of personality. This will exactly help bring back a sense of goodness in character among the masses of today's new India.

The Vedas were a great system of learning as under its umbrella it brought many thought processes together. The Vedic period during his age was inspirational not only to our mother country but to the whole world. It urged men, to assemble, come on a common platform, to think

together and to work together for achieving a common goal. Isn't this what our fragmented world needs so desperately now? Education alone is the solution for curing social evils of our country. Let's pause and flash back to the Vedic times when education was a must for everybody to become more cultured and not as a channel to amass money. For Modern India to achieve its full potential not just in economic development, but also the conscience of its masses, it's important that they don't forget their rich ancient Vedic heritage.

The principles of Vedic education have been a source of inspiration to all educational system of the world. These days it has become a big problem for modern institutions that how to tackle with the students and how to impart moral values, because due to indiscipline educational environment has become so venomous. Vedic ideals of education has tendency to change the minds of people and their character .It has tendency to convert the bad into good. Because the ultimate aim of Vedic education was development of personality and character. If modern student want to achieve perfect mastery over senses then he has to follow the ideals of Vedic education. The ultimate aim of education should not be to full fill the desires of life in this world, but for complete realization of self for liberation of soul. Moral education motivates me to present the importance of Vedic education, because moral education makes a man civilized, cultured. Without moral education a man can not be able to differentiate good and bad. The root problem in modern era is the adaptation of a materialistic mode of life. These days life has become totally full of show and fashion. According to Vedas, the important aspects of education are to train the young to be truthful because the Nobel soul who pursues the path of truth is never defeated. In Vedic period teaching was considered a holy duty and it shows the world that how much responsible was a Vedic teacher as compared to modern period. Here moral education motivates me to present the importance of Vedic education and in my whole research proposal I will focus on this, because moral education makes a man civilized, cultured. Without moral education a man can not be able to differentiate good and bad. We lack in all disciplines, we have not understand our responsibilities. Now there is no bond between teacher and student, curriculum is different. The primary aim of any system of education should be development of a whole some personality. We can see all such above statement fairly enough for a man to become as pious as possible but in our modern world it seems impossible because everyone is trying to achieve material life. Vedic period was totally a inspirational not only to our mother country but also to whole world. The Vedas urge upon men to assemble on a common platform, to think together, and to work together for achieving a common goal. Education alone is the panacea for all social evils. .In Vedic era education was must for everybody for becoming cultured, not for making it a source of money. If we want better society, civilized people who are ready to make contribution to the society according to their abilities, then it is necessary to make moral education based on Vedic educational system available for ones reach. Although there is wide gap of education between ancient Indian education and modern education system, there is enough room where both can be integrated in theory and practice. There are various features of Vedic education which can be acceptable in the modern education system: - The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with

all existence (Rabindranath Tagore). Education is a purposeful activity. Through Vedic ideals we intend to bring certain desirable changes in the students. In Ancient India the ideal of life was spiritualistic. Educational aim was determined by the conception of life. Thus the aim of education was self-realization or the realization of Brahma or the Absolute.

Some prime elements are as follows:

a) More preference should be given to character, truth, non-violence, spiritualism rather than wealth and materialism.

b) The sense of discipline and cordial relation between teacher and students. For this, the teacher should enforce fair practices, presenting themselves as a respectful, create a culture of integrity in their classrooms, and show genuine interests in their students. Students should impart discipline, preservance, honesty, and good social values.

c) *Manan* (meditation) and *Nididhyananna* (realization) techniques should be imparted in education to helps student in self motivation and concentration.

d) "Simple living and High Thinking" should be the motive of student life.

e) Education should be given to make student self sufficient. Education should include project based natural learning, individual and group accountability, challenging environment, collaborative learning, critical thinking, Communication and research skills. After education students should be able to lead a sustainable life and encourage their neighborhood and friends to have the same.

f) Education system should be such that it not only preserves but spreads the culture, which should be amalgamation of social practices, traditional beliefs, and daily activities (should not include *karamkānda* or superstitious beliefs and traditions).

g) It should infuse a sense of responsibility and social values.

h) The teacher should encourage self motivation in their students to inculcate responsibility and focus towards getting true knowledge, not to just become literate.

The ultimate aim of education should not be to fulfill the desires of life in the world, but for complete realization of self to achieve complete liberation, and Vedic education trained students to be truthful. It is important to remember that those who pursue the path of truth are never defeated. So we can use various aspects of Vedic education to bring out certain changes in our modern society, e.g.

1. **Moral Education**

As said earlier it has become big question for modern institution that how to face with different types of behavioral problems among the students. In-fact institutions are not fully aware how and when moral values should be teaching to the students. Man is a social animal and he has to learn different social habits like respecting elders and teachers, helping the poor, respecting the women. There should be separate department of moral education in the modern institutions. Vedic education was totally based on moral values and strong emphasis was given to moral education. If we really want better society, pious people then moral education should be made prime weapon for changing the nature of students.

2. Discipline

Vedic student always followed the principle of simple living and high thinking but modern generation has adopted its reverse, simple thinking and high living. Vedic student regard his teacher as his father. In Vedic period there did very good kind of mutual understand between teacher and student. The sense of discipline and the cordial relation between teacher and pupil of Vedic age is well known to the world. Today we see the educational atmosphere has become so venomous due to indiscipline. The sense of discipline can be developed if teacher pupil relationship can be made to adopt the ideal relationship between teacher and pupil.

3. Curriculum We need to make Vedic education available for ones reach. In Vedic period education was not only for acquisition of knowledge but its main aim was formation of character. Provision was made for the student, he was not prepared for this world, but for the eternal happiness in the other world. Curriculum of modern institutions is totally different. The ultimate aim of modern education is to prepare the student for the world. Education is something, which makes a man self-reliant and self-less (Rig-Veda)

4. Life of Students

In Vedic age students were bellowed to lead a simple life. Nowadays the life style of our young generation has altogether changed they like to lead a life with full of fashion and show. They have given up the principle of Simple Living and High Thinking and adopted its reverse principle i.e. High Living and Simple Thinking. The whole balance of the life is disturbed. In order to make their life healthy and smooth they should be made to realize the importance of ancient style of life.

5. Education for Self sufficiency

Education is that whose end product is salvation (Upanishads). Education according to Indian tradition is not merely a means of earning a living; nor is it only a nursery of thought or a school for citizenship. It is initiation into human souls in the pursuit of truth and the practice of virtue. The ancient schools followed the principle of education for self sufficiency.

EDUCATIONAL IMPLICATIONS

1) Pride in civilization and culture

We are living in modern age, but we feel proud of the civilization and culture of our ancestors inherited to us. We give more preference to character, spiritualism philosophy rather than wealth, power, violence and diplomacy. We wish to lead an ideal life. Educational aims of Vedic age are accepted in principle as aims of modern education to build character and make life worth living for our young ones.

2. Discipline and pupil teacher relationship

The sense of discipline and cordial relation between teacher and pupil of vedic age is well known to the world. Today‘s scenario can be revived back by taking efforts to adopt the ideal relationship between teacher and pupil.

3. Subject of studies

Vedic literature is enriched by the sense of peace, humanity, universal brotherhood which is also vital part of our curriculum.

4. Teaching Methods

As discussed above, some methods of teaching are still used fruitfully in our classrooms.

5. All round development of child

The nature of education was much more individualistic rather than joint in groups. All round development of a Childs personality was the chief aim of education. Same aim is kept in view in modern education also.

6. Equality of opportunity

There was no discrimination on the basis of caste, creed, colour etc and the students of all strata of society received education on an equal footing. In modern too, the constitution has adopted the principle of equality in the field of education.

7. **Education for Future Life**

Apart from intellectual aspect of education its practical side was not lost sight of and along with art, literature and philosophy, students got a working knowledge of agriculture and other vocations of life. Modern education also lays stress upon preparing students to prepare themselves for their future life. Vocational subjects are included in the curriculum.

8. Commercial education and Vedic mathematics

Commercial education and Mathematics Education is one of the chief features of Vedic period. The ideas of the scope and nature of commercial geography, needs of the people of various localities, exchange value and quality of articles and language spoken at different trade centers were considered necessary. Vedic mathematics has become more popular now. More and more parents are aware about the significance of Vedic mathematics and are taking keen interest to offer the opportunities to their child to learn Vedic mathematics.

MODERN EFFORTS

Modern education lays stress upon preparing students to prepare themselves for their future life. Vocational subjects have been included in the curriculum in order to vocational education but much is needed to the done in this direction in order to achieve the desired aim. The Vedic system of education may be ancient, but it can still be relevant in today's world. Unlike modern day education, it focuses on all-round development — physical, mental, and emotional. You may decide that a gurukul isn't an option for your child, but can still these principles in them by supplementing their education with Vedic traditions. Vedic education is the solution to all problems which we presently find in this world. We need to look now deeper view to find out the answers and solutions. The formation of character by proper development of the moral feeling was aim of Vedic education. Therefore the direct aim of all education, whether literary or professional, should be to make the student fit to become a useful member of society. Education

ought to develop man's ideal nature by giving him a sure moral feeling and enabling him to control his original animal nature. The aims and ideals of Vedic education were to promote simultaneous and harmonious development. Men are social beings; Vedic education not only emphasized social duties but also promoted social happiness. We need to understand our duties and responsibilities and we all have to make some kind of contribution to the society. All such things are possible only when we follow the principles of Vedic education .The Vedic system of education was aimed at molding the young pupils into individuals capable of living a perfect and full life – based on the principles of Dharma. The educated ones in that system were men who had not only knowledge but also character ‖. Vedic student were taught to respect their elders, namely, father, mother, teachers and guests. The basic aim of ancient education was instilling into the minds, of peoples spirit of being pious and religious for glory of God and good of man. The pursuit of knowledge was a pursuit of religious values. The student had to observe strict regulations. Instruction was important, but was even more significant than teaching was discipline – discipline inculcated through strict obedience to laws and regulations of student life, discipline that was rooted in morality and religion A student was required to give up lust, anger, greed, vanity, conceit and over joy. In this research work an attempt will be made to highlight the salient features of the Vedic education. Here I am suggesting practical modifications to the modern educational system that will enable teachers and students to improve their skills of discrimination, analysis and evaluation. The Vedic education system was successful in preserving and spreading its culture and literature even without the help of art of Therefore, in this Report, an analysis of significant concepts in relation to education have been discussed .In this research I m trying to convey my message that without moral education we cannot make any kind of change. Universities, colleges, institutions etc will not be able to make the students as pious as Vedic students were used to be.

CONCLUSION

We are living in modern age but we should feel proud of the civilization and culture of our ancestors inherited to us. We should give more preference to character, spiritualism, philosophy rather than wealth, materialism. The present world gives reverence to wealth, power violence and diplomacy. We should believe in idealism and wish to lead an ideal life. The whole balance of the life of the student is disturbed. In order to make his life healthy and smooth he should be made to realize the importance of Vedic education which is totally moral education and I think moral education is enough for the success of every individual. True education should aim at imparting a humanistic attitude and the spirit of service. The Vedas censure the self-centered man whose accomplishments are aimed exclusively at selfish end. Education should enable an individual to transcend his individuality in conscious social participation. Instead of being jealous of each other, clashing with each other and pulling each other down, true education should enable a person to develop the capacity to cooperate, to live and work as a team. The Vedas urge upon men to assemble on a common platform, to think together, and to work together for achieving a common goal. It is absolutely true that every system of Education has its own merits and demerits, where Vedic Education system is no exception to this standing rule. Despite

of some of the demerits, Vedic Education system was very rich in its nature by taking the consideration of many aspects. If we will be in a position to carry out the noble aspects of Vedic period and implement the same in the curriculum of the present system of Education, no doubt, we may get are fine structure of Education system by which the Education system will be highly effective by addressing many issues of the society. As a result, a noble path of Education towards future generation can be established

REFERENCES

Altekar, A.S., Education in Ancient India,(5thedition), 1957, Varanasi: Nand Kishore and Bros.
Chaube, S.P. History and Problems of Indian Education, Agra: Vinod Pustak Mandir.
Harshananda Swami, an Introduction to Hindu Culture: Ancient & Medieval, 2007
Ifrah Georges, The Universal History of Numbers, p 421-423.
Mukherjee, R.K., Hindu Civilization Longman, Green and Co. London, p. 111 1936
Mahajan, V. D. Ancient India, p. 197
MotwaniKewal, India: A synthesis of cultures, p 133
Rawat, P.L. History of Indian Education, Agra: Ram Prasad & Sons, 1996.
Raza, M. (Ed.), Higher Education in India: Retrospect and Prospect, 1991, New Delhi: Association of Indian Universities.
https://www.tetsuccesskey.com/2015/06/vedanta-in-education.html
https://www.linkedin.com/pulse/relevance-vedic-ideals-education-modern-system

Challenges of Health and Education of Indian Women in 21ST Century

Dr. Sangeeta Srivastava
Associate Professor, Teacher Education Department
D.A.V. (P.G.) College, Muzaffarnagar (U.P.)
Sangeetasri16@gmail.com
sangeeta@davcollegemzn.org

ABSTRACT

After the independence, the crowning achievement of modern Indian History is the recognition and granting of equal status to women through the constitution of free sovereign India. No doubt, 21st centaury has witnessed some basic changes in the status and role of women in our society. Today this process has been further accelerated with some women becoming increasingly self-conscious of their discrimination in several areas of the family and public life. But is this the real representative picture of our country's women? Equal status of women is difficult, as women are physically smaller in size and strength as compared to their male counterparts. In fact, in Indian scenario, still in this centaury a girl is discriminated from the very childhood. After sad experiences of childhood in a woman's life come three phases that could be remembered with 3 Ms. these are – Menarche, Motherhood and Menopause. The news paper Times of India dated 24 January 2011that 70%women in India are not able to afford sanitary napkins. Over 88% women resort to shocking alternatives like unsanitized cloth, ashes and husk sand. Reproductive tract infection is 70% more among these women. A large number of women are either ill-equipped or not in a position to propel themselves out of their traditionally unsatisfactory socio-economic conditions. They are poor, uneducated and insufficiently trained. Some tend to be ill-nourished, anemic and burdened by domestic chores and child care responsibilities. The present study is an attempt to analyze the real position of our women in this centaury, to seek attention of the responsible person of our society, and suggest that proper sanitary facilities, regular counseling with doctors together with nutritious mid day meal may reduce the girl drop out rate in our schools, which will ultimately be helpful for the betterment of them.

Key-Words: Challenges, Health, Education, Indian-Women,21st Century, Equal-Status.

Introduction

After the independence, the crowning achievement of modern Indian History is the recognition and granting of equal status to women through the constitution of free sovereign India. The constitution has proclaimed the equality of man and woman in all domains of life. Freedom depends on socio-economic conditions even more than political and if the woman is not economically free and self earning, together with sound health, she can never enjoy the equality provided to her by the government. Smt. Indira Gandhi had also stated that if women are neglected, humanity is deprived of half of its energy and creativity." Therefore, for the development of community and nation, for reducing the male dominance and in order to minimize the discrimination against women, they should be brought into the mainstream of socio-economic field of the country.

No doubt, 21st century has witnessed some basic changes in the status and role of women in our society. Today this process has been further accelerated with some women becoming increasingly self-conscious of their discrimination in several areas of the family and public life. They are also in a position to mobilize themselves on issues which affect them vitally, and constitute a significant segment in the whole sphere of society. But is this the real representative picture of our country's women? Equal status of women is difficult, as women are physically smaller in size and strength as compared to their male counterparts. To make woman physically healthy and able to take challenges of equality, she needs special health care and diet. To be useful to the family, community and the society, they must take care of their own health.

Need and Significance of the Study: Now-a-days whole world has realized the key of advancement of any country i.e., the empowerment of women. Whenever a country practices no discrimination between men and women and treat both of them as an important human resource, that country has achieved a revolutionary development through-out the world. Women have proved their powers in almost all sphere of life, but still, they have to struggle for their survival in male dominated societies. India is a country struggling for its advancement, with a slow pace of women empowerment, how can it compete this world without using half of its human resource. There is a big difference in male and female health as well as education in the country. It's a very common feature of our Indian society to ignore women's health issues. Even the women themselves have a tendency to avoid healthy food, healthy living conditions in the name of various rituals, customs and traditions in the society. It raises a question, that how our country may compete this 21st century world without paying due attention towards the health and education of women to evolve them in a worthful human resource. This is one of the most alarming issues of present days, therefore, the study of challenges of health and education of 21st century women of the country is the most significant area of study and is the need of the hour.

Research Methodology: Since the study is qualitative and analytical in nature, therefore, a secondary data based qualitative analytical research methodology is being applied to fulfil its purpose.

Analysis and Interpretation:

- **Present Scenario**

In fact, in Indian scenario, still in this centaury a girl is discriminated from the very childhood. At birth she is unwanted, she is not sent to school, and she is given less food to avoid her to grow fast. After such a sad experience of childhood in a woman's life come three phases that could be remembered with 3 Ms. these are – Menarche, Motherhood and Menopause. At Menarche, she should be educated to take high protein diet and food items containing iron. She must also be educated about sexuality and teenage pregnancy while the studies revealed that 17 per cent of pregnancies are in age group of 15-18 years leading to complications of abortions. The next phase is motherhood. It is also important that she is aware about the dos and don'ts of pregnancy. Maternal Care Indicators show that only 62.3 per cent of pregnant women receive antenatal check ups, 53.8 per cent doses of Tetanus Toxoid, 50.5 per cent iron/folic acid tablets, and only 25.5 per cent deliver with proper health care facilities. Lastly comes the phase of Menopause, with the physical changes in this phase comes the need for self-respect and feeling of being wanted. Many time family members are unable to show these in their behavior.

The discrepancy in the ideology and practice of the empowerment policy of women in India constitutes its continued social, economic and cultural backwardness. As empowerment of women in a society is the most effective index of measuring modernization and development, therefore it should be ensured that at every phase of life, a woman needs to be given special inputs in terms of school education, higher education, health education, sex education, population education and education on self development, so that these may improve her status in the society and better the quality of her life.

Health is considered as a fundamental human right and a worldwide social goal. In Indian scenario Human Development Report (1998) ranks India at number 139 among 174 countries in terms of overall human development. A country's overall level of development affects the health status of its people. However, women are affected disproportionately more than, and in different ways from, men. The news paper Times of India dated 24 January 2011that 70%women in India are not able to afford sanitary napkins. Over 88% women resort to shocking alternatives like unsanitized cloth, ashes and husk sand. Reproductive tract infection is 70% more among these women. These are the findings of the latest study Sanitary Protection: Every women right undertaken by AC Nielsen. Reviewed and endorsed by community development organization plan India, Bhagyashri Dengle, executive director Plan India, said, this study reveals the dismal state of feminine hygiene care in India and shows rampant unhygienic sanitary practices.

A large number of women are either ill-equipped or not in a position to propel themselves out of their traditionally unsatisfactory socio-economic conditions. They are poor, uneducated and insufficiently trained. Some tend to be ill-nourished, anemic and burdened by domestic chores and child care responsibilities. A study published in Times of India dated 18 January2011 revealed that every tenth girl is out of school in UP, and even in 27% districts female literacy rate is less than state's average rate of 42%. In such a terrific situation how we can celebrate the achievements of our few successful women of the country who are enjoying the modernized swing of 21st centaury? How can they be the representative sample of such a huge mass of our women who is far even from the basic fundamental necessities of life?

Conclusion and Suggestions:

It is now high time to change our social outlook towards women. Their education health and effective participation are essential for bringing about the desirable social changes. In order that, women receive emancipation and equality of status with their male counterpart their sound health is most essential. Women should be given proper sanitary facilities together with health education, general education and then they should be equipped with vocational training too, consistent with the need of the society. They should be made aware of their shortcomings in terms of education, nutrition and health. The most important suggestion of the present study is that only proper nutrition through mid day meal is not sufficient for the girls coming to the age of menarche, they should be provided with healthy sanitary facilities together with free distribution of sanitary napkins. Not only this, they should also be provided regular health counseling by the visiting Doctors. This practice may reduce the problem of girl child drop out at the age of 12 to 13 which will ultimately be help full for the enhancement of women literacy together with their health.

There are many issues that require to be taken up for betterment of women in India. The most important need is to look at this in the broader context of women's health and enhancement of their capabilities. On one side where there is a need to educate girls as education is the basic tool for empowering a woman, it is also necessary that the other sex should be sensitized towards her. Once she is educated and empowered, she is in a better position to take care of her and this needs to be sustained. We should also remember that "If we educate a man, we educate an Individual and If we educate a woman, we educate a whole family."

Mass media, inter-personal communication techniques and mass sensitiveness towards these unfortunate women of 21st centaury may absorb the attention of our policy makers and should be utilized to achieve desired ends, and for this we should follow **Gandhiji's attitude that one should think for the last man.**

References

1. Braja Paikaray: Women's march to equality, Orissa review, May 2005.
2. Dr.Joyce Vaghela: Empowering women in independent India .St.Stephens Hospital, Community Health Department,New Delhi.
3. Jagori-The Women's movement. Htm
4. Merge Berer,T.K.Sundari Ravindran:Fundamentalism,women's empowerment and reproductive rights.
5. National Policy for the Women Empowerment,2001
6. Upma Sharma,Dr.S.k.Bhati:Astudy of reproductive health behavior of slum dweller women.
7. The Times of India (Daily News Paper) Dated: 18th and 24th January 2011.

प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों की पर्यावरण संबंधी ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ0 हवलदार सिंह यादव
एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा संकाय
एम.एम.पी.जी. कालेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़

प्रस्तावना :

पर्यावरण प्रकृतिका अनुपम वरदान है। मानव जीवन की विकासात्मक प्रक्रिया में पर्यावरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यावरण ने मनुष्य को विकास की असीम सम्भावनाएं प्रदान की है। किन्तु उसने पर्यावरण का विदोहन करके उसे असन्तुलित एवं प्रदूषित कर दिया है। इस पर्यावरणीय प्रदूषण के अनेक कारण है। भारत में प्रदूषण का एक प्रमुख कारण अज्ञानता अशिक्षा और गरीबी है। इसके लिए यह आवश्यक है कि देशवासियों को पर्यावरण के महत्व एवं ज्ञान से अवगत कराया जाये। प्रदूषण से बचने की उपायों की जानकारी प्रदान की जाये। इस हेतु जनजीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं ज्ञान को विकसित करना होगा, तभी उनमें पर्यावरण के प्रति सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे और प्रदूषण की समस्या पर काबू पाया जा सकेगा। यह कार्य देश का शिक्षक वर्ग ही कर सकता है। परन्तु वह स्वयं पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा तभी वह अपने छात्रों में भी यह जागरूकता अंकुरित एवं पल्लवित कर सकता है। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए यह विशेष अपेक्षा होती है क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संचेतना की विशेष अपेक्षा होती है जो पर्यावरण के प्रति विशेष ज्ञान एवं जागरूकता रखने वाला शिक्षक ही कर सकता है।

समाज सतत् विकासशील एवं परिवर्तनशील संरचना है। इसी के परिणामस्वरूप सामाजिक प्राणी मानव बर्बर एवं असभ्य जीवन से सभ्य एवं विकसित स्वरूप में पहुँच चुका है और विज्ञान तथा तकनीकि के बल पर पर्यावरण सन्तुलन को नष्ट करने लगा है। आज विकास के नाम पर मनुष्य प्रकृति का विनाश कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है नदियों को गंदगी एवं कारखानों के कचरे से विषैला बना रहा है, पेड़-पौधों को अपनी स्वार्थ और बढ़ती हुई आबादी के लिए काट कर वायु प्रदूषण बढ़ा रहा है और वर्षा का मार्ग अवरूद्ध कर रहा है। आकाश की सुरक्षात्मक ओजोन परत को क्षति पहुँचा रहा है। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही अपने भविष्य के लिए खतरा खड़ा कर रहा है।

प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों की जीवन प्रणाली पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहती थी। किन्तु आज के युग में मानव यह भूल गया है। प्रकृति से मानव द्वारा छेड़छाड़ की जाती है तब पर्यावरण असंतुलन या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। शिक्षक को पर्यावरण संबंधी ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वह अपने विद्यालय में छात्रों को पर्यावरण जागरूकता का पाठ पढ़ा सके।

शोध के उद्देश्य :

1. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान का पता करना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के पर्यावरण सम्बन्धी ज्ञान का पता करना।

परिकल्पनायें :

शोध की परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं–

1. प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है।
2. प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं के पर्यावरण संबंधी ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है।

प्रयुक्त उपकरण :

डॉ0 सीमा धवन का Environment Knowledge Test प्रयोग किया गया।

न्यादर्श :

प्रतापगढ़ जनपद के 10 बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों एवं 10 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों को चुना है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 25 शिक्षक और 25 शिक्षिकाएं एवं मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित प्राथमिक विद्यालय के 25 शिक्षक और 25 शिक्षिकाएं अर्थात् दोनों विद्यालयों के कुल 100 शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को न्यादर्श में शामिल करके आंकड़ों का संकलन किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकीय :

संकलित प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु मध्यमान, मानक विचलन एवं क्रान्तिक अनुपात परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

शोध के निष्कर्ष :

परिकल्पना एक : प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है।

चर	N	M	SD	D	∫D	क्रान्तिक अनुपात	स्वतंत्रयांश	सार्थकता स्तर
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	25	49.00	17.20	2.94	4.09	0.72	48	0.01 पर

मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक	25	51.94	11.13					असार्थक

48 df पर 0.05 स्तर पर टी सारणी मान 2.01 तथा 0.01 स्तर पर 2.68 है। गणना की गई टी अनुपात 0.72 है जो सार्थक नहीं है। अतः यह शून्य परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है अर्थात् परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त गैर अनुदानित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के शिक्षकों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान में कोई अन्तर नहीं होता है। अर्थात् दोनों प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों का पर्यावरणीय ज्ञान समान है।

परिकल्पना दो : प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं के पर्यावरण संबंधी ज्ञान में कोई अन्तर नहीं है।

चर	N	M	SD	D	∫D	क्रान्तिक अनुपात	स्वतंत्रयांश	सार्थकता स्तर
परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका	25	48.73	15.90	4.54	4.16	1.09	48	0.01 पर असार्थक
मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका	25	53.27	13.40					

48 df पर 0.05 स्तर पर टी सारणीमान 2.01 तथा 0.01 स्तर पर 2.68 है। गणना की गई टी अनुपात 1.09 है जो सार्थक नहीं है। अतः यह शून्य परिकल्पना सत्य सिद्ध होती है अर्थात् परिषदीय एवं गैर अनुदानित प्राथमिक स्तर के विद्यालयों की शिक्षिकाओं के पर्यावरण संबंधी ज्ञान में कोई अन्तर नहीं होता है। अर्थात् दोनों प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं का पर्यावरणीय ज्ञान का स्तर समान है।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

- पर्यावरण शिक्षा की चेतना व अवबोध के विकास के लिए सेवारत शिक्षकों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

- संचार माध्यमों द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। पर्यावरणीय समस्याओं और उनके प्रभावों सम्बन्धी जागरूकता व बोध के लिए अनौपचारिक शिक्षा को उपयोग में लाया जा सकता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, पत्रिकाओं द्वारा पर्यावरण चेतना विकसित की जा सकती है।
- पर्यावरण शिक्षा संबंधी सेमीनार, सामूहिक वार्ता, कार्यशाला व सम्मेलनों का शिक्षकों के लिए आयोजन किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को क्षेत्रीय पर्यावरण की समस्याओं को समझाने व उनका निवारण करने के लिए प्रयोजनाओं को निर्मित करने तथा शोध करने के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए।
- शिक्षकों को सुधारने का कार्य की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, जिससे वह विद्यालय एवं समुदाय दोनों जगहों में अच्छा कार्य करके विद्यार्थियों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शर्मा, आई0के0 ''हाऊ इन्वारनमेंटल अवेयरनेस बी0 जनरेटेड इन स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज यूथ एण्ड जनरल पब्लिक'' आई.सी.ई.ई. एक्सट्रेक्ट, नई दिल्ली 1981
2. शर्मा, श्रीकान्त :''पर्यावरण एवं हमारा स्वास्थ्य'' पर्यावरण ऊर्जा टाइम्स, इनवायरनमेंट एनर्जी फाउण्डेशन, रायपुर, जनवरी 2000.
3. श्रीवास्तव, डॉ. पंकज : 'पर्यावरण शिक्षा (म0प्र0) हिन्दी ग्रन्थ अकादमी'', बानगंगा, भोपाल 1988.
4. पाण्डेय, डॉ0 के0पी0 : पर्यावरण शिक्षा एवं भारतीय संदर्भ पर्यावरण शिक्षा शिक्षण, राधा प्रकाशन, आगरा।
5. देवसन ए0 ''एनवायरनमेंटल अवेयेरनेस विथ इन्फैंट्स इन्टीमेटेड एप्रोच, इन्वायरमेंट एजूकेशन'' वाल्यूम 2,3 1985, अतुल प्रकाशन, मथुरा।

'नीहार' कृति में महादेवी का एक दृष्टिकोण

डॉ0 उमेश मिश्र
एसोसिएट प्रोफेसर– हिन्दी विभाग
एम0एम0पी0जी0 कालेज कालाकाँकर, प्रतापगढ़

'नीहार' महादेवी की प्रथम याम है। प्रथम याम यानी प्रिय दर्शन की प्रथम शुरुआत। वर्मा जी ने अपने जीवन दर्शन के प्रथम चरण में जिन भावनाओं को अपने अन्दर देखा। उसे अपने गीतों के माध्यम से सार सूत्रों को मनका माला बना दिया। अपने अन्दर के सूक्ष्म भावों और शब्दों की लड़ियाँ बना दिया। जो दृश्यमान जगत में स्थूल रूप में दिखायी पड़ता है। उसका सूक्ष्म रूप पिंड रूपी शरीर में पहले ही विद्यमान रहता है। जिसने अपने अन्दर के सूक्ष्म भावों को पहचान लिया। वही बाह्य जगत के स्थूल आकार के अन्दर, उसी सूक्ष्म तत्व को व्यापक रूप में देखता है। वर्मा जी प्रेमाभक्ति साधना में तल्लीन भक्त हैं। भक्ति मार्ग सत्यम् शिवम् और सुन्दरम् का पोषक है। सत्य कल्याणकारी और सुन्दर होता है। ऊर्दू में जिसे 'इश्क हकीकी' कहा जाता है। यानी प्रेम, सत्य और शिव में, प्रेम और सौन्दर्य में प्रेम। परम तत्व परमात्मा परम सौन्दर्य का भंडार है। उसी का सौन्दर्य संसार में चतुर्दिक बिखरा पड़ा हुआ है। जिसे विरले दृष्टा ही देख सकते हैं। जैसे वर्मा जी प्रकृति में सौन्दर्य को देखकर, इस सौन्दर्य के मूल उद्‌गम परमात्मा की तरफ उनका आकर्षण बढ़ गया।

स्थूल से सूक्ष्म की तरफ अन्तर्दृष्टि वालों के ही कदम बढ़ सकते हैं। प्रतिबिम्ब को देख बिम्ब पकड़ने की कला प्रेमी भक्त ही जान सकता है। भक्त मार्ग पूर्ण प्रेम और पूर्ण समर्पण का मार्ग है। एक शायर ने लिखा है–

तड़पता देखता हूँ जब कोई शै,
उठा लेता हूँ, अपना दिल समझकर।

वर्मा जी के अन्दर वेदना का दीप जल चुका है। भक्ति मार्ग के दो तत्व सत्यम् और शिवम् दो सूत्रों को वर्मा जी पा गयी। तीसरा सूत्र सुन्दरम् अभी शेष है। वर्मा जी अपने मन के अन्दर के सभी कूड़–करकटों को फेंक रही हैं। अपनी अन्तर्दृष्टि का विकास भी कर रही हैं। फिर जिसे वर्मा जी खोज रही हैं। उसका प्रतिबिम्ब शुद्ध निर्मल मन में प्रतिबिम्ब होगा।

नीहार, महादेवी वर्मा जी की यामा का प्रथम याम है। प्रिय के दर्शन का प्रथम भूमि है। जीवन में प्रिय–अनुभूति की पहली किरण है, जो धुंध के उस पार है। इस पार आने के लिए रश्मि की सुषमा में से प्रिय की तरंगों की आहट सुन रही हैं। साधक के मन की साधना यदि गहरी है, प्रेम की लहर में यदि शाश्वतता की ऊर्जा है। तब प्रेम का स्वरूप जीवन के परदे के पार आती है। संसार में भी प्रिय का सौन्दर्य देखता है। उसी सौन्दर्य के समानान्तर अपने को भी श्रृंगार से मंडित करता है। सौन्दर्य की अनुभूति सदैव सम होती है। यदि कली में अन्दर ही अन्दर भरा सौन्दर्य बाहर आने के लिए अपने को व्यक्त करने के लिए व्याकुल है। तो मधुमास की भरी ऋतु अपने को पूर्ण क्षरित करने के लिए व्याकुल है। व्याकुलता जब प्रेम भरी होती है, तो उसकी रस की बूंदों में से मदिरा का रस झरता है। जो मूल्य के पैमानों से परे है। क्योंकि ऐसी मदिरा का रस अमूल्य है। क्योंकि ऐसे ही रस में , प्रिय और प्रियतम दोनों अन्दर ही अन्दर मन से बातें कर लेते हैं। यह प्रिय के प्रेम की मदभरी जीवन की यात्रा है। जिसमें दोनों बह रहे हैं। एक असीम है। दूसरा जीवन की सीमा से, असीम की यात्रा करने निकला है। प्रेम में मन जब डूब जायेगा, तब प्रिय के

प्रश्नों का उत्तर स्वयं दे देगा। अभी अभी प्रेम में डूबा मन, अभी अभी, प्रेम के झरने के किनारे बैठ कर केवल प्रेम को झरते हुए देख रहा है।

कली से कहता था मधुमास

बता दो मधुमदिरा का मोल – नीहार गीत एक, पृ0 13,

नीहार का अर्थ होता है, वर्फ के छोटे छोटे कण जो सुबह ओस की बूदें बन कर गिरते हैं। 'नीहार' प्रिय रस की गिरती हुई ओस की बूंदें हैं। जो सागर की तलाश में गिरती हैं। जानती भी हैं। प्रिय का सागर मेरा ही ऐश्वर्य है। लेकिन खंड खंड रूपों में गिरने के कारण अपने अखंड लय को भूल चुकी हैं। तभी व्याकुल होकर पुकारती है, क्या युगों युगों का मेरा जीवन ऐसे ही खंड खंड रूपों में विभक्त रहेगा? क्या प्यारे तेरी नहीं हो पाऊँगी? बचैन होकर प्यार भरे सपनों में केवल खो जाना ही प्रेमी भक्त का जीवन होता है। क्या जीवन का राग, राग में से ही फिसलता हुआ, पैदा हो कर महाराग जीवन का सीखता है?

भूलती थी मैं सीखें राग,

बिछलते थे कर बारम्बार, – नीहार गीत एक, पृ0 1,

नीहार प्रिय के प्रेम का फूलोंमय नगर है। जिसमें डूब डूब कर वर्मा जी नानाविचारों का अपना घर बनाती हैं। अपने दृष्टि का संसार देखती हैं। फिर बसाती हैं। फिर दूसरे संसार में खोती हैं। मन की भूख जब नहीं भरती है, तब दूसरे भावों में डूबने लगती हैं। खोजने और देखने फिर प्यास में और प्यासी हो जाना ही जीवन की प्रथम दृष्टि है। जिसमें मन की बीणा तो बजती है। लेकिन बीणा को बजाने वाला कहीं दिखायी ही नहीं पड़ता है। मन बार–बार प्रेम के बीते क्षणों में डूब डूब कर प्रिय को विराट प्यास बना बना कर पुकारने लगता है।

बीण होगी मूक बजाने वाला होगा अन्तर्धान

विस्मृति के चरणों पर आकर

लौटेंगे सौ सौ निर्वाण – नीहार गीत दो, पृ0 15

जीवन का मतवालापन झूम झूम कर तभी स्वप्नों में नृत्य करता है। जब उसके चारों ओर आनंद की बरसात होती रहती है। इसी जगत के अन्दर डूबा मन बारम्बार अपने ही जीवन को अपने को स्थिर नहीं कर पा रहा है। ऐसी मन की ललक है, प्रिय को देखने की फिर से ललक आग बन कर जल रही है। अपने प्रेम को पागल बना बना कर परमहंस का स्वरूप धारण कर ही है। असीम की अपरिभाष्य मीठी मीठी आवाज को भी सुन रही है। जिसमें करुणा का सागर, मीठी मीठी आवाज में जीवन का मीठा मीठा दर्द गा रहा है। क्या प्रिय मिलन के लिए उतावला है, क्योंकि भावों के अतिरेक में बहने वाला ही मन अपने मन से बातें करता है, फूलों के हारों से अपना श्रृंगार करता है?

स्वप्न लोक के फूलों से कर

अपने जीवन का निर्माण। नीहार गीत तीन, पृ0 18

प्रेम के रस में भींगने वाला मन ही अपने आकाश में अपने ही फूलों से अपने प्रेमनगर को सदैव सजाता रहता है। यही एक सच्चे प्रेमी की प्रिय साधना है। जिसमें वह अपने प्रेम के राज्य को अमरत्व के भावों से देखता है। शाश्वतता के निरन्तर भावों में बहते हुए देखना चाहता है। यही प्रेम का उत्कर्ष है। जो भावों में उर्ध्वगमन की शक्ति प्रदान करता है। नीहार में वर्मा जी क्षण–क्षण जगत की क्षणभंगुरता पर भी अपनी दृष्टि को सदैव बनाये रखती हैं। लेकिन अपनी प्रीति को जगत के फूलों से भिन्न बताती हैं। शाश्वत और सत्य बताकर अनवरत एक जैसे सौन्दर्य में बसा हुआ बताती हैं। जिसमें प्रिय का ही अनुराग निवास करता है।

'वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना'[1] प्यारे! मैं एक स्त्री हूँ। मेरी प्रीति साधना में युगों युगों की प्यास छिपी है। यही प्यास फूल बन बन कर पहले हृदय में फफोले बनाती है। फिर उन्हीं फफोलों को प्रिय के फूलों में रूपांतरित करती रहती है। मेरा प्रेम अनंत सौन्दर्य में खिल खिल कर प्रिय को नीहारते रहते हैं। धुंध के चादर में भी प्रिय को एकटक देखते रहते हैं। मन में प्रिय की जब परम आग जलने लगती है। तब जगत के क्षणिक अवसाद अपने आप जल जल कर भस्म होने लगते हैं। तब मन बैरागी बन कर रागी सा जीवन जीने लगता है।

'जलना जाना नहीं, नहीं जाना जिसने जाना मिटने का स्वाद[2]!' अरे! प्रिय/ मैं तो चाहती हूँ/ तुम्हारा मिलन/ जलन में बदल जाय/ जलन की आग में निरन्तर/ जल–जल कर/ तेरी भभूति को/ अपने मस्तक पर/ सुहाग का सिन्दूर बना बना कर लगाती जाऊँ/ फिर सजा सजा कर/ प्रिय की याद में जलूँ/ फिर लगाऊँ/ यही मेरे मन का स्वाद बन जाय/ निरन्तर अपने को तपाती ही जाऊँ/ यह भी तो प्रेम की एक जलन है/ यह भी तो/ जीवन का एक स्वाद है/ मिट जाने पर/ अस्तित्वविहीन हो जाने पर/ फिर जलने का स्वाद/ मन कैसे चखेगा?/ इसलिए प्रिय/ मैं जिन्दा रहकर/ जीवन में प्रिय के नाम पर/ जलने का स्वाद चाहती हूँ/ प्रत्यक्ष जलन में ही जीवन का स्वाद मिलता है/ इसलिए/ पीड़ा ही मेरा साम्राज्य है/ पीड़ा ही मेरे जीवन का रहस्य है/ ऐसी प्रीति प्रत्येक प्रेमियों के जीवन की गुप्त बातें हैं/ जो मुझे खामोशी में/ जलने की सलाह देती है।

– उमेश मिश्रा (बाबा)

वर्मा जी की साधना का यह प्रथम याम है। प्रेम की पीड़ा में पीड़ित मन, घायल होकर जगता है। फिर घायल मन लेकर सो भी जाता है।[3] यही तो प्रेमाभक्ति का रहस्य है। जिसमें मन अपना दीप जला जला कर बहिर्जगत की भी यात्रा करता है, और अन्तर्जगत की भी, लेकिन नन्हा सा मन प्रेम की अभी पूरी गहराई को स्पर्श न कर पाने पर थक सा जाता है, इसीलिए अंधकार की असीम शीतल छाया में पल भर के लिए सोने का प्रयास करता है।

इसी असीम तम में मिलकर,

मुझको पल भर सो जाने दो, – नीहार गीत चार, पृ0 19

प्यारे! इस संसार में प्रेम के फूलों को मसल दिया जाता है। मैने खूब प्रेम में चढ़ चढ़ कर देखा है। आंखों को पसार–पसार कर देखा है। यह भी देखा है कि मेरे ही स्वप्न हँसते हुए पैदा होते हैं। फिर पीड़ा की लहरों में लहरा लहरा कर, रो रो कर अपने ही भावों में पीड़ित हो कर संसार में मुँह खोल खोल कर रोने लगते हैं। तब मन कहता है कि अंधकार की रसमुग्धता में ही खो जाऊँ। क्योंकि शीतल अंधकार में सिमटने से मन को कुछ क्षणों के लिए आराम तो मिल जायेगा, क्योंकि जगत का सारा सौन्दर्य असीम की व्यापकता में छिपा है। मन जब व्यापकत्व में समाहित हो जायेगा। तभी नींद आयेगी।

वर्मा जी के प्रिय का अस्तित्व कण–कण में व्याप्त है। जगत का कण कण, इस समय प्रिय समाधि की बेला में सो रहा है। इसलिए संसार के समस्त कोलाहल को अपने अन्दर ही अन्दर पी–पी कर सुला रही है। क्योंकि बहुत दिनों का प्यासा प्रिय आज पास सो रहा है। यदि बहिर्जगत के एक भी प्रकाश के कण प्रकाशित हो जायेंगे, तो प्रिय कोलाहल सुन कर फिर जग जायेगा। कच्ची नींद में जगने पर मन को कतर–कतर करके रख देता है।

कन कन में बिखरी सोती है

1 नीहार गीत 4 पृ0 19

2 नीहार गीत 4, पृ0 19

3 नीहार गीत 5, पृ0 19

अब उनके जीवन की प्यास
जगा न दे हे दीप। कहीं

उसको तेरा यह क्षीण प्रकाश। नीहार गीत छः, पृ0 24,

उसको तेरा यह क्षीण प्रकाश। मैंने अपने प्राणों के प्रकाश को अपने प्राणों में ही छिपा दिया है। हे! मेरे देवता, मैं अपनी भावात्मक अनुभव की गहराई में उतर कर, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहती हूँ। जिससे आपकी नींद में कोई खलल पड़े। क्योंकि नींद से प्रिय जब जगता है। सारी संवेदनाओं को मसल देता है। इसलिए अपने प्रिय को पूर्ण नींद में सुलाने का प्रयास कर रही हूँ। प्रियतम! जब जी भर–भर के सोकर उठेंगे। तभी जी भर–भर के बातें भी करेंगे। मैं आपका हृदय जानती हूँ। आपका स्वभाव भी जानती हूँ। जब आपकी हो गयी हूँ तब तो आपके ख्यालों का पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा। यही सोच कर मन से संवाद करती हूँ।

प्यारे! मन तुम भी सो जाओ/

जब प्राणनाथ/बगल में सो रहे हों/तो फिर जागरण/ जीवन का अवसाद है/ विषाद है/ऐसा सोच कर/ आज मैंने अपने मन के दीपों को बुझा दिया/ क्योंकि/ आज की रात/ प्रिय के सुहाग की रात है/ पास में ही/ सोया हुआ प्रिय है/ प्यासा भी है/ असीम अंधकार भी है/ ऐसे परिवेश में / प्रिय का सानिध्य/ मन की सारी दीवालों को/ स्वयं गिरा देगा।

–डॉ0 उमेश मिश्र 'बाबा'

वर्मा जी का सम्पूर्ण साहित्य करुणा का साहित्य है। जिसके अन्दर ही अन्दर आध्यात्म का रस बहता रहता है। प्रिय की निरन्तर पूजा के लिए। प्रिय के प्रेम में वर्मा जी अपने को मिसरी की भाँति बहाती रहती हैं। फिर भी प्रिय रूठा रूठा सा रहता है।

विधु की चाँदी की थली,
मादक मकरन्द भरी सी,
जिसमें उजियारी रातें
लुटती घुलती मिसरी सी। – नीहार गीत सात पृ0 25

फिर भी पुरुष आकर्षित नहीं होता। अपना सब कुछ अर्पित कर देने पर भी, पुरुष की पूरी प्यास नहीं भर पाती है। जब कि इस संसार में पुरुष के सौन्दर्य को स्त्रियॉ ही सजाती हैं, और पुरुष के मन को तृप्त करने का पूरा प्रयास भी करती है। तभी तो एक स्त्री कहती है –

मैं एक स्त्री हूँ/ पुरुष के जीवन में रस घोलती हूँ/ प्राणनाथ को कैसे, प्राणों की ऋतु/ किस समय/ किस अवस्था में/ किस दशा में चाहिए?

यह मैं जानती हूँ/ क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ/ पुरुष के मन को/ कैसे परिवर्तित किया जाता है/

यह मैं जानती हूँ/ और/ यह केवल/ एक स्त्री ही जान सकती है/

– उमेश मिश्र (बाबा)

प्रेम देने पर प्रेम मिलता है। यह एक स्त्री ही जानती है। लेकिन पुरुष का प्रेम नाप तौल कर दिया जाता है। तभी तो पुरुष जब स्त्री से दूर हो जाता है। भिखारी सा जीवन जीता है। प्यारे! यह तब जानोगे। जब मुझसे दूर हो जाओगे। क्योंकि मैं एक भारतीय नारी हूँ। मैं प्रिय के प्रेम में ऐश्वर्य भरती हूँ।

भिक्षुक से फिर जाओगे,
जब लेकर यह अपना धन,
करुणामय तब समझोगे

इन प्राणों का महँगापन। – नीहार गीत सात, पृ0 25

जब मेरी आत्मा से दूर चले जाओगे। बहुत दूर चले जाओगे। किसी अन्य देश में तब मेरे देश से, जब तुलना करोगे। तब बहुत पछताओगे। यह मेरे मन की आवाज कह रही है। मन की करुणाभरी पुकार कह रही है। क्योंकि स्थान बदलते ही विचार भी बदल जाते हैं। जब वहॉ जाओगे। मेरी यादों को जीवन भर निकाल नहीं पाओगे। रहोगे वहाँ, सोओगे मेरी ही स्मृतियों को मन में लेकर, नीहार में वर्मा जी अपनी साधना को पल भर, के लिए स्थिर रखना चाहती हैं। क्योंकि पल भर में ही यदि प्रिय का साक्षात्कार हो जाय, तो जीवन में ऐश्वर्य की रश्मि उतर जायेगी। इसीलिए साधना में एकान्तमन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही पल भर का मिलन परमप्रिय की तरंग है। मन का यही परम सौन्दर्य भी है। जिसमें मन परमप्रिय से एकान्त में बातें करता है।

हे नभ की दीपावलियों

पल भर को बुझ जाना – नीहार गीत नौ, पृ0 32

हे नभ की दीपावलियों। आज मैं भीतर की यात्रा पर निकली हूँ। ऐसे प्रिय जब पल भर के लिए दिखायी पड़ेंगे। तो ऐसे मधुर क्षणों में मैं जब विसर्जित हो जाऊँगी, तो मेरे जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जायेगा। एक क्षण के लिए चुप हो जाओ। एक ही क्षण मेरे लिये काफी है। एक क्षण में यदि मन को शान्ति नहीं मिलेगी, तो वर्षों का जागरण कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता है। क्योंकि मैं प्रिय की दीवानी हूँ। मेरे लिए पल ही काफी है। इसी एक पल भर में जीवन की सारी प्यास बुझ जायेगी। यह एक कदम, यह एक पल का चला हुआ मन, अपने मतवालेपन से, सब कुछ झूम–झूम कर पी लेगा। प्रेम की पूजा में एक पल की शान्ति में, जीवन के सारे रास्ते सिमट जाते हैं। इस एक पल को मैं जाग–जाग कर वर्षों से देखना चाहती हूँ। वही प्रेमी, वही भक्त, वही साधक प्रामाणिक है, यथार्थ है, जो पल पल में जीता है। जो प्रेम में पल–पल स्नान करता है। ऐसे प्रेमी के लिए एक पल ही यथेष्ट है। क्योंकि मन जब प्रिय में डूब जाता है। तभी मन जीवन में अपना बसन्तोत्सव मना सकता है। जीवन की वही असली दीपावली है। इसलिए मैं एक क्षण के लिए अपने प्राणों का दर्शन करना चाहती हूँ। प्राण तभी प्राणनाथ का दर्शन कर सकते हैं। जब कोई आन्तरिक बाधा न हो।

वर्मा जी सम्पूर्ण जगत में जब 'नीहार' 'नीहार' कर प्रिय का अक्स नहीं देख पाती हैं। तब करुणा से आर्त्त होकर कराह उठती हैं। अपनी अंतिम जीवन की इच्छापूर्ति के लिए प्राणों से प्रार्थना करती है। केवल एक बार प्रिय दर्शन के लिए।

जो तुम आ जाते एक बार।

कितनी करुणा, कितने संदेश

पथ में बिछ जाते बन पराग, – नीहार गीत पंन्द्रह, पृ0 48

हे! मेरे परमात्मा। बस एक बार जीवन में रश्मि बन कर आ जाते। तो जीवन की सभी रिक्त इच्छाओं को मैं हृदय में भर लेती। क्योंकि मन के कोने कोने में तुम्हारा ही दर्द बहता रहता है। इसी को पत्र बना कर मन से लिखती रहती हूँ। पता नहीं कितना लिखती जाती हूँ? अपने में ही झूम झूम कर। इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि बस एक बार जीवन में उपस्थित हो जाओ। प्रकट हो जाओ। मन के अन्दर बहुत सी बातें हैं, जो पत्र पर नहीं लिखी जा सकती हैं।

गाता प्राणों का तार तार

अनुराग भरा उन्माद राग,

आँसू लेते वे पद पखार। – नीहार गीत पन्द्रह, पृ0 48

बस एक बार मेरे प्रियतम आ जाओ। मेरे प्राणों का तार–तार तेरे ही अनुराग का उन्मादी राग गा रहा है। लज्जा के कारण कुछ बोल नहीं रहा है। बस अन्दर ही अन्दर अपने प्रेम को सजोता ही जा रहा है। प्राणों के जो मेरे सितार के तार हैं। अन्तर ही अन्दर केवल गा गा कर आँखों में आँसू ही आँसू पैदा करते हैं। मेरी यही आकांक्षा है। इन्हीं आँसुओं से तुम्हारे पैरों को धो धो कर अपने मन के मंदिर में छिड़क लूँ। जिससे मेरा आँगन पवित्र हो जाय।

महादेवी द्वारा विरचित यामा की नीहार प्रथम याम है। जिसमें वर्मा जी केवल प्रिय को धुंध में देखने का प्रयास कर रही हैं। लोकभारती द्वारा प्रकाशित यामा के प्रथम याम में केवल पन्द्रह कविताएँ हैं। जिनको मैंने भावविस्तार देने का प्रयास किया है। क्योंकि भावों की सघनता ही किसी कवि को महान कवि बनाता है। भाव साधना ही प्राणों को विस्तार देती है। वर्मा जी की 'नीहार' साधना की प्रथम सीढ़ी है। जिसमें प्राण केवल प्रिय को विभिन्न रूपों में ही अभी देख देख कर आकुल और व्याकुल हो रहे हैं। इन प्राणों में अभी बाल सुलभ चेष्टा है। ये अभी केवल प्रिय को देखने के लिए कभी नाचते हैं, तो कभी देरी होते देख कर केवल रह रह कर करुणा भरी आवाज देते हैं। इनकी पुकार में पीड़ा की टीस है। गहरी हृदय की कसक है। जो प्रेम साधना को विस्तृत भवभूमि प्रदान करती है। मन का उन्माद जब परम उत्कर्ष पर पहुँच जाता है। तब प्रिय की प्रतीक्षा के लिए व्याकुल होकर पुकारने लगता है। प्रेम के मार्ग में श्रद्धा अनिवार्य तत्व है। क्योंकि भक्ति मार्ग जीवन का परम वियोग मार्ग भी है। इसमें प्रतिदिन प्रतिक्षण नये नये अनुभव से मन गुजरता है। 'नीहार' में वर्मा जी का व्याकुल मन पीड़ा से ही अपनी पुकार को अंतिम रूप देता है। जिसमें एक ओर प्रियतम का असीम सौन्दर्य है, तो दूसरी ओर वर्मा जी के मन का असीम सौन्दर्य है, जो पीड़ा में से ही रह रह कर निखरता हुआ दिखायी पड़ता है। प्रेम मार्ग में भक्त अपने परमात्मा से ही निरन्तर मन ही मन संवाद करता रहता है। कभी आँख में आँसू भर कर रोता है, तो कभी कभी फूलों में प्रिय का चेहरा देख कर कुछ क्षणों के लिए हँस लेता है। वर्मा जी की 'नीहार' पीड़ा का सागर है। जिसकी लहरें तो मन में आनंद भरती हैं। लेकिन डूबने पर मिलती है केवल पीड़ा! ऐसी पीड़ा जो अपरिभाष्य है। जिसके अन्दर से परमात्मा का महाराग निकलता है। जिसको सुन सुन कर आँखों से केवल आँसू ही आँसू गिरते हैं।

सन्दर्भ सूची

1. यामा – महादेवी कृति (प्रथम यामः नीहार) प्रकाशक – लोक भारती प्रकाशन दरबारी विल्डिंग एम0 जी0 रोड इलाहाबाद –1

कामकाजी महिलाओं में पारिवारिक समायोजन की जटिलताएँ

पूर्णिमा तिवारी
शोध छात्रा
समाजशास्त्र विभाग
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)

कामकाजी महिलाओं का तात्पर्य प्रायः घर से बाहर कार्य करने वाली महिलाओं से लिया जाता है, जिसका मासिक वेतन निर्धारित होता है। समाज में महिलाएं अपने घर परिवार के साथ–साथ बाहरी कार्यो (रोजगार) की तरफ भी कदम बढ़ा रही है। आधुनिक समाज में महिलाएं विभिन्न कार्य क्षेत्रों जैसे–स्कूल–कालेज, उद्योग–कारखाने, प्रशासनिक सेवाएं तथा राजनीति इत्यादि अन्य व्यावसायिक कार्यो में कार्यरत है। जहाँ एक तरफ महिलाएं रोजगार की ओर उन्मुख हो रही हैं उससे उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन भी देखा गया है। इस प्रकार दोहरी भूमिका निभाते हुए महिलाओं की समस्याएं भी जटिल होती जा रही हैं। हमारे समाज में मध्यमवर्गीय महिलाएं जो रोजगार में कार्यरत हैं उन्हे समाज में एक सामाजिक तथा आर्थिक संवृद्धि प्राप्त होती है तथा जीवन के विभिन्न पहलुओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन भी देखा जा रहा है।

आधुनिक जीवन अर्थ प्रधान होता जा रहा है आर्थिक स्वाधीनता के अभाव में सभी प्रकार की स्वाधीनताओं का अर्थ या महत्व निम्न ही माना जाता है। इस मान्यता के आधार पर महिलाएं भी रोजगार अपनाकर आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही हैं क्योकि किसी भी व्यक्ति विशेष की आत्मनिर्भरता सिर्फ सुदृढ़ीकरण देने की पहल की सोच नहीं है अपितु यह उसके आत्मविश्वास को बनाए रखने का अहम बिन्दु भी है। वर्तमान समय में रोजगार से संबंधित महिलाएं है खासकर शहरी क्षेत्रों में उनके ऊपर घर तथा कार्यालय की दोहरी जिम्मेदारी होती है दोनों ही भूमिकाएं अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है इन भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य बनाकर सुचारू रूप से निभाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

साधारणतया कुछ महिलाएं आपनी भूमिकाओं के प्रति सामंजस्य बनाने में कामयाब हो पाती है तो वही दूसरी तरफ कुछ महिलाएं कार्यों की अधिकता के कारण विभिन्न परेशानियों से जूझती रहती है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं को निभाते हुए महिलाएं आधुनिक समाज में अवसाद का भी शिकार होती जा रही है, जिससे बच्चों के समाजीकरण में बाधाएं आ रही हैं। समाज के इस बदलते हुए स्वरूप से आने वाली पीढ़ी के लिए यह चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि परिवर्तित समाज में महिला तथा पुरूष दोनों का रोजगार उन्मुक्त होना पारिवारिक जीवन की प्रमुख समस्या का केन्द्र बिन्दु बनता जा रहा है, विशेषकर बच्चों के समाजीकरण में अधिक कठिनाइयाँ देखने को मिलती है तथा मुख्य रूप से एकांकी परिवारों में। **कार्ल मार्क्स** के विचारानुसार **'स्त्रियों की सामाजिक स्थिति से सामाजिक प्रगति को ठीक–ठीक मापा जा सकता है'** कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि की इस प्रत्यक्ष घटना की मुख्य प्रेरणा के मूल में उनकी बढ़ती हुयी आर्थिक आवश्यकताएं है, जिससे वह अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में पूर्ण तत्परता से लगी रहती हैं। **प्रमिला कपूर** ने अपने शोध अध्ययन में यह स्पष्ट किया है कि मात्र आर्थिक लाभ को प्रमुख मानकर महिलाएं नौकरी नहीं करती है बल्कि यदि मूल रूप से देखा जाए तो इसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं जैसे–अपनी प्रतिभा को निखारना, समाज में सर्वोच्च स्थिति की प्राप्ति करना, आर्थिक रूप से स्वतन्त्र तथा स्वावलम्बी बनना, लोगों से मेल–जोल रखकर सामाजिक पूंजी एकत्र करना, घर की चहारदीवारी से निकलकर बाहरी वातावरण का आनन्द उठाना, समाज के लिए लाभार्थी कार्यों को करने में उत्सुक रहना, मनचाहा रोजगार की प्राप्ति करना इत्यादि कारण भी हो सकते हैं।

साधारण रूप से यदि देखा जाए तो संयुक्त परिवार से आने वाली कामकाजी महिलाओं में भूमिका द्वन्द अत्यधिक देखा गया हैं परिवार में सदस्य संख्या अधिक होने से परिवार को उनसे अपेक्षाएं भी अधिक होती हैं जिससे खीचा–तानी लगी रहती है। कामकाजी महिलाएं राजनीतिक व सामाजिक रूप से सक्रिय व प्रगतिशील नागरिक की भूमिका में दिखायी दे रही हैं वे अपने आस–पास के राजनीतिक गतिविधियों के प्रति जागरूक रहती हैं तथा अपना आवश्यक भागीदारी भी दर्ज कराती हैं। समाज में बदलते परिवर्तन के नवीन कारकों एवं शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मिले–जुले प्रभावों के फलस्वरूप महिलाओं ने विस्तृत पैमाने पर शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा कामकाजी महिला के रूप में नवीन सामाजिक प्रघटना बनकर उभर रही है। **नारी देसाई ने लिखा है कि** परम्परागत पारिवारिक शक्ति संरचना, जाति और पुरूष प्रधान समाज, धार्मिक कथाएं, महिलाओं का शोषण करती हैं। उनका मत है कि सम्पूर्ण सामाजिक निर्माण के लिए भारतीय स्त्रियों की आर्थिक दशा में सुधार लाना अधिक आवश्यक है।

कामकाजी महिलाओं से घर के सदस्यों की देखभाल से लेकर बच्चों से जुड़े सम्पूर्ण जिम्मेदारीयों के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है व मातृत्व की भूमिका को नारी की अभिन्न भूमिका के रूप में अपेक्षित किया जाता है। महिलाओं के एक ओर बाहर जाने के रास्ते होते हैं तो वही दूसरी ओर महिला अपनी मन की बेड़ियों में कैद रहती है। समाज का उनकी अपेक्षाओं का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वे अपनी उम्मीदें तथा महत्वाकांक्षाएं कम कर लेती हैं। सामान्यतः समाज में यह देखा जाता है कि महिलाओं का कामकाजी होना परिवार में अलगाव पैदा कर देता है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियों की अपेक्षा महिला से रखा जाता है।

ए0डी0रास 1961 ने कहा है कि आधुनिक समय में आर्थिक दबाव के कारण परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए स्त्री का किसी न किसी व्यवसाय में आना आवश्यक हो गया है। यह सामाजिक विकास का संक्रान्ति काल है जहाँ पर पुरानी मान्यताएं और नियम व्यर्थ हो गए है नए नियमों तथा मानदण्डों का अभ्युदय हो रहा है यहाँ पर आवश्यकता है कि हम नए सिरे से सामाजिक निर्माण के कार्य करे, जिससे कि स्त्री की दोहरी भूमिकाओं एवं सामाजिक स्थिति को मूल्यांकित किया जा सके। **नासकोम** के एक सर्वेक्षण में जानकारी दी गयी है कि आई0टी0 सेक्टर में दो लाख कर्मचारी काम करते हैं, जिनमे से महिलाओं की संख्या पच्चीस प्रतिशत है। यह संख्या व्यापक रूप से बढ़ती ही जा रही है। मिडिल मैनेजमेंट में महिलाओं की प्रतिशत संख्या दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि भूमण्डलीकरण के अधिकतर फायदे शहरी मध्यमवर्गीय महिलाओं को मिले हैं इसी आधार पर इनकी समस्याएं भी बढ़ी हैं घर तथा बाहर दोनों की भूमिका निभाने में उन्हें अत्यधिक चुनौतीयों का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में विघटन की प्रक्रिया अधिक तीव्र गति से बढ़ रही है तथा उसका स्थान अब दाम्पत्यमूलक परिवारों के रूप में प्रतिस्थापित हो रहे हैं जिसका समाज पर सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों को देखा जा सकता है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखना भी आवश्यक है जो सामाजिक क्रियाओं को गतिशीलता प्रदान करता है।

विमला अग्रवाल 1994, के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कामकाजी महिलाओं में तनाव की प्रमुख वजह महिलाओं के वैवाहिक संबंध और कार्य का अतिभार होना है क्योंकि कामकाजी होने के साथ–साथ दफ्तर के कार्य भी करने होते हैं, जबकि घर के कामकाज को देखने वाली महिलाए इससे बच जाती हैं।

कल्पना शाह 1992, ने भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में पितृसत्तात्मक विचारधारा को कामकाजी महिलाओं के रोजगार के लिए प्रमुख बाधा के रूप में माना है उनका मत है कि पुरूषवादी विचारधारा के कारण उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य को दोयम दर्जे की संज्ञा दी गई है। **दासगुप्ता 1999,** के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि कामकाजी महिलाओं और भूमिका संघर्ष सम्बन्धी अध्ययनों में स्पष्टतः यह निष्कर्ष दिया है कि विवाह के उपरान्त महिलायें पत्नी, माँ तथा कुशल गृहणी की भूमिका निभाने के कारण सभी कार्यो के मध्य समय का विभाजन सुव्यवस्थित नहीं कर पाती हैं और उनमें संघर्ष की विषमताओं की अनुभूति होती है। **धीगरा**

1972, ने अपने शोध अध्ययन के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया कि कामकाजी महिलाएं घरेलू दायित्व के निर्वहन में कठिनाई का अनुभव करती हैं। बच्चों की देख–रेख और पति के लिए वह आवश्यक समय निकालने में असमर्थ पायी गयी।

नागराज 1989, के अध्ययन में तमिलनाडु में कामकाजी महिलाओं पर जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के द्वारा दिये गये समंको का विश्लेषण करने के साथ–साथ मदुरायी और बालामालापुरम के ग्रामीण क्षेत्र में वैयक्तिक विश्लेषण के आधार पर सामाजिक, आर्थिक सन्दर्भो में महिलाओं की सहभागिता की प्रकृति और स्थिति के सन्दर्भ में तथ्य प्रस्तुत किये हैं। आर्थिक विभेदीकरण, ध्रुवीकरण और दरिद्रीकरण के कारण महिलाओं का श्रम शक्ति में प्रविष्ट होना दर्शाया गया हैं।

उपरोक्त साहित्य अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न विद्धानों द्वारा कामकाजी महिलाओं के अलग–अलग पक्षों का अध्ययन किया गया है परन्तु कामकाजी महिलाओं के पारिवारिक समायोजन में उत्पन्न जटिलताओं का अध्ययन बहुत ही कम मात्रा में हुआ है अतः शोधार्थीनी द्वारा एक नए शिरे से नयी विषयवस्तु के रूप में इस समस्या को चुना गया है। यह अध्ययन लखनऊ जिले के विशेष के सन्दर्भ में किया जायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

- स्टेट्स ऑफ वर्किंग वीमेन, पी0एच0डी0 थीसिस, लखनऊ वि0वि0 लखनऊ 1970 पृ0सं0 16–19
- 'मैरिज एण्ड द वर्किंग वीमेन इन इण्डिया' दिल्ली विकास पब्लिकेशन 1970
- 'द वर्किंग वीमेन' द पोजीशन ऑफ वीमेन इन इण्डिया, बम्बई 1973 पृ0सं0 18–19
- चेन्जिंग स्टेटस ऑफ द वर्किंग वीमेन इन इण्डिया
- 'वीमेन वर्कर इन इण्डिया' बम्बई एशिया पब्लिकेशन हाऊस, 1960 पृ0 सं0 284–289
- अल्टेकर, ए0 एस0 1956 : द पोजिशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिकेशन, बनारस
- कपूर, पी0 1972 : वीमेन इन द होम, इन कमला भसीन, पोजिशन ऑफ वीमेन इन इण्डिया
- गाडगिल डी0आर0 1965 : वीमेन इन वर्किंग फोर्स इन इण्डिया एशिया पब्लिकेशन हाउस, बाम्बे पेज सं0 7
- देसाई, नीरा 1957 : वीमेन इन मार्डन इण्डिया, वोरा एण्ड कम्पनी, बाम्बे
- हाटे, सी0ए0 1969 : चेजिंग स्टेट्स ऑफ वीमेन, एलाइड पब्लिशर्स प्राइवेट, लिमिटेड, बाम्बे
- दूबे एस0सी0 : मेन्स एण्ड वीमेन्स रोल इन इण्डिया इन वीमेन्स इन द न्यू एशिया, बाराबरा इ वार्ड, यूनेस्को, पेरिस 1963
- डॉ0 प्रमिला कपूर, कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल एण्ड संस, दिल्ली
- सिंह वी0एन0 2010 : आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
- प्रभु, पी0एन0 : 'हिन्दू सोशल आर्गेनाइजेशन, बाम्बे, पापुलर बुक डिपो 1958. पेज 258
- कपाड़िया, के0एम0 : द हिन्दू मैरिज एण्ड द फैमिली, मद्रास, पॉल एण्ड कम्पनी 1952 पेज–169–170

समकालीन गीतो में ध्वनित होता जनवाद

डॉ इन्दुरेखा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष–हिन्दी विभाग,
मदन मोहन मालवीय पेस्टग्रेजुएट कालेज
कालाकांकर, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

समकालीन गीत अधिक देशी हैं। वह इसलिए कि उसे अपनी जड़ो की पहचान है। समकालीन गीत में पश्चिमोन्मुखी दृष्टि का अभाव रहता है और यह अभाव ही उसके देशी होने का प्रमाण है। वह अपने देशी चरित्र को विकसित करती है। समकालीन गीत की यह पहचान उसे अधिक जीवन्त बनाती है। इसका कारण यह है कि नवगीत जनजीवन में अपनी सही धरती तलासती है। यह समकालीन गीत की इच्छा भर नहीं है बल्कि उसमें हमारी जमीन का पूरा विस्तार मिलता है। इसे नवगीत की लोकदृष्टि भी कह सकते हैं। लोकदृष्टि नवगीत की अन्तनिर्हित प्रवृत्ति हैं उसकी स्थिति संवेदनात्मक है। इसमें कवि के व्यापक लोकानुभव, जन जीवन के साथ उसका गहन सम्बन्ध परिवेश से तादात्म्य लोकभाषा और लोक व्यवहार का ज्ञान, समूची मानवीयता की पहचान, इतिहासबोध, संस्कृति दृष्टि और मानवीय आकांक्षाओं को तराशने की विशेष विवेकशीलता आदि मुख्यतः रहते है।

समकालीन गीत में प्रतिष्ठित आधुनिकता बोध भारतीय आधुनिकता बोध कहा जा सकता है। बीसवीं शती में जो देश गाँधी के पैदा कर सकता है, विनोवा को प्रतिष्ठित कर सकता है, उस देश की माटी पर अनास्थावादी आधुनिकता, अति भौतिकवादी आधुनिकता, अतिमांसलता वादी आधुनिकता और उपभोग की संस्कृति प्रधान आधुनिकता घर और कुटुम्ब की सत्ता को नकारने वाली व्यक्ति वादी आधुनिकता कभी जड़े नहीं जमा सकती भारतीयता के मूल दर्शन को राजेन्द्र गौतम ने कुबेर नाथ राय के निबन्ध के एक प्रसंग से अच्छे ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि नवगीत में भी वेदना है, पर वह निरी रतिचक्र के खण्डित होने की वेदना नहीं अपितु ऋतुचक्र के घायल होने की वेदना भी है। कुबेरनाथ राय का निबन्धांश इस प्रकार है –

''रतिक्रिया से वंचित रह जाने का ऐन्द्रिक लोक का दुःख है परन्तु प्रणय में आहत और खण्डित होने का विप्रलम्भ प्रधान दुःख राग लोक का दुःख है, परन्तु साथ ही ऋतु चक्र के घायल हो जाने का दुःख रागोत्तर सार्वभौम वेदना से जुड़ा हैं।[1]

इस सम्बन्ध में श्री गौतम ने रेखांकित किया है कि इस दशक में नवगीत में आस्था, उल्लास और उपलब्धि का स्वर भी है परन्तु जहाँ तक दुखभंजक स्थितियों का सम्बन्ध है, उनका एक निजी व्यक्तित्व है। प्रणय में आहत होने का विप्रलम्भ प्रधान दुःख अपने राग लोक के संदर्भो के साथ नवगीत में निःसंदेह चित्रित हुआ है पर उसका मुख्य स्वर नहीं है वस्तुतः नवगीत वेदना का काव्य इस अर्थ में ही अधिक है कि उसकी वेदना ऋतुचक्र से घायल होने की वेदना है। रागोत्तर सार्वभौम वेदना उसका सन्दर्भ है, क्योंकि पूर्वोक्ति दोनों स्थितियाँ आत्मसीमित वेदना की है। उनमें भी प्रथम स्थिति अनुभोक्ता को ही बाँधती है दूसरी अपने साथ विश्व को जोड़ने के लिए उससे सहानुभूति पाने के लिए प्रयत्नशील है जबकि तीसरी स्थिति मुक्तावस्था में लोक से जुड़ने की स्थिति है। नवगीत इसी लोकोन्मुखी वेदनाभाव रूद्गाता, जन–जन की यातना को मुखरित करता है।[2]

नवगीतकार गाँव से सीधा जुड़ा है अतः उसकी वर्तमान की अभिव्यक्ति बड़ी वास्तविक और जीवन्त है। अन्य वैयक्तिक संदर्भो के अतिरिक्त जिस सामाजिक संदर्भ को नवगीत कारो ने स्पर्श किया है वह आज का आदमी आज के आदमी को जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश और उसकी विद्रूतपतओं के चित्र है,

उनकी जटिलता को इन कवियों ने रेखांकित किया है। स्वतंत्रता लोकतंत्र, न्याय, सुरक्षा, स्वाभिमान, जीवन की मौलिक आवश्यकताएँ, व्यक्तिगत अस्मिता आदि प्रश्न आज देश के आम आदमी के प्रश्न बन गये हैं। इन शब्दों ने अपना समस्त अर्थ खो दिया है। इनमें नई अर्थवत्ता स्थापित करने के लिए देश में नये परिवर्तन, नई क्रान्ति और नई स्वतंत्रता की जरूरत होगी। नवगीतकार के इसी जुड़ाव ने आपात काल में उसके गीतों को बड़ा धारदार स्वर प्रदान किया। डॉ0 शम्भूनाथ सिंह मावन जीवन के त्रास और राजनीतिक, सामाजिक विसमाताओं का सुंदर प्रतीकात्मक चित्रण प्रस्तुत करते हैं –

'हम रबर के खिलौने
बिकते है सुबह और शाम
लिख गयी अपनी किस्मत
सहजादों के नाम [3]

लोक संवेदना में समाज की पीड़ा विसंगति और संघर्ष को गीतकारों ने विविध रंग छवियों में रूपायित किया है। गाँव और सामज के यथार्थ जीवन चित्रों के साथ ही प्रकृति के अनेक टटके चित्र गीत को माटी की गन्ध से सुवासित करने लगे और लोकसंस्कृति के सम्पूर्ण तत्वों का समावेश गीतों में हो गया है। गीत ने केवल गाँव की झाँकी ही नहीं प्रस्तुत की बल्कि नगरीय जीवन के आदमी के दो मुँहेपन, बेगानेपन और उसकी स्वार्थ लोलुप मनोवृत्ति का भी चित्र खींचा, किन्तु इस प्रकार के चित्रणों में व्यंग्य था। जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण और एक सच्चे आत्मीय भारतीय समाज के रचना की उद्दाम लालसा थी। कवि 'कुमार शिव' ने अपने वक्तव्य में लिखा है जिस मिट्टी से गीत का जन्म हुआ है यदि उसकी गन्ध उसमें नहीं है तो फिर वह कैसा गति है।[4] उनके एक गीत का उदाहरण द्रष्टव्य है –

काट रहे हम दिन कपास से।
नाच रहे हम
तकली जैसे
बज उठते हैं
ढपली जैसे
हँसते है पर हैं उदास से।
लिए पुस्तिका
परिवादों की
जिल्द बँधी है।
अवसादों की
कटे हुए हैं आस–पास से।' [5]

गीत में समय का बोध अर्थात जनसामान्य की वेदना, पीड़ा, आहभरा हुआ है। जनवादी भावना की अभिव्यक्ति है। इस वातावरण में आदमी गायब हो चुका है। बाकी सब कुछ है। आदमी की शक्ल वाला तो कोई है, मगर आदमी जिसमें प्रेम और करूणा का सागर हिलोरे लेता था, वह आदमी आज कहाँ है –

गिरवी है सारी उम्मीदें
दिल का चैन रात की नीदे
कर्ज पसीने पर हावी है आखें चढ़ी थान की
इतनी भर जिन्दगी बची इंसान की।[6]

समकालीन गीतकारों को अपेक्षाकृत अधिक अभिशप्त एवं दाहक परिवेश में जीना पड़ा है। परिणामतः इनके गीतों में तल्खी और व्यंग्यात्मकता आनुपातिक रूप से अधिक है। गीतों में देश के दर्द के

साथ निज के दर्द को मिलाकर अपनी लाक्षणिक व्यंज्जना के साथ कवि ने कश्मीर घाटी के दर्द को उभारा है, इसे उनके एक लघुगीत में देखा जा सकता है।

धुंध के बादल छँटे
दिन स्वर्ण पंखी हो गये
बर्फ के पर्वत पिघलकर
झील में बदले
चाँदनी लिखने लगी फिर
दूधिया गजले,
शीत के सैनिक किसी
अन्धी गुफा में सो गये
चीड़–वन ने फिर उठाई
धूप की वंशी
लौट आये सान्ध्य गीतों
के सगुन पंक्षी
दर्द के एहसास ठहरे
कहकहों में खो गए [7]

गीतों की प्रमुख विशेषता उसमें सन्निहित लोकतत्व तथा जनवादी भावना है। गीतों में कथ्य, रूप और राग सभी लोकगीतों से प्रेरित है परन्तु दृष्टि और संवेदना युगानुकूल है। 'रमेश रंजक ने इस दृष्टि से बहुत ही सुन्दर प्रयोग किए हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित विभिन्न प्रसंगो को आधार बनाकर उसी राग और भाषा में गीत लिखे परन्तु संवेदना और दृष्टि के कारण उसका अर्थ अत्यधिक विस्तृत और गहन हो गया है। निम्नलिखित गीत में राज–मजूरिन का चित्र देखने योग्य है –

गारे के पाँय
पसीने को अँचरा
शीश में धूल के बाल
स जनवा हमको न चावे गुलाल [8]

समकालीन गीतों में जीवन की कुछ जीवन्त मूर्तियाँ भी चित्रित की गयी हैं जो भुलाये नहीं भूलने वाली है। समकालीन गीतकारों ने अपने गीतों को मेहनतकश जनता के दुःख दर्द से जोड़ा है। फिर भी इनमें भारतीयता, भारतीय संस्कृति विद्यमान है। एक ग्रामीण बच्ची जो गरीब घर की बेटी है उसका चित्रण इस गीतांश में रेखांकित करने योग्य है –

कीचड़ में सनी हुई एड़ियाँ
कालिख से रंगी हथेलियाँ
कलुई कहती है सभी सहेलियाँ
चिथड़ो में लिपटी तो क्या हुआ
लाज छिपी है न तुम लजाओ [9]

समकालीन कवियों में गिरिजाकुमार माथुर तन्त्र युग का खुलकर विरोध करते हैं। तार सप्तक की गीतिका में वह लिखते हैं –

यन्त्र दैत्य चिंघाड़ रहे हैं

नभ की छाती फाड़ रहे हैं
अणु का वैश्वानर जलता है
धुँआ नागफन बन उठता है
नभ में तनी शक्ति की भुज है
और दूसरी ओर मनुज है।[10]

1967 में डॉ0 शम्भूनाथ सिंह की प्रसिद्ध गीत रचना धर्म युग में छपी और बाद में यह गीत उनके गीत संग्रह 'जहाँ दर्दनीला' में छपी। इस गीत में गीतकार ने आधुनिक जीवन की यथार्थ तस्वीर बहुत ही प्राणवत्ता के साथ नई भाषा के मुहावरे में प्रस्तुत किया है –

फुटपाथों की दीवारों पर
कीलों से जड़ दिया गया हूँ
नंगी सुबहें भूखी शामें
पहरा देती मुझको घेरे
व्यर्थ हो गयी सब रोशनियाँ
बेमानी हो गये अँधरे
बेमतलब बोलती जुबां है
अनचाहे घूमती नजर है
कत्लगाह को जाने वाली
पिजड़ा गाड़ी मेरा घर है। [11]

समकालीन गीत विद्या अनेक संघर्षो को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके विकास की स्थिति है। आज इन गीतों के माध्यम से सब कुछ कहा जा रहा है। इसके कवि भाषागत, कथ्यगत और शैलीगत रूढ़ियों को छोड़कर निरन्तर आगे बढ़ रहे है। इन कोमल स्वरों में जनवादी चेतना के स्वर फूट रहे है। ऐसे गीतकार व्यक्ति समाज और व्यवस्था के सत्य को मुखरित कर रहे हैं। नयी कविता कविता से अकविता की ओर बढ़ी थी, किन्तु अब वह नवगीत या नयागीत से भी आगे अगीत तक पहुँच चुकी है। इसमें मूल्यों की बातें आ रही हैं। कवियों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक है और वे समकालीन जीवन के हर पहलू का चित्रण कर रहे हैं।

समकालीन गीतों का विकास भारत के अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तथा स्वतन्त्र नीति और नवीन राष्ट्रीय वैचारिक वातावरण के समानान्तर ही रहा है। समाज की दशा दिशा और चेतना को इन गीतों से सर्वाधिक व्यक्त किया जा रहा है। समकालीन गीतो का विषय पक्ष जीवन्त सत्य का अनुगायक, यथार्थ जीवन मूल्यों का व्याख्याकार एवं नवीन सौन्दर्य बोध का जन्मदाता है। यथार्थ का सच्चा बोध समकालीन गीतों की आत्मा है। विविध बिम्बों, प्रतीकों, उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं व्यंग्य और व्यंजनाओं से अपनी कथा को रचनाकारों ने कहा है। आम आदमी की पीड़ा संत्रास वेदना, लाचारियाँ, विद्रोही स्वर, व्यवस्था जन्य विसंगतियाँ सब कुछ इनसे व्यक्त हो रहा है। आम आदमी प्रायः केन्द्र में है। इन कवियों ने अनेक अछूते विषयों को सार्वजनिक किया है। यही इसकी विशेषता इसके भविष्य को उज्ज्वल बनायेगी। इसी गुण के कारण जनमानस इसको सबसे अधिक सुन और पढ़ रहा है। इन गीतों का प्रभाव काव्य की अन्य विधाओं और गद्य साहित्य पर पड़ रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. कुबेर नाथराय, किरात नदी में चन्द्रमधु पृ0 32
2. राजेन्द्र गौतम हिन्दी नवगीत उद्‌भव और विकास पृ0 110
3. डॉ0 शम्भूनाथ सिंह, नवगीत दशक, भाग–एक पृ0 133
4. वही भाग–दो पृ0 21
5. वही, भाग–दो पृ0 23
6. रमेश रंजक, किरन के पाँव गीत से
7. डॉ0 शम्भूनाथ सिंह, नवगीत दशक भाग–तीन पृ0 20
8. रमेशरंजक, इतिहास दुबारा लिखों गीत से
9. डॉ0 शम्भूनाथ सिंह, माताभूमि पृ0 35
10. गिरिजा कुमार माथुर, गीतिका शीर्ष कसे
11. डॉ0 शम्भू नाथ सिंह, धर्मयुग 25 जून 1967

ग्रामीण विकास में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका

डॉ0 उग्रसेन सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर– वाणिज्य संकाय
एम0एम0पी0जी0 कालेज, कालाकांकर, प्रतापगढ़ (उ0प्र0)

रीजनल रूरल बैंक एक्ट, 1976 द्वारा भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का रास्ता खोला गया। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा का घोर अभाव था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा के विकास हेतु की गयी थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का व्यवसाय, क्रियाकलापों का निर्देशन एवं प्रबन्धन संचालक मण्डल द्वारा होता है। जिसमें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं प्रायोजक बैंक के प्रतिनिधि होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कुशल प्रबन्ध हेतु त्रिस्तरीय प्रबन्ध व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। उच्च स्तरीय प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधान कार्यालय आता है। जिसका एक अध्यक्ष होता है तथा उसके अन्तर्गत प्रबन्धक शाखा प्रबन्धन, अग्रिम जमा, वसूली, कार्मिक, लेखा अंकेक्षण तथा प्रबन्धक जन सम्पर्क एवं नियोजन आते हैं। मध्य स्तरीय प्रबन्ध व्यवस्था के रूप में क्षेत्रीय कार्यालय काम करते हैं। जो मुख्य कार्यालय एवं शाखा के बीच सेतु का कार्य करते हैं। निम्न स्तरीय प्रबन्ध व्यवस्था के अन्तर्गत शाखा प्रबन्धक आते हैं। जिसकी जिम्मेदारी शाखा के विभिन्न क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखना होता है।

वित्तीय संसाधनों में स्वयं की निधि जिसके अन्तर्गत अंश पूँजी व प्रारक्षित निधि आती है तथा दूसरे प्रकार के संसाधन के रूप में अर्जित निधि को शामिल किया जाता है। जिसके अन्तर्गत जनता से प्राप्त जमा राशियां तथा पुनर्वित्त निधियों को शामिल किया गया है। कृषकों की अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की आवश्यकताओं को समयानुसार एवं उद्देश्यानुसार वर्गीकृत कर उनका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक छोटे एवं सीमान्त कृषकों को विभिन्न योजनाओं के लिए साख सुविधायें देता हैं जिसमें फसली ऋण, अल्प सिंचाई ऋण व अन्य कृषि सम्बन्धी ऋण प्रमुख है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वितीयक क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों को साख सुविधायें प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त लघु व्यापार, ग्रामीण दस्तकारी, ग्रामीण हस्तकला आदि के प्रोत्साहन के लिए अनेक योजनाओं के अन्तर्गत साख सुविधायें प्रदान करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है जिसके अन्तर्गत परिवहन चालकों, स्वरोजगार हेतु साख सुविधायें ग्रामीणों का उपलब्ध कराती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने जहाँ छोटे व्यक्ति का बैंक बनकर ग्रामीण अंचल के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान देने का प्रयास किया है, वहीं बैंक को पूर्णतः दोषमुक्त भी नहीं कहा जा सकता है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनेक संगठनात्मक दोषों से ग्रस्त है जिसके कारण बैंकिंग नीतियों का सफल क्रियान्वयन नही हो पा रहा है। यही कारण है कि बैंक की कार्य प्रगति इतना सन्तोषप्रद नही रही, जितनी उससे अपेक्षा की गयी थी। बैंकिंग व्यवसाय की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक बैंक की कार्यक्षमता है। बैंक के प्रबन्ध एवं संगठन समस्याओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि सुदृढ़ बैंकिंग कार्यक्षमता के अभाव में ग्रामीण अंचल के समन्वित आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ग्रामीण विकास में और अधिक सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक है कि बैंक की कार्यक्षमता में पर्याप्त सुधार किया जाय। यह आवश्यक है कि बैंक में कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाय तथा साथ ही साथ ग्रामीण बैंकिग सेवा

को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रयास किये जाये चाहिये ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से कर्मचारियों का अन्य सेवाओं में पलायन को नियन्त्रित किया जा सकें।

ग्रामीण क्षेत्रों की कम आय के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को संचित जमा राशि के रूप में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नही हो पाती है । चूंकि बैंक मुख्यतः अपनी जमाओं पर निर्भर होते है इसलिए पर्याप्त जमाओं के अभाव में बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्रदान करके उतना आर्थिक उत्थान नही कर पाये, जितना कि उनसे अपेक्षा की गयी थी। बैंक की सीमित वित्तीय संसाधन की समस्या अतिपरिपक्व ऋणों की वसूली समय से न हो पाने के कारण और अधिक विकराल रूप धारण कर लेती है। बैंक एवं प्रशासन द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी एवं कठोर कदम अत्यन्त आवश्यक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों के अन्य व्यापारिक बैंक के कर्मचारियों के समान एवं भत्ते देना ग्रामीण बैंकिंग व्यवसाय को अधिक आकर्षक बनाने की दशा में एक उचित कदम कहा जा सकता है। किन्तु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वित्तीय संसाधन की सीमितता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते का भार राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं नाबार्ड द्वारा वहन करना चाहिए।

संक्षेप में, कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने ग्रामीण अंचल के समन्वित विकास के लिए अनेक ठोस एवं रचनात्मक कदम उठाये है, जो निम्नवत है–

- ग्रामीण अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखा का विस्तार।
- ग्रामीण अंचल में जमा विस्तार का प्रयास।
- ग्रामीण अंचल के व्यक्तियों में बचत की आदत में प्रोत्साहन।
- जन सामान्य का बैंक बनकर ग्रामीण समाज के प्रत्येक वर्ग को वित्तीय सहायता दे।
- ग्रामीण अंचल में स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सुविधा देकर आय एवं रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कार्यपद्धति के सुधार के लिए तथा इन्हे समन्वित ग्रामीण विकास प्रक्रिया में और अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं –

संगठनात्मक सुझाव :–

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष बैंक के संगठन का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है । इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण अंचल की समस्याओं से परिचित एवं कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञ व्यक्ति को ही प्रायोजक बैंक द्वारा अध्यक्ष पद पर नामित किया जाय, जिससे ग्रामीण अंचल की समन्वित विकास प्रक्रिया को अध्यक्ष विशेष के नेतृत्व में एक प्रगतिशील आधार मिल सके। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्ति प्रायोजक बैंक द्वारा गहन परीक्षण के बाद किया जाना चाहिए। प्रायोजक बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पद के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए –

- प्रशासनिक क्षमता।
- नेतृत्व।
- ग्रामीण आर्थिक–सामाजिक समस्याओं का उचित ज्ञान।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण।

पर परियोजनाधिकारी को निदेशक मण्डल में नामित प्रतिनिधि में रूप में। सम्मिलित किया जाना चाहिए।

कर्मचारी भर्ती एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी सुझाव :–

गाँवों में बैंक की शाखाओं के विस्तार मात्र से ग्रामीण अंचल के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती हैं। ग्रामीण अंचल का विकास जन–जन में आत्मनिर्भरता की भावना से परिलक्षित होता हैं। सर्वेक्षण के दौरान यह देखने में आया कि ग्रामीण बैंक में कार्यरत कर्मचारी आधारभूत सुविधा के अभाव के कारण गाँवों में रहना पसन्द नहीं करते है और निरन्तर कस्बों एवं शहरों में स्थानान्तरण के लिए प्रयासरत रहते है। इसके फलस्वरूप कर्मचारी में स्थान विशेष के विकास में कोई रूझान एवं लगाव नहीं रह जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि गाँवों में ही कर्मचारी आवास, स्कूल, बिजली, चिकित्सालय आदि की सुविधा प्रदान की जाय।

साथ ही साथ चयनित कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों को राज्य स्तर पर उचित प्रशिक्षण देने के लिए बैंकिंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना अनिवार्य है। उचित प्रशिक्षण से जहाँ कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रतिभा का विकास होगा, वहीं प्रशिक्षित कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बैंकिंग सेवा देकर समन्वित विकास की प्रक्रिया में अधिक रचनात्मक योगदान दे सकेंगे।

वस्तुतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विकास ग्रामीण अंचल की गरीबी व बेरोजगारी के खिलाफ लड़े जाने वाले आन्दोलन का सूचक है और प्रत्येक आन्दोलन की सफलता उसके मशालचियों पर निर्भर करती है । संस्था की मशाल उसके कर्मचारियों के हाथ मे रहती है अतः इस बात की आवश्यकता है कि कर्मचारियों में गाँवों के प्रति समर्पण की भावना जागृत की जानी चाहिये । सिद्धान्त कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसका सही क्रियान्वयन तभी किया जा सकता है जब उसके सिद्धान्त से जुड़े व्यक्ति ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करें । कर्मचारियों की शिक्षा, दृष्टिकोण, स्वभाव, प्रतिभा कार्यशैली तथा उनके जनसम्पर्क मे सम्बन्धित सिद्धान्त की परछाई दृष्टिगोचर होनी चाहिये ।

जमा विस्तार सम्बन्धी सुझाव :–

जमाएं किसी भी बैंक की वित्तीय संसाधन का महत्वपूर्ण अंग है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं अभी भी गाँवों की बचत क्षमता का पूर्ण विदोहन नहीं कर पायी हैं। ग्रामीण अंचल में जमाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सचलयान के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना चाहिये। सम्बन्धित क्षेत्र में बाजारों, हाटों व मेलों में मोबाइलयान द्वारा बचतों को आकर्षित करने के प्रयास किये जा सकते हैं।

ग्रामीण अंचल में बचत की क्षमता विकसित करने एवं जमा–विस्तार के लिए यह आवश्यक है कि–

बैंक कर्मचारियों द्वारा गाँव के दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग शिविरों का आयोजन करके ग्रामीण व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं एवं उसके लाभों का बोध कराया जाय।

ग्रामीण अंचल के ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ बैंक सुविधा उपलब्ध न हो, चल बैंक सेवा आरम्भ की जानी चाहिये।

बैंकिग कार्य पद्धति को गति देने के लिए शाखावार जमा लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिए। लक्ष्य से अधिक जमा संग्रहित करने वाली शाखाओं को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।

आवेदन–पत्र, पासबुक, चेकबुक आदि आवश्यक सामग्री ग्रामीण बैंक ग्राहकों को सुगमता से उपलब्ध की जानी चाहिये।

ऋण विस्तार सम्बन्धी सुझाव :–

ग्रामीण अंचल में बेहतर बैंकिंग ऋण सेवा उपलब्ध करने के लिये आवश्यक है कि –

ग्रामवार ग्रामीण व्यक्तियों की साख आवश्यकता की जानकारी की जानी चाहिये। ऋण विस्तार कार्यक्रम की सफलता के लिए एवं ग्रामीण अंचल के समन्वित विकास के लिए यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने शाखाओं के अधीन आने वाले ग्रामों की साख आवश्यकता का पता लगाए

तथा साथ ही साथ ग्रामीण निर्धन परिवारों के लिए बैंकिंग योजनाएं प्रस्तुत करें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं को अपने कार्य क्षेत्र के सभी अर्ह व्यक्तियों को साख सुविधा प्रदान करनी चाहिये बशर्ते कि उन व्यक्ति को किसी अन्य संस्था से वित्तीय सहायता न प्राप्त हुई हो।

ग्रामीण अंचल की उपभोग ऋण आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। सामान्यतः ग्रामीण अंचल के छोटे एवं गरीब किसान, ग्रामीण दस्तकार, खेतिहर मजदूर आदि को बैंक शाखाओं से उपभोग ऋण प्राप्त न होने के कारण पुनः महाजन व साहूकार के चंगुल में फंसने के लिए बाध्य हो जाते हैं। आज भी ग्रामीण अंचल में उपयोग ऋण का एक पर्याप्त अंश महाजन व साहूकारों द्वारा पूरा किया जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं को उपयोग ऋण सुविधा देने से इन्कार नहीं करना चाहिये क्योंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य, ग्रामीण अंचल में ग्रामीण व्यक्तियों को महाजन व साहूकार के चंगुल से मुक्ति दिलाना है।

छोटे किसानों को कार्यशील पूँजी के रूप में पर्याप्त साख दी जानी चाहिए ताकि वे कृषि के लिए बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं आदि समय पर खरीद सकें। ऐसे किसानों को कार्यशील पूँजी के साथ–साथ आवश्यकता पड़ने पर स्थिर पूँजी जैसे पम्पसेट, थ्रेसर, ट्रैक्टर आदि के लिए भी ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिए। छोटे किसानों की भाँति ग्रामीण दस्तकारों को भी वित्तीय सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। छोटे किसानों व ग्रामीण दस्तकारों को कार्यशील पूँजी के रूप में ऋण देने के साथ–साथ बैंक को यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि ऋण का प्रयोग उसी उददेश्य के लिए किया जा रहा है, जिसके लिये वह ऋण आबंटित है । इसके लिए बैंक की शाखाओं। को सहकारी संस्थाओं के सहयोग से कृषकों व दस्तकारों को। आवश्यकतानुसार वस्तु रूप में सुविधा दी जानी चाहिये तथा विक्रेता को बैंक द्वारा स्वयं भुगतान किया जाना चाहिये। ऐसा करने से निश्चित ही ऋण का दुरूपयोग रूकेगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा छोटे किसानो व ग्रामीण दस्तकारों को गारन्टी व सुरक्षा पत्र प्रस्तुत न कर पाने के कारण ऋण सुविधा से वंचित नहीं किया जाना चाहिये । ग्रामीण अंचल के अधिकांश छोटे किसान व दस्तकार अपनी छोटी व सीमित आमदनी के कारण बैंक को गारन्टी व सुरक्षा पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं । गारन्टी व सुरक्षा पत्र के अभाव में बैंक से ऋण सुविधा न मिल पाने के कारण छोटे किसान व दस्तकार पुनः महाजन व साहूकार के चंगुल में फंसकर रह जाते हैं। बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि पर ब्याज की दर में कटौती की जानी चाहिये। छोटे एवं सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों व ग्रामीण दस्तकारों को भी आई0आर0डी0 लाभार्थी की भाँति 12.5 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं दी जानी चाहिये।

कतिपय मामलों में यह देखने में आया है कि बैंक की शाखाओं ने साख सविधा उन्हें प्रदान की है, जिनकी आर्थिक दशा पहले ही सुधर चुकी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाओं को ऋण विस्तार के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि बड़े एवं समृद्धि किसानों की तुलना में छोटे व सीमान्त किसानों को वरीयता दी जाय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा ग्रामीण अंचल के प्रत्येक गाँव के परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर विभेदन व्याज दर योजना सीमित रूप से लागू की गई है । इस योजना का निम्न आय स्तर वाले सभी ग्रामीण व्यक्तियों की सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनिवार्य रूप से लागू किया जाना चाहिए। सौहार्द नही है तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण अंचल के समन्वित आर्थिक विकास की परिकल्पना मिथ्या ही होगी।

स्थानीय नेताओं का बैंकिंग क्रियाकलापों में अनुचित हस्तक्षेप रोकने के लिए यह आवश्यक है कि स्थानीय नेताओं को ऋणार्थी के प्रस्तावक के रूप में बैंक द्वारा मान्यता न दी जाय । स्थानीय नेताओं द्वारा ऋणार्थी की प्रमाणित आय को तब तक वास्तविक न माना जाय, जब तक ग्राम प्रधान अथवा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि न कर दी जाये। बैकों को ग्रामीण विकास के लिए अधिक प्रभाव पूर्ण बनाया जा सकता है। ग्रामीण अंचल म बकिंग सेवा प्रदान करना एवं कमजोर वर्ग के लोगों को समुचित वित्तीय सहायता देना, एक कठिन कार्य है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बढ़ता व्यय भार एक चिन्ता का विषय है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की सीमित वित्तीय ससाधन के कारण उन्हें अयोग्य घोषित करना न्याय संगत नही होगा क्योंकि व्यापारिक बैंक की शाखाएं भी लक्ष्यित कृषि वित्त के सन्दर्भ में इस समस्या की अवस्था से गुजर रही हैं । कृषि साख की बढ़ती आवश्यकता एवं ग्रामीण अंचल की सामाजिक आर्थिक संरचना को ध्यान में रखकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को और अधिक व्यवहार्यता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सरकार अथवा प्रायोजक बैंक द्वारा प्रबन्धन अनुदान दिया जाना चाहिए ताकि बैंकों को हानि से बचाया जा सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजक बैंक, औद्योगिक विकास बैंक एवं नाबार्ड द्वारा कम ब्याज दर पर पुनर्वित्त सुविधा दी जानी चाहिए।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के रूप में नियुक्त अधिकारियों के वेतन व भत्ते आदि सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा वहन किये जाने चाहिए। इन अधिकारियों के ऊँचे वेतन व भत्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की वित्तीय समस्या को बढ़ाते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1- जगदीश प्रकाश : भारत के सार्वजनिक उद्यम
2- प्रो० एम०एन० लाल : भारतीय अर्थव्यवस्था
3- बी०के० शर्मा : रूरल इम्प्लायमेन्ट प्रोफाइल
4- माता बदल शुक्ला : व्यावसायिक वित्त
5- कुरूक्षेत्र : ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार
6- वार्षिक रिपोर्ट : ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार